अंक २ शुक्रवार

संख्या ३ ११ जलाई, १९५२

सत्यमेव जयते

1st Lok Sabha (First Session)

संसदीय वाद विवाद

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

(हिन्दी संस्करण)

—:o:—

भाग १—प्रश्न और उत्तर

विषय-सूची

प्रश्नों के मौखिक उत्तर [पृष्ठ भाग २४८९—२५३०]
प्रश्नों के लिखित उत्तर [पृष्ठ भाग २५३०—२५५४]

(मूल्य ४ आने)

423 PSD

लोक सभा

शुक्रवार, ११ जुलाई १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

मानवीय अधिकार आयोग

*१६५९. **श्री वैलायुधन :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) मानवीय अधिकार आयोग में कितने प्रतिनिधि भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं ; तथा

(ख) क्या आयोग में चीन के जनवादी गणराज्य को सम्मिलित किये जाने का भारतीय प्रतिनिधि ने हाल ही में विरोध किया था ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) एक ।

(ख) जी नहीं । आयोग के अध्यक्ष ने निर्णय दिया कि चीन के प्रतिनिधित्व पर विचार करने के लिए आयोग उपयुक्त स्थल नहीं है । इस निर्णय पर मत लिया गया । हमारे प्रतिनिधि ने कोई मत नहीं दिया । यह भारत सरकार की इस विषय की नीति के अनुकूल न था और अपने प्रतिनिधि को यह बता दिया गया ।

श्री वैलायधुन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत से भेजे जाने वाले ऐसे प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों को भारत सरकार द्वारा नियमित निदेश दिये जाते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : बाहर जाने वाल प्रत्येक प्रतिनिधिमंडल को नियमित रूप से विषय-सार समझा दिया जाता है, और समय पड़ने पर बाद में भी निदेश भेजे जाते हैं । सामान्यतः मानवीय अधिकार आयोग जैसे स्थलों पर तो राजनीतिक प्रश्न उठते ही नहीं । साधारणतः हमारे निदेश उनको समेट लेते हैं ।

श्री वैलायुधन: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कभी ऐसे अवसर आय हैं, जब भारत से भेजे गये प्रतिनिधिमंडलों के सदस्यों ने भारत सरकार की नीति के विरुद्ध कार्य किया हो ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरे विचार से दो तीन अवसर आये थे, जब या तो कुछ गलतफहमी हो गई थी या वे ऐसे प्रश्नों के चक्कर में पड़ गये थे, जिनको वे ठीक ठीक समझते नहीं थे ।

श्री बी० शिवा राव : श्रीमान्, क्या यह तथ्य नहीं है कि साधारण सभा (जनरल असेंबली) में गए हुए भारतीय प्रतिनिधियों ने और जब तक भारत सुरक्षा-परिषद् का सदस्य रहा, वहां पर स्थित भारतीय प्रतिनिधि ने संयुक्त राष्ट्र संघ में चीन के जनवादी गणराज्य के प्रवेश के लिए निरन्तर मांग की थी ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां श्रीमान्, यह सर्वविदित है। पर इस विषय में मैं यह भी बता दूं कि वहां पर यह प्रश्न नहीं उठाया गया था, बल्कि प्रश्न यह था कि अध्यक्ष के निर्णय पर मत दिया जाए या न दिया जाए।

कार्यालयों के लिए अतिरिक्त भवन

*१६६०. **श्री वैलायुधन :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने नई दिल्ली में स्थित कार्यालयों के लिए अतिरिक्त भवन बनाने का निश्चय किया है ; तथा

(ख) यदि किया है, तो क्या उसकी योजना बनाई जा रही है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद उप-मंत्री (श्री बुरागोहिन) : (क) जी हां, श्रीमान्।

(ख) एक कार्यालय भवन क्वीन विक्टोरिया रोड पर और दूसरा हार्डिंग अवेन्यू पर बनेगा।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि इन इमारतों की कुल आकलित लागत क्या है ?

श्री बुरागोहिन: दोनों स्थानों के लिए कुल आकलित लागत ९६ लाख रुपया है।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि दिल्ली में आजकल हमारे पास कार्यालय की कितनी जगह है, और हमें कितनी और चाहिये ?

श्री बुरागोहिन : आज की आवश्यकता ३.६६ लाख वर्ग फीट की है, और इस में से नरेशों के भवनों की वह जगह छोड़ कर, जो ग्रहण की जा चुकी या की जा रही है, लगभग ३ लाख वर्ग फीट के अतिरिक्त स्थान की आवश्यकता और पड़ेगी।

सामुदायिक विकास परियोजनायें

*१६६१. **श्री एस० एन० दास: क्या योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभिन्न राज्यों में सामुदायिक विकास परियोजनाओं के कार्यक्रम को कार्यान्वित करने के लिए, जिसके लिए भारत-अमरीकी प्राविधिक सहयोग निधि में से धन दिया जाएगा, किस प्रकार के संगठन बनाये गये हैं ?

(ख) विभिन्न राज्यों में किस प्रकार का काम आरंभ हो चुका है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संगठन-ढांचे की रुपरेखा सामुदायिक विकास कार्यक्रम के संचालन संबंधी करार संख्या के अनुच्छेद ३ में दी गई है, जिसकी एक प्रति सदन पटल पर ४ जून, १९५२ को रखी गई थी।

(ख) कार्यक्रम तैयार करने के लिए परियोजना क्षेत्रों की आरंभिक परिमाप हो रही है।

श्री एस० एन० दास : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने सदन में दिए गए अनेक रचनात्मक सुझावों पर विचार किया है, और क्या आवश्यक परिवर्तन किए जा रहे हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इस सदन द्वारा दिये गये सभी सुझावों पर बड़े ध्यान के साथ विचार किया जाता है। अंतिम स्थिति क्या होगी, यह बता सकने की स्थिति में मैं अभी नहीं हूं।

श्री एस० एन० दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ने ग्राम्य

सुधार का काम करने वाली अंसरकारी संस्थाओं और व्यक्तियों का एक सम्मेलन बुलाने की वांछनीयता पर विचार किया है ।

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, ऐसे किसी सुझाव पर विचार नहीं हुआ । मुझे विश्वास नहीं कि यह सदन में व्यक्त किए गए विचारों में था ।

श्री वैलायुधन : मैं जान सकता हूं कि सरकार को इस कार्यक्रम के अधीन अब तक वस्तुतः मिली राशि क्या है ?

श्री सी० डी० देशमुख : सामुदायिक परियोजनाओं के संघटन संबंधी इस प्रश्न के प्रसंग में मैं वह उत्तर देने के लिए प्रस्तुत नहीं हूं । मुझे पूर्वसूचना चाहिए ।

सरदार हुक्म सिंह : मैं जान सकता हूं कि क्या इन सामुदायिक परियोजनाओं की बुनियादी-योजना में राज्य के प्रतिनिधियों के प्रशिक्षण का कोई उपबंध किया गया है, जिससे कि उस में एकरूपता रहे ?

श्री सी० डी० देशमुख : फोर्ड प्रतिष्ठान के तत्वावधान में गांव के कार्यकर्त्ताओं के लिए बहुत से प्रशिक्षण-केन्द्र खोले जा रहे हैं ।

श्री एम० आर० कृष्ण : क्या मैं उन पहले पांच राज्यों के नाम जान सकता हूं, जिन में सब से अधिक संख्या में परियोजनायें चालू की गई हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : यह सूचना पहले ही समय समय पर दी जा चुकी है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन परियोजनाओं का कार्यारंम्भ हो चुका है, और अब तक कितनी प्रगति हो चुकी है ?

श्री सी० डी० देशमुख : कार्यक्रम यह है : परियोजना-क्षेत्रों के परिमाप का पूरा होना — १५-७-५२ ; परियोजना प्राक्कलनों का भेजना — ३१-७-५२; सामुदायिक परियोजनाप्र शासन द्वारा प्राक्कलनों की मंजूरी — १५-८-५२ ; परियोजनाओं का आरंभ — १-१०-५२ । यह वस्तुतः रबी की फसल के काल के अनुकूल ही है ।

श्री एन० बी० चौधरी : मैं जान सकता हूं कि क्या इन योजनाओं को विभाग द्वारा कार्यान्वित किया जाएगा या ठेकेदारों के द्वारा ?

अध्यक्ष महोदय : मुझे पता नहीं कि यह जानने में उनको क्या रुचि है ।

श्री सी० डी० देशमुख : मैं नहीं सोचता कि माननीय सदस्य ने इस परियोजना के स्वरूप को समझ लिया है ।

पंडित सी० एन० मालवीय : क्या प्रशिक्षणार्थियों का चुनाव हो चुका है ?

श्री सी० डी० देशमुख : हो रहा है । प्रशिक्षणार्थियों के चुनाव के लिए होने वाली व्यवस्था के विषय में निदेश हम निकाल चुके हैं या निकालने वाले हैं ।

सनोबर वृक्ष से अखबारी काग़ज़

*१६६२. **श्री एस० सी० सामन्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कुल्लू की पहाड़ियों से व्यास नदी में होकर ढिलवान तक लाये जाने वाले सनोवर के लट्ठों से अखबारी कागज बनाने का कुछ प्रयोग किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है, तो फल क्या हुआ ; तथा

(ग) क्या काटने और कागज-मिलों तक ले जाने की लागतों की जांच की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं श्रीमान् ।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या भारत में अखबारी कागज बनाने के लिए ऐसे कुछ और प्रयोग भी किए जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय से सम्बन्धित विकास-अधिकारी ने अखबारी कागज बनाने के लिए सनोबर के लट्ठों के संभावित उपयोग के विषय में एक परिमाप किया है, पर आगे कुछ नहीं हो सका ।

श्री एस० सी० सामन्त : श्रीमान्, मैं उन अनुसन्धान केन्द्रों को जान सकता हूं, जहां इन पर प्रयोग हो रहा है ; वैज्ञानिक या वन-अनुसन्धान-संस्थाओं में ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : जहां तक मुझे पता है, परिमाप किया गया है और निःसंदेह वन-अनुसन्धान-संस्था कागज या अखबारी कागज बनाने में स्थानीय सामान के उपयोग की संभावना के विषय में खोज कर रही है, पर इस विशिष्ट मामले में, मेरे माननीय मित्र के ध्यान में स्पष्ट ही यह बात है कि मेरे मंत्रालय के एक पदाधिकारी ने सनोबर के लट्ठों के उपयोग की संभावना की एक जांच की है और उसकी रिपोर्ट हमारे पास है, पर हमने इस से अधिक और कुछ नहीं किया है ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार अण्डमान तथा नीकोबार द्वीपों से उपलब्ध लकड़ी से अखबारी कागज बनाने का प्रयोग कर रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सनोबर के लट्ठों या अण्डमान में उपलब्ध किसी भी प्रकार की लकड़ी के उपयोग की संभावना पर प्रयोग करने का काम वस्तुतः वन-अनुसन्धान-संस्था का है, मुझे विश्वास है कि वे इस दिशा में कुछ कर रहे हैं, पर मेरे पास कोई सूचना नहीं है ।

श्री वीरास्वामी : क्या मैं उन देशों के नाम जान सकता हूं, जहां से हम अखबारी कागज और दूसरे कागज का आयात करते रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : इसका कई बार उत्तर दिया गया है ।

महात्मा गांधी की प्रतिमा का व्यापार चिन्ह के रूप में प्रयोग

*१६६३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या ऐसे उदाहरण सरकार के ध्यान में आये हैं, जहां महात्मा गांधी की प्रतिमा व्यापार चिन्हों या दूसरे व्यवसायिक कामों में प्रयुक्त की गई हो ; तथा

(ख) यदि आये हैं तो क्या सरकार ने उनके विषय में चिन्ह तथा नाम (अनुचित उपयोग प्रतिषेध) अधिनियम, १९५० के अधीन कुछ कार्यवाही की है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) अब तक कुल चार मामले हमारे ध्यान में आये ।

(ख) अधिनियम के अधीन नहीं, बल्कि समझा बुझाकर ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं उन चार राज्यों के नाम जान सकता हूं, जिनमें ये चार मामले सरकार के ध्यान में आये ?

श्री करमरकर : मध्य प्रदेश, मेरठ, भागलपुर.....मैं स्थानों के नाम बता रहा हूं, माननीय सदस्य उन राज्यों को समझ लें, जहां ये स्थित हैं ।

डा० राम सुभग सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि किस कारण सरकार ने इन लोगों के विरुद्ध कोई कार्यवाही नहीं की ?

श्री करमरकर: विचार करने पर हम ने यही ठीक समझा कि इन मामलों में हम समझा बुझा कर काम चलाएं ।

श्री एस० एन० दास: : मैं जान सकता हूं कि प्रश्न के भाग (ख) में निर्दिष्ट अधिनियम के लागू होने पर अधिनिमय की अनुसूची में कुछ जोड़ा गया था ?

श्री करमरकर: जी नहीं, श्रीमान् ।

श्री ए० सी० गुहा: : मैं जान सकता हूं कि किसी राज्य सरकार ने इस अधिनियम के कार्यान्वित करने की दिशा में कुछ पग उठाये हैं या इस अधिनियम के अनुसार कोई दूसरा अधिनियम पारित किया है ?

श्री करमरकर : मैं इस बात के लिये पूर्वसूचना चाहूंगा ।

मैसूर राज्य में नदी घाटी योजनायें

*१६६४. **श्री एम० वी० कृष्णप्पा:** क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मैसूर राज्य की कौन कौन सी नदी घाटी योजनाएं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं ?

(ख) क्या मैसूर राज्य की तुंगभद्रा और नूगू परियोजनाएं पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित करने की बात योजना आयोग के विचाराधीन हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) पंचवर्षीय योजना की प्रारूप-रूपरेखा के पृष्ठ २८६ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है ।

(ख) तुंग अनीकट, भद्रा जलाशय और नगू जलाशय योजनायें मैसूर की पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित की गई हैं ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : : मैं जान सकता हूं कि पंचवर्षीय योजना में सम्मिलित किये जाने के लिये आवश्यक शर्तें क्या हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : प्राथमिकताओं का विचार ।

श्री शिवनंजप्पा : क्या यह तथ्य है कि ये परियोजनायें मैसूर सरकार द्वारा अब तक अंशत: चलाई गई हैं ?

श्री सी० डी० देशमुख : इन परियोजनाओं पर कुछ कार्यारम्भ हो चुका है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी: मैं जान सकता हूं कि क्या भारत सरकार को लक्कावली परियोजना के पंचवर्षीय योजना में सम्मिल्लित किये जाने के विषय में मैसूर सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

श्री सी० डी० देशमुख : पहले तो सरकार कोई अभ्यावेदन प्राप्त नहीं करती । हमारा संबंध केवल योजना आयोग से है । परियोजनाओं को पंचवर्षीय योजनाओं में सम्मिलित करने का काम योजना आयोग का है । जहां तक मैं समझता हूं या मुझे जानकारी है भद्रा जलाशय लक्कावल्ली के निकट ही है ।

श्री एम० वी० कृष्णप्पा : क्या यह तथ्य है कि २० करोड़ रुपये की लागत वाली भद्रा परियोजना मैसूर सरकार द्वारा वित्तीय समन्वय योजना से पहले ही प्रारम्भ की गई थी और वित्तीय समन्वय के पश्चात् वह उसे पूरा कर सकने की स्थिति में नहीं है, तथा केन्द्र से सहायता न पा सकने के कारण वह उसे बिल्कुल त्याग देने के लिये विवश हो रही है ?

श्री सी० डी० देशमुख : श्रीमान्, यह तथ्य है कि इस बहुप्रयोजनीय योजना में २० करोड़ रुपये लगेंगे । योजना १९४७ से चल रही थी और मार्च १९५१ तक ७० लाख

रुपये व्यय हो चुके थे। पंचवर्षीय योजना में इसकी प्रथमावस्था के लिये १८६ लाख रुपयों का उपबन्ध किया गया है। पांच वर्ष पूरे होने पर इस क्षेत्र के एक भाग में सिंचाई हो सकने की आशा है।

पूर्वी पाकिस्तान में निष्क्रान्त सम्पत्ति

*१६६५. **श्री एल० एन० मिश्र :** (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या भारत सरकार और पाकिस्तान सरकार के बीच पूर्वी पाकिस्तान की निष्क्रांत संपत्ति के दावों के निबटारे के लिये कोई क़रार हुआ है, जिससे विस्थापित व्यक्तियों को क्षति-पूर्ति दी जा सके ?

(ख) यदि हुआ है, तो समझौते का स्वरूप क्या है ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख). कोई क़रार नहीं हुआ। फिर भी, अप्रैल १९५० के प्रधान मंत्रियों के क़रार के अनुसार पूर्वी पाकिस्तान सरकार द्वारा कुछ विधान बनाया जा रहा है। जिसमें भारत को निष्क्रांत व्यक्तियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति के व्यवस्थापन या वापस देने का उपबन्ध है। उसी प्रकार का विधान पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा राज्य सरकारों द्वारा पाकिस्तान को प्रव्रजित व्यक्तियों द्वारा छोड़ी गई संपत्ति के संबंध में बनाया जा रहा है।

श्री एल० एन० मिश्र: पाकिस्तान सरकार के इस नये दावे के विषय में, कि मुसलमान निष्क्रमणार्थियों द्वारा भारत में छोड़ी गई संपत्ति हिंदुओं और सिखों द्वारा पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति की अपेक्षा कहीं अधिक है, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

श्री सतीश चन्द्र : मेरे द्वारा निर्दिष्ट विधान का इस निष्क्रांत संपत्ति वाले अपेक्षतया अधिक विस्तृत प्रश्न से नहीं है।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : यदि मैं ऐसा कह सकता हूं तो पूर्वी खंड में कुछ भी निष्क्रांत संपत्ति नहीं है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्रियों के क़रार में इन संपत्तियों के प्रशासन के लिये न्यासधारियों का एक बोर्ड नियुक्त करने के संबंध में कुछ निबन्धन थे, और यदि थे, तो ये न्यास-धारियों के बोर्ड किस प्रकार काम कर रहे हैं ?

श्री सतीश चन्द्र : न्यासधारियों के ये बोर्ड दोनों ही स्थानों--पूर्वी बंगाल और साथ ही पश्चिमी बंगाल, आसाम और त्रिपुरा में बनाये जा चुके हैं। पूर्वी बंगाल में वे लोग पूर्वी बंगाल निष्क्रमणार्थी (स्थावर संपत्ति का प्रशासन) अधिनियम, १९५१ पारित कर चुके हैं। हमारी ओर भी वैसे ही अधिनियमों में इन न्यासों के बनाने के उपबन्ध किये गये हैं। उन में अल्पसंख्यक समुदाय के सदस्य होते हैं और संबंधित सरकार का एक पदा-धिकारी अध्यक्ष होता है। वापस न लौटाई गई सारी संपत्तियों का अधिकार आजकल इन न्यासों में निहित है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या उन्होंने निष्क्रमणार्थियों के लिये इन संपत्तियों से कुछ लगान या आय उगाहने के लिये कोई प्रयत्न किये हैं ?

श्री सतीश चन्द्र: मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

विधि तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री बिस्वास) : ये न्यास सीमा के दोनों ओर बनाये गये हैं और काम कर रहे हैं और इन्होंने इन में से बहुत सी संपत्तियों को ग्रहण कर लिया है।

श्री ए० सी० गुहा : क्या उन्होंने इन संपत्तियों से कुछ लगान या आय उगाहने के लिये कोई कार्यवाही की है ?

श्री बिस्वास : मैं आपको यह सूचना तो नहीं दे सकता कि उन्होंने कितना संग्रह कर लिया है ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या शरणार्थियों द्वारा पूर्वी पाकिस्तान में छोड़ी गई संपत्ति का मूल्यांकन करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

श्री बिस्वास : प्रधान मंत्रियों के क़रार के अधीन संपत्तियों के मूल्यांकन का कोई प्रश्न नहीं उठता ।

श्री मेघनाद साहा : क्या सरकार ने पूर्वी पाकिस्तान में शरणार्थियों द्वार छोड़ी गई संपत्ति के कुल मूल्य का निर्धारण किया है ?

अध्यक्ष महोदय : यह स्वतंत्र प्रश्न है ।

श्री सतीश चन्द्र : ऐसा नहीं करना है । पूर्वी खंड में ३१ मार्च, १९५१ से पहले घर वापस लौटे हुए लोगों को उनकी संपत्तियां वापस लौटा दी गई हैं । उस तिथि से पहले आवेदन करने वाले व्यक्तियों की संपत्तियां न्यास समिति द्वारा ग्रहण कर ली गई हैं और उन को वापस पाने के लिये वे चाहें तो इस न्यास के पास ३१ मार्च, १९५३ तक आवेदन भेज सकते हैं । इसलिये ३१ मार्च, १९५३ तक मूल्यांकन का कोई प्रश्न नहीं उठ सकता ।

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन): इन संपत्तियों के मूल्यांकन का प्रश्न नितांत अप्रसंगोचित है, क्योंकि इन संपत्तियों का अधिकार एक देश से दूसरे को प्रव्रजन करने वाले स्वामियों को ही है । उन को अपनी संपत्तियों के हस्तांतरित करने और उन का किराया लेने और एक निश्चित तिथि तक उन को वापस पाने का अधिकार है । इन संपत्तियों का मूल्यांकन कुछ काम नहीं आयेगा ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि क्या पूर्वी बंगाल में अधिगृहीत किये गए हिंदुओं के मकानों का कुछ किराया प्राप्त करने के लिये कोई प्रयत्न किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : क्या यह उन संपत्तियों के विषय में है, जिन पर अब न्यास पर्षदों का अधिकार है ?

श्री ए० सी० गुहा : इन पर न्यास पर्षदों का अधिकार होना चाहिए, मुझे पता नहीं । यह तो माननीय मंत्री को ही बताना है ।

श्री मेघनाद साहा : क्या माननीय मंत्री को विदित है कि लगभग ४० लाख शरणार्थी कभी पूर्वी पाकिस्तान वापस नहीं जायेंगे, और उन की संपत्तियों का मूल्यांकन करने और उन्हें उसके लिये कुछ क्षतिपूर्ति देने के संबंध में क्या किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : शांति, शांति । यह अपेक्षतया विस्तृत प्रश्न है और प्रस्तुत प्रश्न में नहीं आता है ।

चीनी सांस्कृतिक शिष्टमंडल

***१६६६. डा० राम सुभग सिंह**

क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या काश्मीर को भारत में आए चीनी सांस्कृतिक शिष्टमंडल के यात्रा मार्ग में सम्मिलित किया गया था; तथा

(ख) यदि किया गया था, तो शिष्टमंडल काश्मीर क्यों नहीं गया ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) तथा (ख) पहले काश्मीर को भारत आये चीनी सांस्कृतिक शिष्टमंडल के यात्रा मार्ग में सम्मिलित किया गया था । पर यहां आकर उन्होंने अपना कार्यक्रम बदल दिया और उनके पुनरीक्षत कार्यक्रम में काश्मीर को नहीं लिया गया ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, क्या यह सच है कि चीनी सांस्कृतिक शिष्टमंडल काश्मीर इसलिये नहीं गया कि चीनी शरणार्थी वहां पर थे ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं ठीक से नहीं कह सकता कि उनके अन्तिम निर्णय का कारण क्या था ? इसका उत्तर ठीक से वही दे सकेंगे ।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कार्यक्रम स्वयं चीनी शिष्ट-मंडल द्वारा तैयार किया गया था या भारत-सरकार द्वारा और क्या उस शिष्टमंडल का कोई व्यक्ति काश्मीर जाना चाहता था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : कार्यक्रम भारत सरकार द्वारा नई दिल्ली के चीनी दूतावास से निरन्तर संपर्क में रह कर तैयार किया गया था । वे संयुक्त कार्यक्रम तैयार करना चाहते थे ।

श्री एस० एस० मोरे : मैं प्रधान मंत्री से जान सकता हूं कि क्या शिष्टमंडल द्वारा कोई प्रमाणित रिपोर्ट भेजी गई है और यदि हां, तो क्या वह सदन पटल पर रखी जाएगी ?

अध्यक्ष महोदय : चीनी प्रतिनिधि मंडल द्वारा ?

श्री एस० एस० मोरे : श्रीमान्, मुझे खेद है ।

गृहों और आतुरशालाओं में विस्थापित व्यक्ति

*१६६७. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज कल विभिन्न राज्यों में गृहों और आतुरशालाओं में रहने वाले पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या; तथा

(ख) क्या यह सच है कि इन गृहों और आतुरशालाओं से हृष्ट-पुष्ट विस्थापित व्यक्तियों को निकालने के लिये सभी राज्यों में शीघ्र पग उठाये जाने वाले हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) (क) २४,२८९ ।

(ख) जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि इन गृहों और आतुरशालाओं में से कितने हृष्ट-पुष्ट विस्थापित व्यक्ति पहले ही निकाले जा चुके हैं ?

श्री ए० पी० जैन : मुझे पूर्वसूचना चाहिये ।

डा० राम सुभग सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या उनको वैकल्पिक निवास-स्थान दिया जाएगा ?

श्री ए० पी० जैन : जी हां ।

डा० राम सुभग सिंह : और पुनर्वास संबंधी लाभ ?

श्री ए० पी० जैन : उन को पुनर्वास संबंधी लाभ पाने का अधिकार है ।

सरदार हुक्म सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या काश्मीर के उन शिविरों से आये विस्थापित व्यक्ति भी जिनके लिए भारत सरकार उत्तरदायी है, इन गृहों और आतुरशालाओं में ही भरती किये जाते हैं या दूसरे गृहों में ?

श्री ए० पी० जैन : काश्मीर से आये हुए विस्थापित व्यक्तियों के लिये भारत सरकार सीधे-सीधे उत्तरदायी नहीं है । वस्तुतः हम योल में इन लोगों के लिये एक शिविर चला रहे हैं । पुनर्वास मंत्रालय इस शिविर के चलाने में राज्य-सरकार की सहायता कर रहा है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या भारत सरकार केवल कैम्प के प्रशासन के लिये ही उत्तरदायी है या इन शरणार्थियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए भी ?

श्री ए० पी० जैन : पुनर्व्यवस्थापन भी ।

अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि

*१६६९. **श्री एन० पी० सिन्हा** : (क) क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या अभ्रक खान श्रम कल्याण निधि अधिनियम, १९४६ के उपबन्धों को कार्यान्वित करने के लिए कुछ पग उठाये गये हैं :

(ख) यदि उठाये मये हैं, तो अब तक क्या काम किया गया है और बिहार के किन किन स्थानों पर ?

(ग) क्या किसी अभ्रक खान के किसी मालिक, एजेंट या प्रबन्धक को कोई राशि दी गई है, जैसा कि अधिनियम की धारा ३ की उपधारा २(ख) में अनुध्यान किया गया है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) हां।

(ख) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ८]**

(ग) अब तक नहीं।

श्री एन० पी० सिन्हा : उक्त अधिनियम के एक उपबन्ध द्वारा केन्द्रीय सरकार को वार्षिक लेखा-विवरण देने के लिये वाध्य कर दिया गया है । क्या वह किया गया है ?

श्री वी० वी० गिरि : श्रीमान्, मैं समझता हूं कि किया गया है।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या आंध्र तथा दूसरे स्थानों में मंदी के कारण अभ्रक-खानों के मजदूरों में भारी पैमाने पर बेरोजगारी फैल गई है ?

श्री वी० वी० गिरि : मुझे इसका पता नहीं है ।

श्री नम्बियार : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि नये आये हुए हथौड़े के कारण अभ्रक खानों में होने वाली अनेकों दुर्घटनाओं की स्थिति को सुधारने के लिये क्या कुछ किया गया है ?

अध्यक्ष महोदय : मेरे विचार से वह अधिक विस्तृत प्रश्न कर रहे हैं।

श्री नाना दास : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि कुदूर अभ्रक खानों में कल्याण-कार्य में क्या प्रगति हुई है ?

श्री वी० वी० गिरि : कृपया पटल पर रखे गये विवरण को पढ़ें। उससे पता चल जायेगा ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण में बताया गया है कि मातृका तथा शिशु कल्याण के लिये गृह-निर्माण अभी अभी शुरू हुआ है। श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि अंतरिम प्रबन्ध क्या किये गये हैं ?

श्री वी० वी० गिरि : कुछ औषधालयों और अस्पतालों की सहायता से अंतरिम प्रबंध कर लिए गये हैं।

श्रम के लिये भविष्य निधि योजना

*१६७०. **चौ० रघुवीर सिंह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह तथ्य है कि सरकार ने उत्तर-प्रदेश के कांच के कारखानों में अनिवार्य भविष्य निधि योजना चालू की है; तथा

(ख) यदि तथ्य है, तो कारखाने के मालिक द्वारा प्रत्येक मजदूर की भविष्य-निधि में मध्यमानतः क्या राशि दी जाती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख) सरकार ने उत्तर-प्रदेश के कांच के कारखानों में कोई भी अनिवार्य भविष्य-निधि योजना चालू नहीं की है । कर्मचारी भविष्य-निधि अधिनियम, १९५२, जिसमें कारखानों तथा अन्य संस्थापनों के

कर्मचारियों की भविष्य निधि के लिये उपबन्ध किया गया है आजकल कांच के कारखानों पर लागू नहीं होता।

चौ० रघुवीर सिंह : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इसे निकट भविष्य में चालू करने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : वह अभी तो इस पर विचार नहीं कर रही, पर निरन्तर इसका परीक्षण करती रहेगी।

श्री नम्बियार : श्रीमान् मैं जान सकता हूं कि अनिवार्य भविष्य निधि के विद्यमान न होने की दृष्टि में, सरकार मालिकों से उपदान या भविष्य निधि से सम्बद्ध किसी दूसरी निधि में कुछ अंश देने के लिये कहने जा रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह प्रश्न प्रस्तुत प्रश्न में से नहीं उठता। मुझे पूर्वसूचना चाहिये।

श्री वैलायुधन : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन सभी उद्योगों के लिये एक भविष्य निधि योजना बनाने का विचार कर रही है ?

श्री वी० वी० गिरि : यह पहले ही बताया जा चुका है कि यह भविष्य निधि योजना किन किन उद्योगों पर लागू होती है ?

पश्चिमी पाकिस्तान स्थित सम्पत्तियों के दावे

* १६७३. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि : (क) पश्चिमी पाकिस्तान में रह गयी सम्पत्तियों के लिये प्राप्त हुए क्लेमों की राशि क्या है ?

(ख) बंगाल को छोड़ शेष भारत में निष्क्रमणार्थी संपत्तियों की कुल मूल्य-राशि क्या है ?

(ग) क्या पश्चिमी पाकिस्तान में रह जाने वाली सम्पत्तियों के मालिकों के क्लेमों के भुगतान के लिये किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) इस समय सूचना नहीं दी जा सकती।

(ख) निष्क्रमणार्थी सम्पत्तियों का मूल्यांकन हो रहा है और यह सूचना नहीं दी जा सकती।

सेठ गोविन्द दास : क्या मैं यह जान सकता हूं कि यह हिसाब कितने दिनों से बन रहा है और इस के कब तक बन जाने की आशा की जाती है ?

श्री ए० पी० जैन : यह हिसाब जनवरी सन् १९५१ से बन रहा है और मैं ने यहां पर यह कहा था कि तीन महीने के अन्दर सितम्बर के आखिर तक बन जायगा।

पुनर्वास-व्यय

*१६७४. **सेठ गोविन्द दास** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास के ऊपर १५ अगस्त १९४७ से ३१ मार्च १९५२ तक व्यय की गयी राशि क्या है; तथा

(ख) निम्न राज्यों के तत्संबंधी आंकड़े क्या हैं :

(१) दिल्ली राज्य ; और

(२) पंजाब राज्य ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) १४६·३४ करोड़ रुपये।

(ख) (१) १३·६४ करोड़ रुपये।

(२) २४·८६ करोड़ रुपये।

सेठ गोविन्द दास : सन् १९५२ के मार्च से ले कर सन् १९५३ के मार्च तक और कितना रुपया इस सम्बन्ध में खर्च करने का इरादा है ?

श्री ए० पी० जैन : वह तो यहीं पर पास हुआ है और माननीय मेम्बर (सदस्य) तो उस समय मौजूद होंगे, वह रक़म तेंतीस करोड़ और कुछ है।

सेठ गोविन्द दास : उसमें से जो इस साल ख़र्च होने वाला है, उसमें से जो लोग पूर्वी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना ख़र्च होने वाला है और जो पश्चिमी पाकिस्तान से आये हैं, उन पर कितना ख़र्च होने वाला है, उस का कोई अलग अलग हिसाब है ?

श्री ए० पी० जैन : मोटे तौर से अगर दो रुपया पश्चिमी पाकिस्तान से आये हुए पुरुषार्थियों पर ख़र्च होगा तो एक रुपया पूरब से आये हुए पुरुषार्थियों पर खर्च होगा।

सेठ गोविन्द दास : क्या माननीय मंत्री जी को यह बात मालूम है कि मध्य प्रदेश में जहां जहां पूर्वी पाकिस्तान से आये हुए लोग बसे हैं उन पर कुछ भी ख़र्चा नहीं किया जा रहा है और इस सम्बन्ध में माननी य मंत्री जी को कई शिकायतें भेजी जा चुकी हैं ?

श्री ए० पी० जैन : कई शिकायतें तो नहीं पेश की गयीं, लेकिन माननीय मेम्बर (सदस्य) ने स्वयं एक शिकायत पेश की थी, उसके बारे में मैं ने मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट (सरकार) से पूछा है और मध्य प्रदेश की सरकार अगर कुछ देना ज़रूरी समझेगी तो मुझे वह लिखेगी और तब मैं सोचूंगा कि क्या देना है और क्या नहीं देना है।

सेठ गोविन्द दास : माननीय मंत्री जी ने इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट (सरकार) को कब लिखा था और उस का उत्तर कब मिला ?

श्री ए० पी० जैन : बस, जब माननीय मेम्बर (सदस्य) ने शिकायत की थी, उसी के बाद लिखा था।

सेठ गोविन्द दास : क्या यह बात सही है कि गवर्नमेंट (सरकार) को इस को लिखे हुए तीन महीने गुज़र चुके हैं और अभी तक कोई उत्तर माननीय मंत्री जी को वहां से नहीं मिला ?

श्री ए० पी० जैन : तीन महीने तो माननीय मेम्बर (सदस्य) से मेरी मुलाकात हुए भी नहीं हुए।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रियों समेत सभी को यह बात गांठ बांध लेनी चाहिये कि सीधे अध्यक्ष को सम्बोधित करें। मैं इस क्रम में यह भी बता दूं कि कई बार उत्तर देते समय मंत्रिगण सदस्यों को 'आप' कह कर संबोधित करते हैं। यह गलत है और संसदीय व्यवहार नहीं है।

वक्फों और न्यासों की सम्पत्तियों का हस्तान्तरण

*१६७५. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या सरकार को पता है कि कुछ लोगों ने, जो पाकिस्तान जाना चाहते थे, निष्क्रमणार्थी सम्पत्ति विधियों की पकड़ में आने से बचने के लिये अपनी सम्पत्ति वक्फ़ों और न्यासों को हस्तांतरित कर दी है ?

(ख) यदि पता है, तो क्या इस विषय की जांच की गयी है ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) तथा (ख) ऐसे कुछ मामले अभिरक्षकों के सामने आये थे और आवश्यक पड़ताल करने के बाद विधि सम्मत कार्यवाही की गई थी।

सेठ गोविन्द दास : इस तरह के कोई मामले माननीय मंत्री जी के सामने आये हैं ?

श्री ए० पी० जैन : माननीय मंत्री के सामने तो नहीं आये लेकिन हां कस्टोडियन

(अभिरक्षक) के सामने आये हैं और मेरी इत्तला यह है कि १९ प्रदेशों में जिनके बारे में मेरे पास खबर आई है कुल आठ ऐसे मामले आये ।

सेठ गोविन्द दास : क्या कस्टोडियन (अभिरक्षक) के पास जो मामले आते हैं वे बाद में माननीय मंत्री जी के पास नहीं पहुंचते हैं ?

श्री ए० पी० जैन : नहीं ।

सेठ गोविन्द दास : तो क्या इन मामलों पर कोई भी कार्रवाई करने का अधिकार कस्टोडियन (अभिरक्षक) को रहता है ?

श्री ए० पी० जैन : इसके बारे में तो इस भवन नं कानून पास किया कि जितने इस किस्म के मामले होते हैं वह पहले ऐसिस्टेन्ट कस्टोडियन (सहायक अभिरक्षक) के पास जाते हैं फिर कस्टोडियन (अभिरक्षक) के पास और फिर कस्टोडियन जनरल (महा अभिरक्षक) के पास । इस में मंत्री को तो कोई इस किस्म का अधिकार ही नहीं दिया और न उसकी इस बारे में जिम्मेदारी ही रक्खी गयी थी कि वह इस तरह के मामलों की फ़ेहरिस्त (सूची) बनाये, हां आम तौर पर खबर मिलती रहती है ।

सेठ गोविन्द दास : जो आठ मामले इस किस्म के आये है वह कितने रुपये की जायदाद के मामले थे ?

श्री ए० पी० जैन : वह तो सभी जायदादों के मामले थे ।

सेठ गोविन्द दास : कितने रुपये के थे ?

श्री ए० पी० जैन : यह तो मुझे नहीं मालूम । हजारों मामले होते हैं किस किस के बारे में याद रखी जाये ।

जूट का माल

* १६७६. **श्री ए० सी० गुहा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५०, १९५१ और १९५२ के पहले चार महीनों में विदेशों से मंगाये और वहां भेजे गये माल की मात्रा;

(ख) विदेशों में बने जूट के माल के लागत-मूल्य की तुलना में भारतीय जूट के माल का लागत-मूल्य;

(ग) क्या भारतीय जूट उद्योग में अद्यतन उपायों और मशीनों को चालू करने के लिये कोई यत्न किया गया है ; तथा

(घ) यदि किया गया है, तो वे क्या हैं और उन को कहां तक कार्यान्वित किया गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५०, १९५१ और १९५२ के पहले चार महीनों में जूट के माल की क्रमशः २३७, २०८ और २५६ लाख टन मात्रायें बाहर भेजी गईं थीं । यह प्रकट है कि व्यापारियों को बाहर से मिले आर्डरों का अभिलेख नहीं रखा जा सकता ।

(ख) जूट के माल के लागत-मूल्य में एक मिल से दूसरे मिल में और एक देश से दूसरे देश में अंतर रहता है और ठीक ठीक तुलना सम्भव नहीं है । न लागत की पूरी सूचना ही उपलब्ध है । फिर भी, यह बात कि हमारा उद्योग निर्यात शुल्क का बोझ सह सकता है, यह बतलाने के लिये पर्याप्त प्रमाण है कि भारत में बने जूट के माल की लागत अब भी दुनियां में सब से कम है ।

(ग) तथा (घ) जूट मिलों के आधुनिकीकरण के प्रश्न पर उद्योग तथा योजना आयोग द्वारा सक्रिय विचार किया

रहा है । अभी कोई योजना तैयार नहीं की गयी ।

श्री ए० सी० गुहा : क्या हाल में भारतीय जट मिल संघ और सरकार के प्रतिनिधियों का कोई सम्मेलन हुआ है और यदि हुआ है तो उस सम्मेलन तथा उन परामर्शों का क्या परिणाम हुआ ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : हाल में जूट मिल संघ के सदस्यों, वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के कुछ पदाधिकारियों और योजना आयोग के सदस्यों की एक बैठक हुई थी । मेरे विचार से अभी बात चीत चल रही है ।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि भारत के जूट मिलों की मशीनों के अधुनिकीकरण की प्राक्कलित लागत क्या है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्राक्कलन ७० करोड़ रुपये से १४० करोड़ रुपये तक है ।

श्री ए० सी० गुहा : इसे कैसे फैलाया जायेगा और मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कुछ देने जा रही है या जूट मिलों को अकेले ही पूरी लागत सहनी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस विषय पर कुछ अधिक वक्तव्य देना समय से पूर्व है, क्योंकि अभी बात चीत चल रही है जो पूरी नहीं हुई है ।

श्री के० के० बसु : मैं जान सकता हूं कि जूट मिलों में इस आधुनिकीकरण के फल-स्वरूप मजदूरों की कितनी छंटनी होगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : माननीय सदस्य समय से बहुत पहले बात कर रहे हैं ।

श्री एन० एस० नायर : क्या सरकार का ध्यान समाचार-पत्र के इस वृत्तांत की ओर आकर्षित किया गया है कि पाकिस्तान भारत के विरुद्ध भेदभाव कर रहा है और जूट पर एक निर्यात शुल्क लगाने जा रहा है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस प्रश्न का पहले एक बार उत्तर दिया जा चुका है ।

श्री नम्बियार : मैं जान सकता हूं कि हमारे जूट उद्योग के लिये कच्चे माल की कमी के कारण क्या भारी बेरोजगारी चल रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य के प्रश्न के अभिप्राय को ठीक ठीक समझ नहीं सकता ।

भारी विद्युद्यंत्र उद्योग

*१६७७. **श्री एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या अभ्रक की घरेलू खपत बढ़ाने के लिये भारी विद्युद्यंत्र उद्योगों के खोलने का प्रश्न सरकार के विचाराधीन है ; तथा

(ख) यदि है, तो इसके मूर्त-रूप प्राप्त करने में कितनी देर लगेगी ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) जी नहीं श्रीमान्, निकट भविष्य में नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री एन० पी० सिन्हा: सभी अभ्रक यहां आरंभिक सफाई के बाद विदेशों में भेज दिया जाता है और फिर बने बनाये रूप में भारत में आता है; हम यहां निर्माण नहीं करते । अब चूंकि बिजली बोकारो तथा दूसरे क्षेत्रों में उपलब्ध हो रही है तो मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार ऐसे उद्योग भारत में खोलने के लिये पग उठायेगी ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : भारत में विद्युद्यंत्र उद्योग खोलने के लिये तीन चार वर्ष पहले कुछ प्रयत्न किया गया था, और तीन सुप्रसिद्ध फर्मों से परियोजना रिपोर्ट भेजने को कहा गया था। पर दूसरी बातों के कारण वे योजनायें छोड़ दी गई। अब वे फिर शुरू की जा सकती हैं पर मैं नहीं कह सकता कि कब ?

श्री एन० पी० सिन्हा : अभ्रक-जांच आयोग ने सिफारिश की है कि ऐसा उद्योग तुरन्त शुरू करना चाहिये। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इस सिफारिश को कार्यान्वित करने जा रही है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : सिफारिशें होती रहती हैं, और भारतसरकार के भंडार में अपार सिफारिशें भरी पड़ी हैं, पर इसका अर्थ यह नहीं कि सारी सिफारिशें कार्यान्वित सकती हैं। सिफारिशों के कार्यान्वित होने के रास्ते में वित्तीय कठिनाई जैसे रोड़े आ जाते हैं।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि क्या यह सच है कि काम की कमी के कारण गोडूर की अभ्रक खानें बंद कर दी गई हैं और बहुत से मज़दूर निकाल दिये गये हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : प्रश्न का सम्बन्ध अभ्रक के उपयोग से है उसके निकाले जाने से नहीं।

शल्य-यंत्रादि (निर्यात)

*१६७८. **श्री ए० सी० गुहा** : **वाणिज्य तथा उद्योग श्रीमान्** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सन् १९४८ से १९५१ तक के समय में भारत के शल्य-यंत्रों का कुछ निर्यात हुआ है; तथा

(ख) यदि हुआ है तो (१) किस देश को, (२) क्या निर्यात में कुछ कमी हुई है, तथा (३) क्या आयात करने वाले देशों से प्रमापीकरण के अभाव की कुछ शिकायतें मिली हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क), (ख) (१), (२) और (३). शल्य-यंत्रों का निर्यात कम होता है और १९४८ से १९५१ तक के आंकड़े नहीं रखे गये हैं। सरकार को आयात करने वाले देशों से कोई शिकायत नहीं मिली है।

श्री ए० सी० गुहा : मैं जान सकता हूं कि भारत में ये शल्य-यंत्र किन मुख्य मुख्य स्थानों पर बनते हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं पूर्व सूचना चाहूंगा।

श्री बी० एस० मूर्ति : मैं जान सकता हूं कि भारत में कितनी फर्में शल्य-यंत्रों का निर्माण करती हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, पूर्व सूचना।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या यह सच है कि पंजाब में शल्य-यंत्र गृह-उद्योग के रूप में बनाये जाते थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं माननीय सदस्य से यह सूचना ग्रहण कर लूंगा।

श्री ए० सी० गुहा : क्या रुडकी के आस पास कहीं पर इन शल्य-यंत्रों का गृह-उद्योग के आधार पर निर्माण होता था और अब ये निर्माण-केन्द्र बंद होने जा रहे हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये।

आयात तथा निर्यात नियंत्रण संगठन

*१६८१. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १७५० और १९५१ में आयात तथा निर्यात नियंत्रण संघटन में

लगाए गये अफसरों क्लर्कों और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की संख्या और इसकी वर्त्तमान संख्या तथा इस पर होने वाला व्यय; तथा

(ख) क्या वर्तमान वर्ष में कर्मचारीवर्ग तथा वेतनों में कुछ बचत की गई है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ९**]

(ख) आजकल कर्मचारी वर्ग में कुछ कमी करने के प्रस्ताव पर विचार हो रहा है और शेष वित्तीय वर्ष में कुछ बचत की संभावना है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा: श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार कर्मचारीवर्ग कम करने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर: जी हां श्रीमान्। हम कर्मचारीवर्ग कम करने के प्रस्ताव पर विचार कर रहे हैं। हम ने उस प्रश्न पर विचार किया और हम समझते हैं कि बम्बई तथा कलकत्ते में कुछ सीमा तक कर्मचारीवर्ग की छंटनी सम्भव है, पर दूसरे केन्द्रों आदि में यह संभव नहीं है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा: मैं जान सकता हूं कि निर्यात तथा आयात अनुज्ञप्तियों से क्या आय होती है ?

श्री करमरकर: सन् १९५०-५१ में आय ७१·४३ लाख थी और सन् १९५१-५२ में ५६·२९ लाख। वर्तमान वर्ष के आंकड़ों की प्रतीक्षा है।

श्री टी० एन० सिंह: दो वर्ष पहले इस विभाग में आदमी बढ़ गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि आज उतने ही आदमी हैं या कुछ बचत कर ली गई है ?

श्री करमरकर: मुझे पूर्व सूचना चाहिये। पर विवरण में बताये गये व्ययों के अनुसार ४०·७३ लाख से कुछ बढ़ कर अब यह ४४·५२ लाख रुपये हो गया है।

हिन्दी में प्रकाशन

*१६८२. **श्री सी० एन० पी० सिन्हा**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि मंत्रालय द्वारा निकाले जाने वाले हिन्दी के प्रकाशनों की संख्या कितनी है और उनका परिचालन कितना है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर): कोई नहीं।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा: हिंदी के राजभाषा बनने की दृष्टि में क्या सरकार हिन्दी के प्रकाशनों की संख्या बढ़ाने का विचार कर रही है ?

श्री करमरकर: श्रीमान्, इस प्रश्न पर पहले कई बार विचार हो चुका है और वित्तीय कठिनाइयों के कारण इसे संभव नहीं समझा गया और फिर वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय के समन्वय के बाद मंत्रालय ने यह निर्णय किया था कि कुछ समय तक वाणिज्य तथा व्यापार की संयुक्त पत्रिका का भाग्य देखने के बाद इस विषय पर फिर विचार किया जायेगा।

सेठ गोविन्द दास: हिन्दी में इस के प्रकाशित होने में कितना रुपया खर्च होता है, क्या इस की कोई योजना बनाई गई है ?

श्री करमरकर: अभी होता ही नहीं है।

सेठ गोविन्द दास: कितना खर्चा होगा ?

श्री करमरकर: इसके बारे में नोटिस (पूर्वसूचना) चाहिये।

जन संम्पर्क संचालक, अ० भा० रेडियो

*१६८३. श्री सी० एन० पी० **सिन्हा** : **क्या सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अखिल भारतीय रेडियो, दिल्ली से **जन-सम्पर्क संचालक** का स्थान समाप्त कर देने के कारण;

(ख) क्या अन्य रेडियो-केंद्रों में अब भी लोक-संपर्क अधिकारी चल रहे हैं; तथा

(ग) यदि चल रहे हैं, तो कहां कहां पर और वर्तमान वर्ष के आयव्ययक में इस पर कुल व्यय ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) **अ० भा० रेडियो** के प्रधान केंद्र से जन-सम्पर्क-संचालक का स्थान बचत के लिये समाप्त कर दिया गया।

(ख) तथा (ग) बम्बई, कलकत्ता, मद्रास तथा लखनऊ केंद्रों में लोक-संपर्क अधिकारी हैं। वर्तमान वर्ष में उनके वेतन तथा भत्तों पर ३४·०१६ रुपयों का व्यय प्राक्कलित किया गया है।

श्री सी० एन० पी० सिन्हा : श्रीमान, मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार जन-सम्पर्क-संचालक के स्थान पर किसी सक्रिय पत्रकार को नियुक्त करना चाहती है ?

श्री करमरकर: वह स्थान समाप्त कर दिया गया है।

श्री ए० सी० गुहा : माननीय मंत्री ने बताया कि वह स्थान दिल्ली में समाप्त कर दिया गया है, पर ये स्थान तीन अन्य केंद्रों में रखे गये हैं। मैं जान सकता हूं कि क्या सरकार इन तीन स्थानों को भी समाप्त कर देना चाहती है ?

श्री करमरकर : उन स्थानों को समाप्त कर देना सरकार को अभिप्रेत नहीं है, क्योंकि वह समझती है कि वहां पर इन पदाधिकारियों की आवश्यकता है और यहां पर उस काम का कुछ दूसरे पदाधिकारियों के साथ एकीकरण कर दिया जायगा।

श्री टी० एन० सिंह : किन बातों ने सरकार को दिल्ली में जन-सम्पर्क अधिकारी का स्थान समाप्त कर देने के लिये विवश किया और वे कारण अन्यत्र क्यों लागू नहीं होते ?

अध्यक्ष महोदय : यदि माननीय सदस्य ने उत्तर सुना हो, तो मेरी समझ से इस प्रश्न का उत्तर पहले ही दिया जा चुका है।

श्री बी० एस० मूर्ति : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि जन-सम्पर्क संचालक का काम अब किस पदाधिकारी द्वारा किया जा रहा है ?

श्री करमरकर : आजकल दिल्ली प्रधान केन्द्र में **'इंडियन लिसनर'** के सम्पादक को अपने काम के साथ जन-सम्पर्क-संचालन का काम भी संभालने के लिये नियुक्त किया गया है, और यह प्रबन्ध संतोषप्रद रूप में काम कर रहा है।

श्री बी० एस० मूर्ति: श्रीमान्, मैं जान सकता हू कि क्या इस पदाधिकारी को इस अतिरिक्त कार्य के लिये कुछ अतिरिक्त वेतन दिया जा रहा है ?

श्री करमरकर: मैं ऐसा नहीं समझता

श्री ए० सी० गुहा : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या कलकत्ता, बम्बई और समद्रा में वैसे ही प्रबन्ध नहीं किये जा सकते ?

श्री करमरकर: इस समय यह नहीं हो सकता ऐसा सरकार का विचार है।

अफगानिस्तान स व्यापार

* १६८४. **श्री बी० एन० राय :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) अफ़गानिस्तान को निर्यात किये गये भारतीय माल की और उस देश से भारत में आयातित पदार्थों की लागत की कुल राशि ;

(ख) अफ़गानिस्तान को निर्यात किये गये भारतीय मालों के नाम और वहां से भारत में आयातित मालों के नाम; तथा

(ग) क्या विभाजन के बाद अफ़गानिस्तान को भारतीय माल का निर्यात बढ़ गया है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १०**]

(ख) भारत से अफ़गानिस्तान को निर्यात होने वाले मुख्य मुख्य पदार्थ हैं : सूती सामान, चाय भेषजें और दवाइयां, चमड़ा, रबड़ के सामान, नकली रेशम के सामान; और अफ़गानिस्तान से भारत में आयातित पदार्थ हैं : फल और मेवे, हींग, ज़ीरा, पोस्तीन और खालें तथा बिना साफ़ की हुई ऊन ।

(ग) अफ़गानिस्तान को भारत का निर्यात बढ़ रहा है ।

श्री हेम राज : श्रीमान्, पहले कांगड़ा जिले से हरी चाय अफ़गानिस्तान को सीधे सीधे जाती थी, मैं जान सकता हूं कि अब वह सुविधा क्यों बन्द कर दी गई है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे इस प्रश्न के लिये पूर्वसूचना चाहिये ।

श्री जी० पी० सिन्हा : क्या मैं भारत से अफ़गानिस्तान को माल जाने का रास्ता जान सकता हूं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : श्रीमान्, मैं नहीं समझता कि कोई विशेष मार्ग है ।

श्री एस० सी० सामन्त : विवरण बताता है कि अवपात वर्ष प्रति वर्ष निरंतर होता जा रहा है। मैं जान सकता हूं कि क्या निर्यातित माल के बुरे प्रकार के विषय में उस देश से कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मेरे पास एक बहुत लम्बा विवरण है । मैं समझता हूं कि सदन को मेरे द्वारा उस विवरण को पढ़े जाने में कोई रुचि न होगी। सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ की थोड़ी सी कमी को छोड़ वस्तुतः कोई अवपात नहीं हुआ है । जैसा मैं ने बताया साधारणतः वृद्धि हो गई है । कपास के सामान का निर्यात सन् १९४८-४९ में १,२७,४७,००० था, और सन् १९५०-५१ में यह ३,६७,३०,००० था । मेरे विचार से यहां तक इन आंकड़ों का सम्बन्ध है, वे समुद्र और आकाश से भेजे गये मिलों में बने छोटे मोटे सामान थे । सन् १९५१-५२ में यह २,६३,३१,००० थे । मेरे पास पदार्थों की पूरी सूची है, जो मेरे विचार से सदन सविवरण न सुनना चाहेगा ।

अध्यक्ष महोदय : आवश्यक नहीं ।

श्री एस० सी० सामन्त : मैं जानना चाहता था कि क्या उस देश से कोई शिकायतें मिली हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे शिकायतों का कोई पता नहीं है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : श्रीमान्, मैं जान सकता हूं कि क्या भारत और अफ़गानिस्तान के बीच ये काम किसी समझौते

के अनुसार होते हैं और, यदि होते हैं तो उसके क्या निबन्धन हैं ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

ब्रह्मा और भारत के नागरिकों के बीच सीमापार के विवाद

* १६८५ **श्री रिशांग किशिंग :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे

(क) भारत और ब्रह्मा के नागरिकों के तत्संबादी सीमाओं के पार के कितने विवाद जनवरी, १९५० के बाद से सम्बन्धित सरकारों के ध्यान में लाये गये हैं ;

(ख) प्रभावित व्यक्तियों को क्षतिपूर्ति देने के लिये क्या पग उठाये गये थे ;

(ग) सम्बन्धित सीमाओं का उल्लंघन रोकने के लिये क्या कोई यत्न किये गये हैं; तथा

(घ) यदि किये गये हैं, तो वे क्या हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ब्रह्मा और भारत के नागरिकों के बीच का कोई भी सीमा सम्बन्धी विवाद भारत सरकार के ध्यान में नहीं लाया गया है ।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री रिशांग किशिंग : पृष्टव्य यह था कि क्या सरकार को सीमाक्षेत्रों के भारतीय प्रजाजनों और ब्रह्मी प्रजाजनों के विवादों का ज्ञान है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : जी हां, सरकार को सीमा पार के—कुछ इस ओर और कुछ उस ओर के व्यक्तियों के बीच के—विवादों, स्थानीय झगड़ों आदि का ज्ञान है । पर वे झगड़े सीमा के विषय में नहीं हैं ।

श्री बी० एस० मूर्ति : ऐसे मामलों में इन झगड़ों का फैसला करने के लिये क्या साधन प्रयुक्त होता है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य को सीमा सम्बन्धी सरकारी विवादों और सीमा सम्बन्धी निजी विवादों का विभेद याद होगा । मेरी समझ से माननीय प्रधान मंत्री ने निजी विवादों का निर्देश किया था ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को याद रहना चाहिये कि भारत के उत्तर-पूर्व और ब्रह्मा के उत्तर पश्चिम के ये क्षेत्र सहज गम्य नहीं हैं, और यह विवाद बहुत कुछ पारिवारिक स्वरूप के — दो जातियों के बीच के हैं । और ऐसे विवादों के होने पर हम ब्रह्मा सरकार का ध्यान इनकी ओर आकर्षित कर इन पर बातचीत कर लेते हैं । पर उनके लिये निश्चित किया गया कोई साधन नहीं है ।

श्री के० के० बसु : क्या यह विवाद दोनों देशों के प्रजाजनों द्वारा स्वयं सुलझा लेने दिये जाते हैं, या सरकारी स्तर पर कुछ बाधा डाली जाती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : इसके लिये निश्चित नियम नहीं हैं । ये विवाद प्रायः उन क्षेत्रों में होते हैं, जहां नागा आदिम-जातियां रहती हैं । कभी नागाओं के एक झुंड का झगड़ा दूसरे झुंड से होता है और वह आ कर आक्रमण करता है और फिर दूसरा पहले पर धावा कर वापसी चुकाता है । ऐसी बातें स्थानीय अधिकारियों द्वारा ही निपटानी पड़ेंगी । हम किसी को इस मामले को निपटाने के लिये भेज देते हैं या हम ब्रह्मा सरकार को लिख देते हैं । प्रत्येक घटना को अलग अलग निपटाना होता है ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या उस क्षेत्र में ढोर उठा ले जाने के मामले बहुत होते हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरा अनुमान है नहीं । मेरा अन्दाज है कि वहां मुश्किल से कोई ढोर होंगे—शायद एक भी नहीं ।

श्री ए० सी० गुहा : उस ओर के क्षेत्र के प्रायः अप्रशासित होने की दृष्टि में मैं जान सकता हूं कि क्या बह्मा और भारत के बीच कोई निश्चित सीमांकन है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : बात यह है कि भारत ब्रह्मा सीमा के कुछ भाग ठीक से सीमांकित नहीं हैं। मुझे पता नहीं कि इन विवादों का किस विशिष्ट भाग से सम्बन्ध है । यह भी सच है कि दूसरी ओर प्रशासन आजकल विशेष दृढ नहीं है ।

नागा राष्ट्रीय परीषद् द्वारा निमंत्रण

* १६८६. **श्री रिशांग किशिंग :** क्या प्रधान **मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंग :

(क) क्या यह सच है कि उन को नागा राष्ट्रय परिषद् द्वारा नागा पहाड़ियों में आकर वहा के लोगों से मिलने और स्वयं स्थिति समझने के लिये आमंत्रित किया गया है; तथा

(ख) यदि ऊपर के भाग (क) का उत्तर स्वीकारात्मक हो, तो उन्होंने नागा राष्ट्रीय परिषद् को क्या उत्तर दिया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी हां, ऐसा एक पत्र मिला था ।

(ख) प्रधान मंत्री की ओर से दिये गये उत्तर में यह बताया गया था कि इस प्रश्न पर हाल में दो बार नागा-राष्ट्रीय परिषद् के प्रतिनिधियों से बातचीत की गई थी और अब इस बारे में और कुछ कहना शेष नहीं रह गया है । नागाओं की स्वतंत्रता की मांग पूर्णतः अविवेकपूर्ण अव्यवहारिक और अस्वीकार्य है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि क्या प्रधान मंत्री का विचार है कि नागाओ का राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन कम होता जा रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मुझे दूसरे शब्दों में यह कहना था कि क्रमशः हलका होता जा रहा है ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं प्रधान मंत्री से यह जानना चाहूंगा कि क्या नागा आदिम जाति-क्षेत्रों में यह आन्दोलन जोर पकड़ रहा है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मेरी समझ से नहीं ।

श्री रिशांग किशिंग : क्या सरकार को नागाओं के किसी वर्ग से नागा राष्ट्रीय परिषद् की वर्तमान कार्यवाहियों को नापसंद करते हुए कोई अभ्यावेदन मिला है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जी हां, हमें कभी कभी अभ्यावेदन मिले हैं ।

श्री रिशांग किशिंग : मैं जान सकता हूं कि किस दल से ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं सहसा न बता सकूंगा ।

श्री के० के० बसु : नागा लोगों की स्वाधीनता की भारी मांग की दृष्टि में क्या सरकार उनको अपेक्षतया अधिक प्रादेशिक स्वायत्तता देना चाहती है ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : संविधान के अनुसार उन को काफ़ी स्वायत्तता मिली हुई है, और संविधान के अनुकूल उसे और भी यथासंभव बढ़ा देने पर सरकार विचार करेगी ।

श्री सारंगधर दास : मैं जान सकता हूं कि क्या मणिपुर पहाड़ियों के नागा आसाम के इस आन्दोलन के साथ किसी रूप में सम्बन्धित हैं ?

श्री जवाहरलाल नेहरू : जहां तक मुझे विदित हैं, नहीं ।

कपास का सरकारी समूहन

*१६८७. **श्री के० जी० देशमुख** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या शुद्ध कपास को क्रमश: ४२० और ३९६ संख्या की श्रेणियों में इकट्ठा करने के लिये सरकारी समूहनों (पूल्स) का प्रबन्ध किया गया था ;

(ख) यदि किया गया था, तो उन की संख्या और उन में रखे गये कपास की कुल मात्रा; तथा

(ग) क्या समूहनों में एकत्र कपास में सस्ती कपास मिलाये जाने के बारे में सरकार को कुछ शिकायतें मिली थीं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). ४२० और ३९६ संख्या की श्रेणियों में अमार्जित कपास के शुद्ध प्रकारों के समूहन का और उसके निपटारे का उत्तरदायित्व मध्य प्रदेश सरकार के कृषि विभाग का है, जिसके अधीक्षण में यह कपास उगाई जाती है। उस सरकार से पता चला है कि २९ केंद्रों में इन प्रकारों का समूहन हाथ में लिया गया था और एच; ४२० की ३६,१७१ कंडियां और बूरी ०३९४ अमार्जित कपास की २५७० कंडियां एकत्र की गई थीं ।

(ग) मध्य प्रदेश सरकार को एक शिकायत मिली थी, पर जांच पर वह झूठ सिद्ध हुई ।

श्री के० जी० देशमुख : मैं जान सकता हूं कि क्या इस प्रकार के कपास के समूहन का पूरा पूरा उत्तरदायित्व राज्य सरकार का ही है या केन्द्रीय सरकार का भी इस पर कुछ नियंत्रण है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं समझता था कि मैं ने स्थिति स्पष्ट कर दी है मेरा वक्तव्य बिलकुल निश्चयात्मक है ।

श्री के० जी० देशमुख: मैं जान सकता हूं कि क्या दाम निश्चित करने का उत्तर-दयित्व केन्द्रीय सरकार का है और यदि है, तो मैं जान सकता हूं कि क्या केन्द्रीय सरकार ने इस प्रकार के शुद्ध कपास का मूल्य अपेक्षतया अधिक निश्चित किया है ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : इस सम्बन्ध के विवरणों के प्रशासन का उत्तरदायित्व राज्य सरकार के कृषिविभाग का है । श्रेणीविभाजन का उत्तरदायित्व खाद्य तथा कृषि मंत्रालय का है और हमारा सम्बन्ध अन्त में दाम निश्चित करने से है । अत: उत्तरदायित्व क्रमश: कई अधिकारियों में बंटा हुआ है । पर मुझे भय है कि इस विषय में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय पर ही अकेले अकेले उत्तरदायित्व रखने में मैं सहमत नहीं हो सकता ।

डा० पी० एस० देशमुख: क्या सरकार को विदित है कि कभी कपास के ये अपेक्षतया अच्छे प्रकार भी कम दामों में बिके थे और इस सम्बन्ध में उपयुक्त दामों को रखने के लिये सरकार द्वारा क्या पग उठाये गये थे ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : दामों की कुछ न्यूनतम सीमाओं पर हम सहमत हो गये हैं । फिर माननीय सदस्य को विदित है कि मध्य प्रदेश में उगाई जाने वाली प्रकार जरीला मानी जाती है और अन्य श्रेणियों के दाम इससे सम्बन्धित रहते हैं । जरीला

कपास के दाम की न्यूनतम सीमा ५५० रुपये रखी गई है और अन्य दाम इससे सम्बन्धित हैं। यदि ५५० रुपये से कम हो जायें, तो सरकार तुरंत अपना उत्तरदायित्व मानने लगती है।

डा० पी० एस० देशमुख : क्या सरकार को विदित है कि सरकार द्वारा इन अपेक्षतया अच्छी प्रकारों को प्रोत्साहन दिये जाने पर भी, इस वर्ष इस कपास उगाने वाले किसानों को पर्याप्त सहायता नहीं मिली ?

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मुझे मानना चाहिये कि दिल्ली में रह कर हमें व्यापारियों की भावनाओं और कृषकों की प्रवृत्तियों का उतना ज्ञान नहीं जितना माननीय सदस्य को, पर साधारणत: मैं समझता हूं कि स्थिति काफ़ी संतोषप्रद है और इस विषय में मध्य प्रदेश सरकार जो कुछ कर सकती है, उस पर हम निर्भर रहते हैं।

सामुदायिक विकास परियोजनायें

*१६८८. **श्री कृष्ण चन्द्र** : क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या जनवरी १९५२ में संयुक्त राज्य अमरीका और भारत के बीच हस्ताक्षरित ५०० लाख डालर के करार के अधीन चालीसेक देहाती-नगरी विकास क्षेत्र शुरू करने का विचार है ;

(ख) क्या इस विषय में किसी योजना को अंतिम रूप दिया गया है; तथा

(ग) ये क्षेत्र कहां कहां चुने गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). सामुदायिक विकास कार्यक्रम के कार्यवाहक करार संख्या ८ के अनुच्छेद १ तथा २ की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है। इसकी एक प्रति ४ जून १९५२ को श्री के० डी० मालवीय के तारांकित प्रश्न संख्या ४६१ के उत्तर में सदन पटल पर रखी गई थी।

(ख) परियोजनाओं पर १ अक्टूबर तक कार्यारम्भ हो जाने की आशा है, जो रबी की फसल के समयनुकूल रहेगा।

श्री कृष्ण चन्द्र : मैं जान सकता हूं कि क्या इन विकास क्षेत्रों को सामुदायिक परियोजनाओं में सम्मिलित किया गया है।

श्री सी० डी० देशमुख : जी हां, श्रीमान्।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

कोलम्बो योजना के अधीन पुनरीक्षित षड़वर्षीय कार्यक्रम

*१६६८. **पंडित मुनीश्वर दत्त उपाध्याय :** (क) क्या **योजना** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि कोलम्बो योजना के अधीन भारत के पुनरीक्षित षड्वर्षीयकार्यक्रम में अंतर्ग्रस्त व्यय की अंतिम राशि अब क्या है ?

(ख) मूलत: निश्चित राशि क्या थी ?

(ग) योजना में यदि कुछ किया गया हो तो क्या अतिरिक्त कार्य सम्मिलित किया गया है ?

(घ) सामुदायिक परियोजना के लिये अलग रखी गई राशि क्या है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) २,३३४ करोड़ रूपये।

(ख) १,८३९ करोड़ रुपये।

(ग) पुनरीक्षित षड्वर्षीय योजना में कोई बड़ी योजना सम्मिलित नहीं की गई। बढ़े हुए व्यय का अधिकांश मुख्यत: कई ऐसी योजनाओं के कारण है, जिन में सामान्यत: वर्तमान राजस्व से वित्त लगाया गया था, पर जिन को मल योजना में से छोड़ दिया गया था।

(घ) सामुदायिक योजनाओं की लागत अभी कोलम्बो योजना में सम्मिलित नहीं की गई है ।

सूत का नियंत्रण

*१६७१. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि क्या कपास के सूत पर से नियंत्रण हटाने के लिये व्यापारियों की ओर से अभ्यावेदन किये गये हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : कपास के सूत पर से नियंत्रण हटाने के पक्ष और विपक्ष दोनों ही ओर के अभ्यावेदन मिले हैं ?

खड्डी के कपड़े का निर्यात

*१६७२. **श्री एस० वी० रामस्वामी :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार को ज्ञात है कि सलेम तथा दूसरे खड्डी उत्पादन केन्द्रों में खड्डी के माल के ढेर पर ढेर इकट्ठे हो गये हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि सलेम के हाल के खड्डी बुनकर सम्मेलन में यह सुझाया गया था कि सरकार को एक खड्डी निर्यात-वित्त निगम बनाना चाहिये; तथा

(ग) क्या खड्डी के कपड़े के निर्यात में वित्त लगाने की सरकार की कोई योजना है ?

वाणिज्य तथा उद्याग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सरकार को मद्रास राज्य के उत्पादन केन्द्रों में माल के ढेर इकट्ठे हो जाने के वृत्तांत मिले हैं ।

(ख) सरकार ने ऐसा एक प्रेस समाचार देखा है ।

(ग) जी नहीं, श्रीमान्, पर खड्डी के कपड़े के निर्यात को प्रोत्साहित करने के लिये उपाय विचाराधीन हैं ।

भारत में लंका तथा दक्षिणी अफ़्रीका के प्रजाजन

*१६७९. **प्रो० अग्रवाल :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आजकल भारत में लंका के प्रजाजनों की संख्या; तथा

(ख) भारत में दक्षिण अफ़्रीका के श्वेत प्रजाजनों की संख्या ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) तथा (ख) . ठीक आंकड़े विदित नहीं हैं ।

चपड़ा

*१६८९. **श्री जी० पी० सिन्हा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सन् १९५१ और १९५२ में निर्यातित चपड़े की कुल राशि ;

(ख) कौन कौन देश भारतीय चपड़े के प्रमुख आयातक थे ; तथा

(ग) अन्तर्राष्ट्रीय बाज़ार में चपड़े का दाम बढ़ाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) भारत से सन् १९५१ में तथा १९५२ के मई तक के पांच महीनों के समयों में क्रमश: ५,४६,८०२ और १,३२,२५१ हंडरवेट चपड़े का निर्यात किया गया था ।

(ख) प्रमुख आयातक देश थे : इंगलैंड, संयुक्त राज्य अमरीका, सोवियत संघ और ब्राजील ।

(ग) चपड़े का व्यापार नियंत्रित नहीं है और मांग तथा संभरण के सिद्धांत से दुनियां के बाज़ार के दाम निश्चित होते हैं ।

सीमेंट फैक्टरियां

*१६९०. **श्री जी० पी० सिन्हा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) आज कल सीमेंट की कितनी फैक्टरियां काम कर रही हैं ;

(ख) इस उद्योग में विनियोजित कुल पूंजी ;

(ग) आजकल इस उद्योग में लगे हुए कुल मज़दूरों की संख्या ; तथा

(घ) सरकार सीमेंट उद्योग के ऊपर क्या नियंत्रण रखती है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) (क) से (घ). एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या ११**]

आसाम के स्वायत्त पहाड़ी ज़िले

*१६९१. **जनाब अमजद अली** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या आसाम प्रान्तीय कांग्रेस समिति द्वारा आसाम के स्वायत्त पहाड़ी ज़िलों के बारे में पारित संकल्प की ओर सरकार का ध्यान आकर्षित किया गया है ;

(ख) इस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया ; तथा

(ग) क्या सरकार उसे कार्यान्वित करना चाहती है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) संविधान की षष्ठ अनुसूची की कंडिका २० में संलग्न सारिणी के भाग (ख) में स्पष्ट किये गये आदिम जाति क्षेत्रों के बारे में संकल्प का प्रेस वृत्तान्त सरकार ने देखा है । उसे यह संकल्प किसी दूसरे रूप मे नहीं मिला ।

(ख) तथा (ग). संविधान सभा द्वारा बैठाई गई उत्तर-पूर्व सीमा (आसाम) आदिम-जाति तथा बहिर्गत-क्षेत्र-उपसमिति ने सिफारिश की थी कि "केंद्रीय सरकार तब तक आसाम सरकार को अभिकर्ता (एजेंट) बना कर सीमा-प्रदेशों और आदिम जाति क्षेत्रों का प्रशासन करती रहे जब तक प्रशासन पर्याप्त रूप से विस्तृत क्षेत्र में स्थापित न हो जाये । जिन क्षेत्रों में प्रशासन संतोषप्रद रूप में स्थापित हो चुका है, वे केन्द्रीय सरकार की स्वीकृति से प्रांतीय सरकार द्वारा ग्रहण किये जा सकते हैं ।" अंतिम रूप से स्वीकृत संविधान में यह सिद्धांत स्वीकृत किया गया था, पर 'आसाम राज्य' के स्थान पर 'राज्यपाल' रख दिया गया था । अतः वर्तमान स्थिति यह है कि आसाम के राज्यपाल, राष्ट्रपति की ओर से कार्य संभालते हुए इन क्षेत्रों के प्रशासन के लिये उत्तरदायी हैं । अंतिम उत्तरदायित्व केन्द्रीय सरकार का है ।

ये उपबन्ध ध्यानपूर्वक विचार करन के बाद संविधान में रखे गये थे, क्योंकि ऐसा समझा गया था कि इन क्षेत्रों को केन्द्रीय सरकार के विशेष ध्यान और साहाय्य की अपेक्षा हैं । तत्कालीन दशायें बदली नहीं गई हैं और आगे कुछ समय तक बदलने की संभावना भी नहीं है । अतः सरकार संविधान में विहित प्रबन्धों में परिवर्तन करने का कोई कारण नहीं देखती ।

यह वाछनीय है कि राष्ट्रपति के अभिकर्त्ता (एजेंट) के रूप में कार्य करने वाले राज्यपाल और आसाम सरकार के बीच षष्ठ अनुसूची के भाग (ख) में निर्दिष्ट आसाम के इन आदिमजाति क्षेत्रों के प्रशासन के विषय में सहयोग रहे । राज्यपाल को इस सम्बन्ध में आसाम सरकार के संपर्क में रहने का परामर्श

दिया गया है। पर इन आदिमजाति क्षेत्रों में दशायें भिन्न होने के कारण उन पर विशेष ध्यान देना इतना अपेक्षित हो जाता है कि सरकार ने यह आवश्यक समझा कि इन क्षेत्रों का प्रशासन अलग रखा जाये और सीधे केंद्रीय सरकार के नियंत्रण में रहे। सरकार के सम्मुख सर्वप्रथम विचारणीय बात आदिम-जाति क्षेत्रों के इन लोगों का अभ्युत्थान और कल्याण है।

युद्ध हानि क्षतिपूर्ति बीमा निधि

*१६९२. **श्री एस० एन० दास :** क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) वह निधि जिस में युद्ध-हानि-क्षति-पूर्ति-बीमा-निधि की, जो अब समाप्त हो गई है, रोकड़बाकी हस्तांतरित कर दी गई है ;

(ख) नई निधि के लक्ष्य और कार्य-क्षेत्र क्या हैं ; तथा

(ग) इस प्रकार हस्तांतरित कुल राशि कितनी है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) युद्ध हानि क्षतिपूर्ति बीमा निधि अभी चल रही है। इस निधि से कुल राशि का एक नई निधि में, जो उपलब्ध राशि में से दो बनाई गई योजनाओं के लिये वित्त देने के लिये बननी है हस्तान्तरण विचाराधीन है।

(ख) दो योजनायें हैं। पहली योजना के अनुसार चुने गये कमकरों को अधीक्षक कर्मचारीवर्ग में पदोन्नति के योग्य बनाने की दृष्टि से निम्न विषयों में उनके आगे प्रशिक्षण के लिये उनको वित्तीय सहायता दी जायेगी :

१. इंजीनियरी ;
२. ऊन प्रौद्योगिकी ;
३. चमड़ा प्रौद्योगिकी ; तथा
४. रसायन इंजीनियरी और प्रौद्योगिकी।

दूसरी योजना के अनुसार केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा मज़दूरों की दशा सुधारने के लिये पुस्तकालयों और दूसरी मनोरंजन की सुविधाओं का प्रबन्ध करके दो लाख रुपये की राशि व्यय की जायगी।

(ग) युद्ध हानि क्षतिपूर्ति बीमा निधि में, ४ लाख रुपये की रोकड़ बाकी है, जो नई निधि के बनते ही उस में हस्तांतरित कर दी जायेगी।

कोयला उत्पादन निधि

*१६९३. **श्री एस० एन० दास :** क्या **उत्पादन** मंत्री ७ सितम्बर १९५१ के मेरे तारांकित प्रश्न संख्या ८८२ के सम्बन्ध में दिये गये उत्तर का निर्देश करके यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या कोयला-उत्पादन-निधि की, जो अब समाप्त हो गई है, लेखाओं को अंतिम रूप दिया जा चुका है ;

(ख) यदि दिया जा चुका है, तो शेष राशि क्या है ; तथा

(ग) इस राशि को कैसे व्यय करने का विचार है ?

उत्पादन मंत्री (श्री के० सी० रेड्डी) : (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न नहीं उठता।

प्रवर्तन अधिदेश

*१६९४. **श्री झुनझुनवाला :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भूतपूर्व उद्योग तथा रसद मंत्रालय की आंक समिति के प्रवर्तन अधिदेश को बन्द कर देने के सम्बन्ध की सिफारिश पर सरकार द्वारा विचार किया गया है ;

(ख) क्या प्रवर्तन अधिदेश को बंद किया जा रहा है ;

(ग) यदि नहीं किया जा रहा है, तो इस संगठन को बनाये रखने के कारण ; तथा

(घ) दिसम्बर, १९४८ में अपने जन्म से लेकर अधिदेश द्वारा अब तक हाथ में लिये गये मामलों की संख्या और पड़ताल के फल ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) जी हां ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) अधिदेश को कपास-वस्त्रादि तथा लोहा और इस्पात सम्बन्धी आदेशों के प्रवर्तन के लिये बनाया गया था और उन नियंत्रणों के अब भी चलते रहने के कारण वह भी चल रहा है ।

(घ) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १२**]

नियंत्रणों के लिये विभागों पर व्यय

*१६९५. **श्री झुनझुनवाला** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि नियंत्रित पदार्थों का प्रशासन करने वाले मंत्रालय के अधीनस्थ विभागों के संस्थापनों पर सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया जाता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : एक विवरण, जिस में वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा सीधे-सीधे नियंत्रित पदार्थों से सम्बन्धित संघटनों पर गत तीन वित्तीय वर्षों में किया गया कुल व्यय बताया गया है, सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १३**]

इस विवरण में वे मदें नहीं आती हैं, जिन पर नियंत्रण राज्य सरकारों या संविहित संघटनों द्वारा रखा जाता है, और जिन के लिये कोई कर्मचारीवर्ग विशेषत: मंजूर नहीं किया गया है ।

चम्बल घाटी विकास योजना

*१६९६. **श्री तेलकीकर** : क्या **सिंचाई तथा विद्युत** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या गांधीसागर बांध के स्थल में परिवर्तन के बाद चम्बल घाटी विकास योजना पर पुनर्विचार हो रहा है ;

(ख) गांधीसागर बांध में छोड़े गये स्थल पर कितना व्यय किया गया था ; तथा

(ग) क्या नये स्थल पर काम में प्रगति हो रही है ?

योजना, सिंचाई तथा विद्युत मंत्री (श्री नन्दा) : (क) जी हां, श्रीमान् ।

(ख) लगभग १०-१२ लाख रुपये । ठीक आंकड़ों का राज्य सरकार से निश्चय किया जा रहा है और प्राप्त होते ही वे सदन पटल पर रख दिये जायेंगे ।

(ग) जी हां, श्रीमान् । प्रारंभिक काम में प्रगति हो रही है ।

संगमरमर उद्योग

*१६९७. **श्री बलवन्त सिन्हा महता** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार का ध्यान राजस्थान के संगमरमर उद्योग की कठिनाइयों की ओर आकर्षित किया गया है ;

(ख) यदि किया गया है, तो उद्योग के विकास के लिये क्या पग उठाये जा रहे हैं ।

(ग) भारत में सगमरमर का आयात कहां से होता है और प्रति टन पोत से बाहर भेजने की और भाड़े की क्या दरे हैं ;

(घ) भारत में संगमरमर कहां पाया जाता है ;

(ङ) क्या संगमरमर के सभी स्रोतों का उपयोग किया गया है और क्या भारतीय उत्पादन हमारी कुल मांग पूरी कर सकता है ; तथा

(च) संगमरमर के आयात पर रोक क्यों नहीं लगाई गई और इस उद्योग को संरक्षण क्यों नहीं दिया गया ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी): (क) से (च). संगमरमर के आयात की अनुमति नहीं है। शेष सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय में सदन पटल पर रख दी जायेगी।

मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोयला उपकर

*१६९८. **श्री आर० बी० शाह**: क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि श्रम-कल्याणार्थ मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा जिले में कोयला-खानों पर लगने वाले कोयला-उपकर के रूप में गत चार वर्षों में कितनी राशि एकत्र की गई थी और उस कोयला-क्षेत्र में अब तक श्रम-कल्याण के काम में उस में से कितना व्यय किया गया है और उसमें से कितनी राशि किस काम के लिये निक्षेप में पड़ी हुई है ?

(ख) श्रम कल्याण विभाग द्वारा दी गई एक एंबुलेंस और एक चलते फिरते सिनेमा की गाड़ी के अतिरिक्त खान-मजदूरों के कल्याण के लिये अब तक और क्या क्या सुविधायें दी गई हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) छिंदवाड़ा जिले की पेंच घाटी के कोयला-क्षेत्र से गत चार वर्षों में कल्याणार्थ उपकर के रूप में २०,९४,००० रुपये की एक राशि एकत्र की गई थी और उस क्षेत्र में उक्त समय में कल्याण-कार्यों में ७,७२,००० रुपयों की एक राशि व्यय की गई थी। लगभग १३,२२,००० रुपयों की बकाया उसी क्षेत्र में और कल्याण कार्यों के लिये सुरक्षित है।

(ख) दी गई अन्य सुविधायें हैं :–

(१) स्थल पर ही कल्याण सम्बन्धी आवश्यकताओं पर ध्यान देने के लिये एक सहायक निरीक्षक और एक निरीक्षक की नियुक्ति।

(२) लगभग ८३,००० रुपये के वार्षिक व्यय पर मलेरिया-विरोधी कार्यवाहियां।

(३) उन कोयला खानमालिकों को जो निधि द्वारा विहित निर्देशनों के अनुसार औषधालयों का उपबंध करते हैं, सम्बन्धित कोयला खान से बाहर भेजे गये कोयले या पत्थर के कोयले के प्रति टन पर ८ पाई से अधिक दर से साहाय्य-अनुदान।

(४) बारकी के अस्पताल में लगभग २८,००० रुपये की लागत पर एक्सरे यन्त्र का प्रतिष्ठापन।

(५) लगभग ३,००० रुपये प्रति वर्ष की लागत पर सामाजिक शिक्षा।

(६) उन कोयला खान मालिकों को, जो खान मजदूरों के लिये निधि द्वारा विहित निर्देशनों और योजनाओं के अनुसार मकान बनाते हैं ६०० रुपये प्रति मकान की एक अधिकतम राशि के अधीन रहते हुए निर्माण लागत के २० प्रति शत के समकक्ष साहाय्य-अनुदान।

इसके सिवा निकट भविष्य में निम्न कल्याण-योजनाओं को कार्यान्वित करने का विचार है :–

(१) कोयला-क्षेत्रों में लगभग ८६,००० रुपये की लागत पर पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों को शिक्षा तथा मनोरंजन सम्बन्धी सुविधायें प्रदान करने के लियें दो बहुप्रयोजनीय कल्याण केन्द्रों की स्थापना।

(२) ध्वनि-विस्तारक यन्त्रों समेत तीन रेडियो-सैटों को रखना ।

(३) एक ३० शैय्याओं वाले प्रादेशिक अस्पताल व प्रसूति-केन्द्रों और एक अतिरिक्त प्रसूति-केन्द्र की ५,५०,००० रुपयों की अनावर्ती और ९६,००० रुपयों की वार्षिक आवर्ती लागत पर स्थापना । अस्पताल के बनने तक बारकी के अस्पताल की कुछ शय्यायें कोयला-मज़दूरों के ही एकमात्र उपयोग के लिये संरक्षित रखी जायेंगी ।

(४) पेंद्रा रोड के क्षय-सेनीटोरियम की कुछ शय्याओं का कोयला-मज़दूरों के ही एक-मात्र उपयोग के लिये संरक्षण ।

(५) लगभग ९,००,००० रुपये की लागत पर दिगवानी में २०० मकानों का निर्माण ।

खान मालिकों द्वारा बनाये गये बच्चों की देखभाल के केन्द्र

*१६९९. **श्री आर० बी० शाह** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि श्रम कल्याण अधिनियम के अनुसार छिंदवाड़ा ज़िले के खान-मालिकों द्वारा बच्चों की देखभाल के केन्द्र बनाये गये थे और खान-मज़दूरों द्वारा उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है ; तथा

(ख) यदि सच है तो, इसका कारण क्या है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दिल्ली सेवायोजनालय

*१७००. **श्री आर० एस० तिवारी** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि १४, दरियागंज दिल्ली में स्थित सेवायोजनालय में हज़ारों लोगों को धूप और वर्षा में खड़े होकर प्रतीक्षा करनी पड़ती है और वे अपने आप को पंजीबद्ध नहीं करा पाते और जिस के फलस्वरूप उनको निराश होकर लौटना पड़ता है ?

(ख) यदि सच है, तो सरकार इस विषय में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) तथा (ख). दिल्ली सेवायोजनालय में न्यूनतम आच्छादित अधिवास का उपबन्ध किया गया है, जो सामान्य आवश्यकताओं के लिये पर्याप्त है । कभी कभी बेरोज़गारी की बाढ़ आ जाने पर बहुत से आवेदक पंजीयन के लिये सेवा-योजनालय पहुंच जाते हैं, और ऐसे समयों पर कुछ असुविधा हो जाती है । इस स्थिति का सामना करने के लिये पग उठाये जा रहे हैं।

दक्षिण अफ़्रीका में भारतीय

*१७०१. **श्री तेलकीकर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) "वर्ग क्षेत्र" अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिये दक्षिण अफ्रीका संघ सरकार द्वारा लागू की गई मुख्य अधिसूचनायें और विनियमन, जिन्हों ने दक्षिणी अफ्रीका में स्थित भारतीय मूल के व्यक्तियों पर बुरा प्रभाव डाला है ; तथा

(ख) भारतीयों को वस्तुतः क्या कठि-नाइयां झेलनी पड़ती हैं ?

प्रधान मंत्री के सभासचिव (श्री सतीश चन्द्र) : (क) एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १४**]

वर्ग क्षेत्र अधिनियम की एक प्रति तथा भारत सरकार की पुस्तिका "दक्षिण अफ्रीका संघ का वर्ग क्षेत्र अधिनियम—इसका अभि-प्राय" की एक प्रति संसद् के पुस्तकालय में रखी जा चुकी है ।

(ख) अधिनियम के अधीन क्रियाकारी उपायों के अपनाये जाने पर भारतीयों को कुछ निम्नांकित कठिनाइयां उठानी पड़ेंगी :–

(१) पहले-पहले उनके विरुद्ध संविहित पृथक्करण ज़बरदस्ती लागू किया जायेगा ;

(२) उन को न केवल अपने निवास गृह बल्कि अपनी दुकानें आदि भी नये क्षेत्रों म ले जानी पड़ेंगी ;

(३) कुछ नगरों में उनके लिये संरक्षित क्षेत्र अविकसित और मुख्य बस्ती से बहुत दूर हैं। एक मामले में तो भारतीय समुदाय को बस्ती से १० मील दूर एक बूचड़खाने के पास ले जाने का विचार है ;

(४) भारतीयों को वैकल्पिक अधिवास देने के लिये कोई योजना नहीं बनाई गई ;

(५) भारतीयों की सम्पत्ति का मूल्य बहुत गिर गया है। अधिनियम में व्यवसाय के घाटे या सम्पत्ति के अवमूल्यन के लिये क्षतिपूर्ति के लिये कोई उपबन्ध नहीं है।

रेशम

*१७०२. **श्री तेलकीकर**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या भारत में बड़े पैमाने पर रेशम पैदा करने वाला औद्योगिक उपक्रम है ;

(ख) क्या यह सच है कि मैसूर राज्य में रेशम उत्पादन किसानों का सहायक व्यापार है ; तथा

(ग) भारत के किस भाग में शहतूत वृक्षों का रोपण अधिक सफल हो सकता है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) जी हां श्रीमान्। मैसूर, मद्रास तथा जम्मू और काश्मीर में।

(ख) जी हां, श्रीमान्।

(ग) शहतूत के पेड़ धरणवाली और कपास की काली मिट्टी में अच्छी तरह उग सकते हैं और आजकल जम्मू और काश्मीर तथा पूर्वी पंजाब में बहुत उगाये जाते हैं।

चलचित्र जांच समिति की सिफ़ारिशें

*१७०३. **श्री सी० आर० नरसिंहन** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने चलचित्र जांच समिति के प्रतिवेदन की कंडिका १७८, १७९ तथा १८० में की गई सिफ़ारिशों पर विचार किया है ; तथा

(ख) क्या सरकार अपने चलचित्र डिवीज़न के द्वारा बच्चों के लिये उपयुक्त फिल्मों के उत्पादन की कोई योजना बना रही है ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : (क) तथा (ख). जी हां श्रीमान्। बच्चों की फिल्मों के बारे में फिल्म जांच समिति की सिफारिशें विचाराधीन हैं। शिक्षा मंत्रालय से परामर्श करके विद्यालयों में प्रदर्शन के लिये उपयुक्त छोटी फिल्मों के प्रदर्शन की एक योजना तैयार की गई है ; ये फिल्में भारत सरकार के फिल्म डिवीज़न द्वारा ही बननी हैं।

बोरे तथा टाट का कपड़ा

*१७०४. **श्री राजगोपाल राव**: (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ जून १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १२४३ के भाग (ङ) का निर्देश करेंगे तथा यह बतलाने की कृपा करेंगे कि किस आधार पर बोरे तथा टाट के कपड़े की कार्यवाहक लागत क्रमशः ५०० तथा ७५० रुपये निश्चित की गई थी ?

(ख) क्या सरकार ने किसी मिल का वास्तविक कार्यवाहक व्यय जानने के लिये कोई विशेष परीक्षण किया था ?

(ग) किस प्रक्रिया के अनुसार यह परीक्षण किया गया था ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). २६ जून १९५२ को दिये गये मेरे उत्तर में बताये गये उत्पादन-लागतों के आक्कलन किसी लागत-लेखा या किसी मिल के विशेष परीक्षण पर आधारित नहीं थे । उत्पादन लागत के ये आंकड़े व्यापार तथा उद्योग के कुछ प्रतिनिधियों से जांच करने के बाद भारत के रक्षित बैंक द्वारा विभागीय रूप में आक्कलित किये गये थे ।

(ग) प्रश्न नहीं उठता ।

जूट उद्योग का आधुनिकीकरण

*१७०५. **श्री राजगोपाल राव** : (क) क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री निर्यात व्यापार के मुख्य नियंत्रक द्वारा जूट उद्योग में मशीनों के आधुनिकीकरण के बारे में प्रेषित प्रतिवेदन की एक प्रति सदन पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

(ख) क्या उद्योग पंचवर्षीय योजना में सहायता की मांग कर रहा है ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) प्रतिवेदन की एक प्रति सदन-पटल पर रखी जाती है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १५**]

(ख) उद्योग अभी इस विषय की जांच कर रहा है और यद्यपि इसने सरकार और योजना आयोग का ध्यान प्रस्तुत समस्याओं की ओर आकर्षित किया है, जिन में कुछ वित्तीय प्रकार की हैं, फिर भी सहायता के लिये कोई निवेदन प्राप्त नहीं हुआ है ।

समाचार एजेन्सियों को चन्दे

*१७०६. **श्री एच० एन० मुखर्जी** : क्या **सूचना तथा प्रसारण** मंत्री उन समाचार एजेंसियों के नाम बतलाने की कृपा करेंगे जिन की सेवाओं के लिये प्रसारण विभाग द्वारा चंदा दिया जाता है और उन को क्रमशः क्या राशियां चंदे के रूप में चुकाई जाती हैं ?

वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री करमरकर) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है । [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १६**]

लेखन सामग्री तथा मुद्रण का विभागीय समिति की सिफ़ारिशें

*१७०७. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) लेखन-सामग्री तथा मुद्रण की विभागीय समिति की कौन-कौन सिफारिशें सरकार द्वारा निकट भविष्य में कार्यान्वित की जा रही हैं ; तथा

(ख) इनके कार्यान्वित करने का फल क्या होगा ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) विभागीय समिति द्वारा की गई सभी सिफ़ारिशें सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं और उन के कार्यान्वित करने के लिये आदेश निकाल दिये गये हैं ।

(ख) सिफ़ारिशों के कार्यान्वित होने के फलस्वरूप समाहार, भांडार में रखने, रसद तथा लेखा की प्रक्रिया को युक्तिसंगत बनाया जा सकेगा । साथ ही लेखन सामग्री तथा मुद्रण विभाग में २१८ स्थान कम करना सम्भव हो सकेगा, जिस से न्यूनतम वेतन-मापों के आधार पर २,७८,४३९ रुपयों की शुद्ध बचत हो सकेगी ।

आसाम की गारो पहाड़ियों से कपास

*१७०८. **जनाब अमज़द अली :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ९ जून, १९५२ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५७६ के उत्तर का निर्देश करने और यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) निर्यात शुल्क में वृद्धि के कारण गारो पहाड़ियां, आसाम के कपास का दाम कितना गिर गया ; तथा

(ख) क्या गारो पहाड़ियां, आसाम के छोटे रेशे वाले कपास पर अब अच्छे दाम वसूल हो रहे हैं, और यदि हो रहे हैं, तो कितने ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) सन् १९५१-५२ में निर्यात शुल्क में कोई वृद्धि नहीं हुई थी ।

(ख) अब इस पर ७८ रुपये प्रति मन वसूल हो रहे हैं ।

कोयला खानों में छतों के गिरने का रोकना

*१७०९. **श्री बिट्टल राव** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) हैदाराबाद राज्य में कोठागुडियम, बेलमपल्ली और सास्ती (बल्लमरशाह) की कोयला खानों में रेत क्यों इकट्ठा नहीं किया जा रहा है; तथा

(ख) गड्ढों में निरन्तर छतों का गिरना रोकने के लिये कौन से उपाय काम में लाये जा रहे हैं ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि) : (क) इन खानों में कोयले की तहाई उसकी भारी लागत के कारण युक्तियुक्त रूप में व्यवहार्य नहीं है; न इसे अनिवार्य ही समझा जाता है क्योंकि कोयले की तह अधिकांश रूप से मोटी नहीं होती है ।

(ख) स्तंभ-रहित क्षेत्रों में आरे से कटी लकड़ी के आस पास रखे हुए अरों से सहारा पहुंचाया जाता है । अरों के बीच में आधार रखे जाते हैं और छत को सहारा देने के लिये अरों के बीच में बहुधा आर-पार छड़ें रखी जाती हैं । विकास कामों में छत प्रायः बिना सहारे ही रुकी रहती है, पर जहां उसे कमज़ोर समझा जाता है, वहां आधारों और आर-पार की छड़ों के सामान्य तरीके या महत्वपूर्ण मार्गों के विषय में दीवालों और आर-पार की छड़ों के उपायों को अपनाया जाता है ।

पाकिस्तान में गुरुद्वारे

३९०. **सेठ गोविन्द दास** : (क) क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे कि पाकिस्तान में सिक्खों के गुरुद्वारों की रक्षा के लिये और पाकिस्तान स्थित पवित्र तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिये सुविधायें दिलाने के सम्बन्ध में क्या पग उठाये गये हैं ; तथा

(ख) सन् १९५१-५२ में कितने सिक्खों को अपने तीर्थ स्थानों की यात्रा के लिये अनुमति मिली थी ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) १९ सितम्बर, १९४७ को भारत और पाकिस्तान में स्थित पूजा स्थानों की पवित्रता के संरक्षण और उनके उचित रूप में बनाये रखने के लिये भारत और पाकिस्तान सरकारों के बीच एक करार हुआ था । आगे बातचीत के फलस्वरूप दोनों इस बात में सहमत हो गये कि सांप्रदायिक दंगों के समय नष्ट हुए सभी तीर्थों, मंदिरों, मस्जिदों और दूसरे पूजा-स्थानों की मरम्मत की जाये और सम्बन्धित धर्म के झंडे को छोड़ कर उन पर कोई दूसरा झंडा न फहराने दिया जाए ।

इन क़रारों के होते हुए भी पश्चिमी पाकिस्तान से बहुत से हिन्दू सिख तीर्थों के दुरुपयोग, अपवित्रीकरण और ध्वंस की अनेकों शिकायतें मिली । सन् १९४८ में ८०० तीर्थों की सूची पाकिस्तान सरकार के पास भेजी गई। अपवित्रीकरण आदि की और शिकायतें समय समय पर उस सरकार के पास भेज दी गई हैं। अक्तूबर, १९४९ में भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को सुझाया कि दोनों देशों के तीर्थों के संरक्षण और भावी धारण पोषण के प्रश्न को एक सर्वसाधारण समस्या के रूप में दोनों सरकारों के एक सम्मेलन में विचारा जाये । पाकिस्तान सरकार इस प्रस्ताव पर सहमत हो गई और उसने ठोस प्रस्ताव मांगे । भारत सरकार ने कुछ प्रस्ताव भेजे पर पाकिस्तान सरकार ने फिर विचार कर यह निश्चय किया कि सुविधायें देने के प्रश्न पर पत्र-व्यवहार द्वारा बात की जाये । भारत सरकार ने अपना सुझाव दुहराया है कि एक सम्मेलन बुलाया जाये । पाकिस्तान सरकार ने अभी तक कोई उत्तर नहीं दिया ।

यात्रा के लिये दी गई सुविधाओं का विस्तार: पश्चिमी पाकिस्तान स्थित पुण्य-स्थानों की यात्रा के लिये अमुसलिम यात्रियों के आवेदनों पर भारत सरकार पाकिस्तान स्थित अपने उच्चायुक्त के द्वारा पाकिस्तान सरकार से बात करती है । साधारणतः दूसरी सरकार को आज्ञा देने तथा निम्न बातों के लिये आवश्यक प्रबंध करने के लिये २ महीनों की स्पष्ट पूर्वसूचना दी जाती है: (१) यात्रा तथा पश्चिमी पाकिस्तान में उनके ठहरने के काल में यात्रियों की सुरक्षा, (२) यातायात, (३) अधिवास (४) भोजन तथा अन्य दूसरी बातें जो आवश्यक समझी जायें । यातायात, भोजन तथा अधिवास आदि के प्रबन्ध यात्रियों के व्यय पर किए जाते हैं ।

(ख) १९५१ ६४१ सिख यात्रियों को आज्ञा दी गई थी, पर केवल ६०६ तीर्थ यात्रा पर गए ।

१९५२—१ जनवरी, १९५२ से १९ जून, १९५२ तक ४६० ।

सौमनस्य अधिकारी, आसनसोल के पास शिकायतें

३९१. **श्री अब्दुलसत्तार** : क्या **श्रम** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) सौमनस्य अधिकारी, आसनसोल के पास गत वर्ष आई शिकायतों की संख्या; तथा

(ख) निपटाये गये मामलों की संख्या तथा अभी निपटारे के लिये पड़े हुए मामलों की संख्या ?

श्रम मंत्री (श्री वी० वी० गिरि): (क) २३४।

(ख) २१२ निपटाये गये। २२ मामलों में सौमनस्य असफल रहा । निपटारे के लिये कोई भी मामला पडा हुआ नहीं है ।

दिल्ली के विस्थापित व्यक्ति

३९२. **श्री राधा रमण** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के थोड़े से पहले या पीछे से लेकर अब तक दिल्ली में आये हुए विस्थापित व्यक्तियों की संख्या ;

(ख) उन की प्रान्त वार संख्या— पश्चिमी पंजाब, पूर्वी बंगाल, सीमा प्रान्त, सिंध तथा अन्य क्षेत्रों के लिये अलग अलग ;

(ग) उनमें से कितने पुरुष, स्त्रियां और बच्चे हैं; तथा

(घ) उनमें से कितने पंजीबद्ध हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) ५,०९,७६७ ।

(ख) तथा (ग). सूचना एकत्र की जा रही है और यथा समय में सदन पटल पर रख दी जायेगी ।

(घ) माननीय सदस्य का ध्यान १९-५-१९५२ को मेरे द्वारा दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७ के भाग (क) के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

विस्थापित व्यक्तियों के लिये अधिवास

३९३. **श्री राधा रमण :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में आये हुए कितने विस्थापित व्यक्ति सरकार द्वारा दिये गये अधिवासों में रह रहे हैं ;

(ख) उन में से कितनों को एक से अधिक मकान मिला है ;

(ग) नियतन पाने के बाद कितनों ने अपने मकानों और दुकानों को बेच दिया या किराए पर उठा दिया है ; तथा

(घ) उन में से कितनों को अभी सरकार द्वारा अधिवास दिये जाने हैं ?

पुनर्वास मंत्री (श्री ए० पी० जैन) : (क) और (घ). माननीय सदस्य का ध्यान १९ मई, १९५२ को मेरे द्वारा दिये गये ज्ञानी जी० एस० मुसाफ़िर के तारांकित प्रश्न संख्या ७ के उत्तर की ओर आकर्षित किया जाता है ।

(ख) और (ग). नए बने मकानों से संबन्धित वांछित सूचना एकत्र की जा रही है । निष्क्रमणार्थी-मकानों के बारे में उसी व्यक्ति को एक से अधिक मकान का नियतन नहीं दिया जाता, पर जब कोई झूठे बहाने करके एक से अधिक मकान प्राप्त कर लेता है, तो जांच के बाद नियतन को रद्द कर दिया जाता है । ऐसे ५२१ मामले ध्यान में आये हैं, जिन में विस्थापित व्यक्तियों ने २३ नवम्बर, १९४९ के बाद निष्क्रमणार्थी-आवासों का अधिकृत हस्तांतरण कर दिया था । साधारण नीति अनधिकृत निवासियों को निकाल देने की है, पर वस्तुत: दयनीय मामलों में उनके अधिकार को पक्का कर दिया जाता है या वैकल्पिक अधिवास दे दिया जाता है ।

पाकिस्तान से करार

३९४. **श्री दामी :** क्या **प्रधान मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) विभाजन के समय से अब तक भारत और पाकिस्तान के बीच हुए करारों की संख्या ; तथा

(ख) पाकिस्तान सरकार द्वारा इन में से प्रत्येक करार का किस सीमा तक पालन किया गया है ?

प्रधान मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) लगभग ३६ ।

(ख) प्रत्येक करार मे विविध विषयों से संसक्त अनेक खंड होते हैं । कुछ मामलों में पाकिस्तान सरकार द्वारा करारों का पालन किया गया है । दूसरे मामलों में या तो दोनों सरकारें कुछ उपबन्धों के अर्थ निर्णय में असहमत रही हैं या पाकिस्तान सरकार द्वारा उपबन्धों का पालन संतोषप्रद नहीं रहा है ।

राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के भवन

३९५. **श्री तेलकीकर :** क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) राज्यों के भूतपूर्व नरेशों के उन भवनों के नाम, जिन का सरकार

द्वारा सार्वजनिक या अर्द्ध-सार्वजनिक काम के लिये अधिग्रहण कर लिया गया है ; तथा

(ख) उनका किस विशिष्ट काम में उपयोग होता है ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : (क) तथा (ख). अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १७**]

रबड़

३९६. **श्री बादशाह गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री भारत में उन स्थानों के नाम, जहां रबड़ पैदा होती है तथा मश: सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में पैदा हुई रबड़ की मात्रा तथा मूल्य बतलाने की कृपा करेंगे ?

वाणिज्य तथा उद्योग उप मंत्री (श्री करमरकर) : एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १८**]।

कलकत्ते की जूट मिलें

३९७. **श्री राजगोपाल राव** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) कलकत्ते में जूट मिलों के मजदूरों—स्त्री और पुरुष दोनों—की संख्या और काम करने वाले तकलों की वास्तविक संख्या ; तथा

(ख) मिलों में (हफ्ते में ४२-१/२ घंटे काम होने पर) जूट की दैनिक खपत तथा बोरे तथा टाट दोनों के रूप में प्रति दिन बनने वाली मात्रा टनों में ?

वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री (श्री टी० टी० कृष्णमाचारी) : (क) तथा (ख). सूचना संलग्न विवरण में दी गई है। [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या १९**]

नई दिल्ली में सरकारी होस्टल

३९८. **श्री के० सी० सोधिया** : क्या **निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री** यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नई दिल्ली के सरकारी होस्टलों से सन् १९५०-५१ और १९५१-५२ में हुई कुल आय-व्यय ;

(ख) प्रत्येक में उपलब्ध अधिवास तथा प्रत्येक में लिये जाने वाले (१) किराये तथा (२) भोजन-व्यय की राशि ; तथा

(ग) इन होस्टलों में भोजन व्यवस्था करने वाले ठेकेदारों के ठेकों के क्या निबन्धन हैं ?

निर्माण, गृह-व्यवस्था तथा रसद मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) : अपेक्षित सूचना देने वाला एक विवरण सदन पटल पर रखा जाता है [**देखिये परिशिष्ट ८, अनुबन्ध संख्या २०**]

Friday 11, July, 1952

अंक ३

संख्या १

सत्यमेव जयते

संसदीय वाद विवाद

1st Lok Sabha (First Session)

लोक सभा

शासकीय वृत्तान्त

हिन्दी संस्करण

भाग २--प्रश्न और उत्तर से पृथक कार्यवाही

विषय-सूची

समिति के निर्वाचिन--

केन्द्रीय पुरातत्व परामर्शदात्री पर्षद् [पृष्ठ भाग २४२७]

अखिल भारतीय प्रविधिक शिक्षा परिषद् [पृष्ठ भाग २४२७--२४२८]

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८]

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट [पृष्ठ भाग २४२८—२४२९]

भारतीय चिकित्सा अनुसन्धान परिषद् [पृष्ठ भाग २४२९—२४३०]

विनियोग (रेलवेज) संख्या २ विधेयक—पारित [पृष्ठ भाग २४३०—२४३५]

विनियोग (संख्या २) विधेयक—पारित [पृष्ठभाग २४३५—२४७७]

सारभूत वस्तुयें (क्रय अथवा विक्रय पर कर की घोषणा तथा विनियमन) विधेयक—प्रवर समिति को निर्दिष्ट करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त [पृष्ठ भाग २४७७—२४९२]

(मूल्य ६ आने)

391 PSD

Preservation ... Digitized ... Parliament Library

लोक सभा

शुक्रवार, ११, जुलाई, १९५२

सदन की बैठक सवा आठ बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष पद पर आसीन थे)

प्रश्न और उत्तर

(देखिये भाग १)

९–१५ म० पू०

श्री ए० के० गोपालन का वक्तव्य

अध्यक्ष महोदय : अब श्री गोपालन एक वक्तव्य देंगे ।

श्री **ए० के० गोपालन** (कन्नानूर): माननीय प्रधान मंत्री ने ४ जुलाई १९५२ को सदन में भाषण देते समय कहा था —

> "यदि मैं ऐसा कहूं, मैं विपक्षियों में कुछ बुद्धि होने की आशा करता हूं ।"

मेरा निवेदन है कि भाषण के उक्त अभ्युक्तियां सदन की, प्रधान मंत्री की, सारे विपक्षियों की तथा निर्वाचन मण्डलों की गरिमा के विरुद्ध हैं । ऐसी अभ्युक्तियां कुदृष्टांत बन जाती हैं ।

श्री मेघनाद साहा का वक्तव्य

श्री **मेघनाथ साहा** (कलकत्ता उत्तर-पश्चिम) : वाद विवाद के दौरान में ४ जुलाई को प्रधान मंत्री ने मेरे विषय में

छ वैयक्तिक निर्देश करते हुए कहा था कि मैं फासिज्म शब्द को नहीं समझता हूं तथा मैंने वाद विवाद में विज्ञान शब्द का उपयोग कर के उसे अवकृष्ट कर दिया है । उन्होंने कहा था कि विज्ञान से मेरे सारे सम्पर्क छट गये हैं ।

मैं सन् १९२७ तथा सन् १९३६ में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक सम्मेलन में प्रतिनिधि बन कर गया था । वहां मुझे फासिज्म का प्रत्यक्षतया गहन अध्ययन करने का अवसर मिला था । मुसोलिनी ने अन्य प्रतिनिधियों के साथ मुझे भी अपने निवास स्थान पर आमंत्रित किया था । मुसोलिनी के प्रति इटली के प्रसिद्ध वैज्ञानिकों का जो रुख था उसे मैंने देखा । शक्ति से अधिक मादक और कोई वस्तु नहीं होती । उसके कारण मनुष्य "हां जी" "हां जी" कहने वालों से घिर जाता है तथा दूसरों का दृष्टिकोण नहीं देख पाता । मैंने यह नहीं कहा कि हमारी सरकार फासिस्ट बन गई है ।

मैं यह भी कहूंगा कि विज्ञान से मेरा बड़ा सम्पर्क रहा है । इन्टरनेशनल वर्ल्ड आव् साइन्स मुझे पिछड़ा हुआ नहीं समझती है । ठीक एक महीने पहिले अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के आमंत्रण पर मुझे विदेश जाना था । शिक्षा मंत्रालय ने तो विमान यात्रा के लिए मेरी सिपारिश कर दी परन्तु वित्त मंत्रालय ने उसे अस्वीकार कर दिया ।

प्रधान मंत्री का वक्तव्य

प्रधान मंत्री तथा सदन नेता (श्री जवाहर-लाल नेहरू) : श्रीमान्, मैं कुछ शब्द कहने के लिए आपकी अनुमति चाहता हूं क्योंकि पिछले अवसर पर मैंने जो कहा था उस से संबंधित दो वक्तव्य पढ़े जा चुके हैं। क्या मैं पहिले अपने माननीय मित्र प्राध्यापक साहा के कुछ लम्बे वक्तव्य की चर्चा करूं? जैसा कि इस सदन के अन्दर तथा बाहर सब कोई जानते हैं, प्राध्यापक साहा बड़े भारी वैज्ञानिक तथा भौतिकीविद हैं, जिनके कार्य ने इस देश को सम्मान प्राप्त कराया है। विज्ञान में प्राध्यापक साहा की महत्ता अस्वीकार करने का कोई प्रश्न नहीं है परन्तु विज्ञान में उस महत्ता के कारण ही उनसे आशा की जाती है कि वह वैज्ञानिक स्वभाव वे राजनीति के क्षेत्र में भी लाएं। हम विज्ञान को अलग नहीं रख सकते और उसे बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते; अथवा यों कहिये कि राजनीति के वेश में आते समय हम विज्ञान के स्वभाव वैज्ञानिक ढंग और मस्तिष्क के वैज्ञानिक वातावरण को बहुत पीछे नहीं छोड़ सकते। मैंने उस अवसर पर यह कहा था कि माननीय सदस्य ने हमारी सरकार के सम्बन्ध में फासिज्म शब्द का उपयोग किया था उसका मैं विरोध करना चाहता था। श्रीमान यदि आप और सदन सहमत हों तो, उस अवसर पर मैंने जो कहा था उसमें से दो या तीन वाक्य पढ़ कर सुनाऊंगा। मैंने कहा था :—

"अब दूसरी बात यह है और मैं अवश्य बतलाऊंगा—मैं नहीं कहता कि मैं विरोध करता हूं—परन्तु माननीय सदस्यों द्वारा शब्दों के अशुद्ध उपयोग करने के ढंग पर अवश्य आश्चर्य प्रकट करूंगा। उन्हें और अच्छी जानकारी होनी चाहिए। डा० साहा ने, जो महान् वैज्ञानिक हैं, "फैसिस्ट" शब्द का इस प्रकार उपयोग किया जिससे मुझे लगा कि माननीय सदस्य को "फैसिस्ट" शब्द का अर्थ नहीं मालूम। गाली देने के लिए मैं भी उन्हें "फैसिस्ट" कह सकता हूं। परन्तु निश्चय ही यह शब्द अर्थपूर्ण हैं और वैज्ञानिकों द्वारा इनका उपयोग नहीं किया जा सकता यदि वे विज्ञान को नहीं भले हैं तथा उन्होंने अपने विज्ञान से संपर्क नहीं छोड़ा है। वे शिथिल और अस्पष्ट शब्दों का उपयोग नहीं कर सकते। मेरी समझ में यह विज्ञान को नीचे गिराना है। इन्होंने इस सदन में फैसिज़्म के बारे में कहा। क्यों? यहां फैसिज्म क्या है? क्या इस लिए कि हमारे पास विधान मंडल की स्थायी समितियां नहीं है?"

सदन के सामने विषय था कि हम संसद् की स्थायी समितियां बनायें अथवा नहीं। यदि हम चाहें तो अभी भी उन समितियों के लिए रीति बना सकते हैं, परन्तु मुझे यह अवश्य प्रतीत हुआ कि उस संबंध में 'फैसिज्म' शब्द का उपयोग करना पूर्णरूप से तर्कहीन तथा विसंगत था। सदन के अन्य सदस्यों को आदर देते हुए मैं कहता हूं कि यदि अन्य किसी माननीय सदस्य ने फैसिज़्म शब्द का अशुद्ध ढंग से उपयोग किया होता तो शायद मैं ने उसके विषय में अधिक न सोचा होता। परन्तु एक महान् वैज्ञानिक से निश्चित शुद्धता की आशा रखने के कारण उस शब्द के उनके अशुद्ध उपयोग पर मुझे थोड़ा सा आश्चर्य हुआ।

डा० साहा ने हमें बतलाया है कि किस तरह उन्होंने श्री मुसोलिनी द्वारा दी गई पार्टी में सम्मिलित होकर फासिज़्म का ज्ञान प्राप्त किया है। फासिज्म का मेरा अपना ज्ञान श्री मुसोलिनी से दूर रहने में हुआ है। एक अवसर पर जब में रोम

में था, तब श्री मुसोलिनी का निमंत्रण बार बार आने पर भी मैं स्वीकार करने में असमर्थ रहा । परन्तु यह तो छोटी सी बात है । निस्सन्देह ही डा० साहा उसके विरुद्ध अत्यन्त प्रतिक्रियान्वित हो उठते हैं जो फासिज्म समझा जाता है और मुझे आशा है कि सब नहीं तो इस सदन के अधिकांश सदस्य, जो कुछ फासिज्म समझा जाता है, उसके विरुद्ध उतनी ही तीव्रता से प्रतिक्रियान्वित होते हैं । मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि ये शब्द बहुधा भर्त्सनात्मक अर्थ में उपयोग किये जाते हैं अपने विशिष्ट अर्थ में कम । मैं समाचार पत्रों में यह बहुधा देखता हूं । परन्तु हमें तो सुतथ्य बातें कहनी चाहिए ।

इसके पश्चात् डा० साहा ने किसी सम्मेलन का उल्लेख किया जिसके लिए वे आमंत्रित किये गये थे और जिसमें वे न जा सके थे । क्या मैं वह स्थिति स्पष्ट करूं ? यह सच है कि मैं उस सम्मेलन के विषय में कुछ नहीं जानता, परन्तु जैसा कि डा० साहा जानते हैं कि, ऐसे सम्मेलनों में कुछ मनुष्य भेजे जाते हैं और वित्त मंत्रालय के लिये यह स्वाभाविक ही था कि वह प्रार्थनाओं की जांच करे । यह विशेष प्रार्थना आखिरी दम आई थी जब केवल दो अथवा तीन दिन शेष थे और जहां तक मुझे स्मरण है कि वित्त मंत्री ने सोचा कि वे इस विशेष यात्रा की मंजूरी नहीं दे सकते । वे बहुत सी प्रार्थनाओं की मंजूरी दे देते हैं, कुछ की नहीं देते, पर इसका किसी विशेष सम्मेलन से कोई मतलब नहीं होता । वस्तु के प्रसंगानुसार वे कार्य करते हैं । जैसा कि सदन को शायद मालूम है हम बहुत से वैज्ञानिकों को विदेश भेजते हैं, प्राध्यापक साहा बहुधा इन अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में गए हैं तथा सरकार ने हर्षपूर्वक उनके जाने का स्वागत किया

क्या मैं अब पहले वक्तव्य का निर्देश करूं, जिसने मुझे कुछ चकित कर दिया है । मुझे इस बात का हर्ष है कि माननीय सदस्य इस सदन की गरिमा बनाये रखने के इतने उत्सुक हैं । सब माननीय सदस्यों का यह पहला कर्तव्य होना चाहिए । यह विशेष इच्छा पहिले कभी भी शब्दों अथवा क्रिया में व्यक्त की गई नहीं दिखलाई दी । इस कारण वह आश्वासन जान कर मुझे प्रसन्नता हुई है । "यदि मैं ऐसा कहूं, मैं विपक्षियों में कुछ बुद्धि होने की आशा करता हूं " ये शब्द कहकर मैंने सदन की गरिमा के विरुद्ध कार्य किया है; ऐसा समझा जाता है । पहली बात यह है कि यहां का विपक्ष विभिन्न विचारधाराओं के बहुत अधिक वर्गों का तथा उससे भी अधिक स्वतंत्र सदस्यों का है जिनकी विचारधारा भी विभिन्न प्रकार की है । वह एक अकेला समूह नहीं अथवा एक विचारधारा वाला नहीं है । विपक्षियों के विषय में जो कुछ कहा जाय वह संभवतया सब को लागू नहीं होता क्योंकि, शायद एक ऋणात्मक गुण को छोड़ कर जो सब विपक्षियों में पाया जाता है चाहे वे किसी भी वर्ग के हों, वे एक दूसरे से भिन्न होते हैं ।

मैं निवेदन करता हूं कि इस विशेष समय जो कुछ मैंने कहा था वह केवल संसीदय ही नहीं, अपितु भाषा की दृष्टि से भी न्यायसंगत था । मैं भाषा के उपयोग में विशेष सावधान रहता हूं । हां, यह तो संभव है कि मैं यदा कदा गल्तियां करूं । यदि ऐसा होता है तो आप निस्संदेह ही ऐसी अशुद्धि करने वालों का ध्यान आकर्षित कर सकते हैं परन्तु मैं निवेदन करता हूं कि यदि यह भाषा का प्रश्न है तो उन आक्षेपों की सूची बनाना अच्छा होगा जो पिछले कुछ हप्तों में विरोधियों ने सरकार और सदन के इस पक्ष की ओर किए हैं । वह

[श्री जवाहरलाल नेहरू]

बहुत बड़ी शब्दावली बन जाएगी तथा रुचिकर न होगी । हम यहां ऐसे आक्षेपों के विरुद्ध विरोध प्रकट करने के लिए वक्तव्य देने नहीं आए हैं यद्यपि वे सुनने में सुखद न थे । तथ्य तो यह है कि अधिकांश विरोध तो आक्षेपों की माला बन गया है और जब मैं किसी विशेष समय, एक विशेष प्रसंग में, एक विशेष अन्तर्बाधा के बारे में यह कहने का साहस करता हूं कि उसमें कम बुद्धि झलकती है तो माननीय सदस्य द्वारा एक वक्तव्य दिया जाता है ।

माननीय सदस्य उस दिन का प्रतिवेदन पलट कर देखें, वास्तव में वह बात मैंने उनके अथवा उनके वर्ग के विषय में नहीं परन्तु दूसरे महोदय और दूसरे माननीय सदस्य के बारे में कही थी जिनकी शक्ल से यह नहीं मालम पड़ता कि वे शब्द उनके हो सकते हैं तथा जिन्हें मौके बे मौके सुसंगत हो चाहे न हो, टोकने की आदत पड़ी है । डेढ़ मिनिट में उन्होंने मुझे तीन बार टोका और मैं उनके टोकने के कारण या औचित्य को नहीं समझ पाया । इसलिये उस प्रसंग में यह कहने का मैंने साहस किया । यदि विरोध का कोई सदस्य——स्वतंत्र सदस्यों को मिला कर जो मेरी समझ में २५ अथवा ३० वर्गों के हैं——प्रत्येक स्वतंत्र सदस्य स्वयं ही एक वर्ग है——यदि सब के सब उस बात पर बुरा मान जायें जो एक विशेष अवसर के लिए कही गई थी तो भले ही बुरा मान लें । परन्तु निश्चय पूर्वक ही मैं चाहता हूं—— मैं इस विषय में पूर्ण गंभीर हूं —— कि सदन इस पर विचार करे । इस सदन में शिष्टता के अभाव के विषय में बहुत कुछ कहा जा चुका है परन्तु सदस्यों को प्रभावित करने के लिए जिस ढंग से कुछ माननीय सदस्यों ने इस सदन के द्वार पर प्रदर्शन को प्रोत्साहित किया तथा उनमें भाग भी लिया है, वह सदन की अथवा सदन के सदस्यों की गरिमा को नहीं बढ़ाता ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण पूर्व) : यह सब स्थानों में ·····।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैंने उस का विरोध नहीं किया है । मैंने केवल यह बतलाया है कि वह सदन की अथवा सदन के सदस्यों की गरिमा को नहीं बढ़ाता । और जब मैं ऐसे आचरण की आलोचना करता हूं जिसे मैं बहुत शिष्ट नहीं समझता तब मुझ से कहा जाता है कि उससे देश की और इस सदन की गरिमा को धक्का पहुंचता है । मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि जिस प्रकार मैं अंग्रेज़ी भाषा और शिष्ट आचरण को समझता हूं वह विरोध के कुछ सदस्यों की समझ से भिन्न है ।

समितियों के चुनाव

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट और बनारस हिन्दू विश्व विद्यालय के कोर्ट

अध्यक्ष महोदय : मुझे सदन को सूचित करना है कि अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट और बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट के लिए नामनिर्देशन प्राप्त होने की अन्तिम तिथि तक पहले के लिए ३ तथा दूसरे के लिए ५ नामनिर्देशन पत्र प्राप्त हुए थे । बाद में पहले के लिए एक व्यक्ति ने तथा दूसरे के लिए तीन व्यक्तियों ने उम्मेदवारी से अपने नाम हटा लिये । क्योंकि बचे हुए उम्मेदवारों और रिक्त स्थानों की संख्या बराबर थी इसलिये मैं इन सदस्यों को विधिवत् चुना गया घोषित करता हूं :——

अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कोर्ट——

(१) श्री शाहनवाज़ खां ।

(२) मौलाना मुहम्मद समसू **पसूदी** ।

बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय कोर्ट--

(१) श्री रोहनलाल चतुर्वेदी ।

(२) प्रो० दीवान चन्द शर्मा ।

दाण्डिक प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : अब सदन दाण्डिक प्रक्रिया संहिता (द्वितीय संशोधन) विधेयक पर अग्रेतर विचार करेगा । विचार प्रस्ताव कल स्वीकार किया गया था, अब हम उस पर खण्डशः विचार करेंगे ।

पहिले मैं उन सदस्यों से, जिन्होंने संशोधन पेश किये हैं, यह कहना चाहता हूं कि उन्हें इस विधेयक के संशोधनों की व्याप्ति में कुछ भ्रम हो गया है । उन्होंने मान लिया है कि यह विधेयक दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के सारवान उपबन्धों को संशोधित करने के लिए है । वास्तव में इसका क्षेत्र अत्यन्त ही संकुचित है । इसके द्वारा तो केवल यह चाहा जा रहा है कि "armed forces" ["सैन्य बल"] शब्द के अन्तर्गत कुछ निश्चित सेविवर्ग और मिले हुए समझे जायें । इस के द्वारा मजिस्ट्रेटों की सैनिक सहायता लेने की शक्ति में भी परिवर्तन नहीं किया जा रहा है ।

कल विधेयक के सामान्य पहलू पर काफी वाद विवाद हो चुका है । परन्तु आज जहां तक खण्डों के विशिष्ट उपबन्धों का संबंध है मैं उन संशोधनों को स्वीकार नहीं करूंगा जो स्पष्ट रूप से नियम विपरीत हैं अथवा जो विधेयक की सीमा के बाहर हैं ।

अब मैं विधेयक को खंडशः लूंगा और प्रत्येक खंड सम्बन्धी संशोधन को लूंगा । संशोधनों को अनियमित घोषित करते समय में नियमबाह्य करने के सामान्य आधार नहीं दुहराऊंगा ।

खंड २ (धारा १२८ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : श्री चाको का संशोधन है ।

श्री पी० टी० चाकोमीनाचिल : मैं उसे प्रस्तुत नहीं करता ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे यह कहने की आवश्यकता नहीं कि वह नियमविपरीत है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी (मैसूर) : मैंने खंड २ के लिए संशोधन प्रस्तुत किया है ।

अध्यक्ष महोदय : इस संशोधन के विषय में मुझे शंका है । इन का संशोधन यह है —

पृष्ठ १, पंक्ति ६ में "शब्दों और अंकों के लिए" के पहिले ये शब्द रख दीजिये-- " 'अथवा यदि इस प्रकार आज्ञा दिए बिना वह इस प्रकार आचरण करता है कि जिस से छिन्न भिन्न न होने का निश्चय दिखलाई पड़े' ये शब्द छोड़ दिए जायेंगे" मैं जानना चाहता हूं कि यह विधि के सारवान उपबन्धों का संशोधन क्यों न समझा जाय ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा संशोधन यह है कि धारा १२८ में से ये शब्द हटा दिए जाएँ-- "अथवा यदि इस प्रकार आज्ञा दिए बिना वह इस प्रकार का आचरण करता है जिससे छिन्न भिन्न न होने का निश्चय दिखलाई पड़े" ।

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): श्रीमान् क्या मैं जान सकता हूं कि माननीय सदस्य औचित्य प्रश्न पर बोल रहे हैं अथवा अपने संशोधन पर क्योंकि मैं कुछ कहना चाहता हूं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि वे औचित्य प्रश्न पर बोलें । मैं जानना चाहता था कि उनका संशोधन किस प्रकार विधेयक

[अध्यक्ष महोदय]

की व्याप्ति में है। उनका संशोधन अधिनियम की १२८ धारा से संबंधित है तथा वे धारा के वे शब्द हटवाकर अधिनियम के सारवान उपबन्धों का संशोधन करना चाहते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा निवेदन है कि यदि वे शब्द न हटाए जायेंगे तो अवैध जमाव के विरुद्ध प्रयोग किया गया सब बल आतंक पैदा कर देगा और——

अध्यक्ष महोदय : शान्ति शान्ति। इन्हें भय है कि यदि सशस्त्र बल के अंतर्गत विमानबल और नौबल भी मिला समझा गया तो वह लोगों के लिए पीड़ादायक हो जायगा इस कारण वे कुछ संरक्षण चाहते हैं। पर इनका संशोधन तो हुआ अधिनियम के सारवान उपबन्धों का ही संशोधन। ये "सेना" और "सशस्त्र बल" की व्याख्या के विस्तार के विरुद्ध हैं और संशोधन द्वारा उसे संकुचित बनाना चाहते हैं। इस दशा में वे उस खंड के विरुद्ध मत दे सकते हैं। परन्तु इनका संशोधन अधिनियम के सारवान उपबन्धों को परिवर्तित करता है इसलिए वह नियमविपरीत है।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : यदि किसी विधेयक द्वारा धारा में कुछ ऐसे शब्दों को जोड़ कर किसी धारा को संशोधित किया जाय जो उसमें सारवान् परिवर्तन कर ' देते हैं और कुछ भयास्पद परिणामों को बचाने के लिए यदि हम सोचते हैं कि वह धारा अन्य प्रकार से परिवर्तित कर दी जाय तो क्या आप उस संशोधन को नियम विपरीत घोषित कर देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य के तर्कों में ही उत्तर स्थित है। यदि किसी धारा में परिवर्तन किया जाता है तो उनके तर्क के अनुसार, उस पर सदन बोल सकता है।

डा० ए० स० पी० मुखर्जी : अर्थात् वह नियमविपरीत नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : फिर भी संशोधन को संशोधी विधेयक के क्षेत्र के भीतर होना आवश्यक है। इसलिए केवल इस कारण कि संशोधन के लिए किसी धारा को छआ जाता है, माननीय सदस्यों को आज्ञा नहीं मिल जाती कि वे ऐसे संशोधन प्रस्तुत करें जो धारा के अन्तर्गत तो होते हैं परन्तु खास विधेयक के क्षेत्र के बाहर होते हैं। यह भेद ध्यान में रखना पड़ेगा क्योंकि संशोधन, विधेयक के उस खण्ड का होना चाहिए जो सदन के सामने हो।

डा० एस० पी० मुखर्जी : सदस्य को सुने बिना आप कैसे विनिश्चय कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : स्पष्ट है। मैं पहले विधेयक का क्षेत्र निश्चित करता हूं। यहां 'सेना' और 'सशस्त्र बल' के अर्थ को व्यापक बनाना है। इस विषय का कोई भी संशोधन किया जा सकता है परन्तु इस लिए कि 'सशस्त्र बल' का अर्थ व्यापक बनाया जा रहा है, दण्ड प्रणाली संहिता की सारी योजना को नहीं छेड़ा जा सकता।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि प्रस्तावक उसे केवल विमान बल और नौबल पर लागू करे तो वे ग्राह्य होंगे ?

अध्यक्ष महोदय : सामान्य रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता। परन्तु प्रस्तावक ने तो इस रूप में अपना संशोधन प्रस्तुत नहीं किया है।

डा० काटजू : श्रीमान मैं कुछ निवेदन करूं ?

अध्यक्ष महोदय : क्या वह आवश्यक है। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि संशोधन नियमविपरीत है ।

डा० काटजू : धारा में अभी सशस्त्र बल की सहायता लेने का उपबन्ध नहीं है हम वह उपबन्ध चाहते हैं। जो संशोधन किया जा रहा है उसका प्रस्तुत विधेयक से कोई सम्बन्ध नहीं है ।

श्री एन० सोमना (कुर्ग) : यहां असैनिक बल के उपयोग का निर्देश है उसका सैनिक बल से कोई संबंध नहीं है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : मंत्री जी ने अब जो कहा है उससे स्थिति बदल जाती है ——

अध्यक्ष महोदय : निर्वचन मैं कर रहा हूं । मंत्री जी का निर्वचन ठीक हो, फिर भी उस पर तर्क करना असंगत है। मेरे अनुसार संशोधन नियमविपरीत है ।

श्री दामोदर मेनन (कोझिकोडि) : ग्राह्यय बनाने के लिए क्या आप संशोधन में परिवर्तन करने देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जब तक सदन सारतः सहमत न हो, कोई नया संशोधन नहीं करने दिया जायगा ।

अध्यक्ष महोदय : मैं चाहता हूं कि जो तर्क कल किये गये थे उनकी पुनरावृत्ति न कर ही वादविवाद सीमित हो ।

डा० संका सुन्दरम् (विशाखपटनम) : मेरे विचार से यह प्रश्न परिभाषा का है । मेरा मत है कि शासन बल पर आधारित होता है और उसे संशोधन द्वारा प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता । मेरी समझ में कुछ कांग्रेसियों द्वारा हवाई तथा जहाजी बमवारी सम्बन्धी वक्तव्य देने से सारी कठिनाई हुई है । मैं संशोधन संख्या २० की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूं । यदि इस संशोधन को सरकार मान ले तथा विमान बल और नौबल को स्थल सेना के सामान्य सैनिकों की भांति उपयोग करे तो सारी कठिनाई मिट जायगी। पंडित ठाकुर दास भार्गव यदि माननीय सदस्य के वक्तव्य का विश्लेषण करें तो अर्थ यह होगा कि १२८ धारा के अंतर्गत सशस्त्र बल का उपयोग किया जा सकता है परन्तु १२८ धारा में तो केवल नागरिकों की सहायता का उल्लेख है, फौजों का नहीं ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : स्थिति यह है कि १२८ धारा के अंतर्गत सशस्त्र बल का उपयोग नहीं किया जायगा । इसे संशोधन संख्या २० से संशोधित किया जा रहा है । यदि यह संशोधन किया गया तो स्थिति और बिगड़ जायगी । इसलिए मैं सोचता हूं कि इस खण्ड को या तो ज्यों का त्यों रखा जाय अथवा खण्ड २ के अनुसार संशोधित किया जाए ।

श्री राधवाचारी (पेनुकोंडा) : कल मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में कहा था कि उनकी इच्छा यह नहीं है कि संशोधित दाण्डिक प्रक्रिया के अनुसार सशस्त्र बलों का प्रयोग उस ढंग से किया जाय जिसकी आशंका है । परन्तु हम जानते हैं कि जब ऐसी भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका अर्थ सब बलों का सब प्रकार से प्रयोग करना हो तब इस प्रकार की पवित्र घोषणा का कोई लाभ नहीं है । क्योंकि इसका निर्वचन तो दण्डाधीश करेगा । इसलिए यह उचित नहीं कि ऐसा वक्तव्य देकर भी वह भाषा न बदली जाय जिसका निर्वचन आशंकित प्रकार से किया जा सके। गृहकार्य मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे संशोधन की भाषा इस प्रकार बदल दें जिससे कि उसका वही अर्थ हो जैसा वे चाहते हैं ताकि उसका वैसा ही निर्वचन हो ।

उचित तो यह है कि वैसी भाषा का प्रयोग किया जाय जिसका केवल एक विशिष्ट अर्थ हो तथा वह सरकार के विचारों के

[श्री राधवाचारी]

अनुकूल हो। यह कहने से कि 'सेना' के स्थान पर 'सशस्त्र बल' रख दीजिये, कोई बात स्पष्ट नहीं होती। इससे केवल सशस्त्र बलों को विस्तृत अधिकार मिल जाते हैं। मंत्री जी कहते हैं कि विमान बल और नौबल केवल सेना की भांति प्रयोग किए जाएंगे। यह सब विधेयक में कहां है? विधि के अनुसार तो इस तरह भयंकर शस्त्रों का प्रयोग किया जा सकता है। इसी की हमें आशंका है।

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य के भाषण में बाधा नहीं देना चाहता परन्तु अब कल के वाद विवाद की पुनरावृत्ति हो रही है। आप ने एक बात बिलकुल ठीक कही है। वह यह की मंत्री जी वैसी भाषा का प्रयोग करें जो उन के अभिप्राय को व्यक्त करे तथा केवल वैसा ही उसका निर्वचन हो सके।

श्री नम्बियार (मयूरम) : यदि माननीय मंत्री जी द्वितीय खण्ड को इस प्रकार से संशोधित करना चाहते हैं कि उसका प्रयोग सीमित क्षेत्र में हो तो मैं निवेदन करता हूं कि धारा १२९ के प्रथम खण्ड में भी इसी प्रभाव को व्यक्त करने वाले शब्द जोड़ दिए जाएं। अतः डा० लंका सुन्दरम् द्वारा सुझाया गया संशोधन स्वीकृत कर लिया जाये जिससे कि द्वितोय खण्ड जिसका संशोधन होना है, उसके अनुरूप बन जाए।

अध्यक्ष महोदय : मैं इस प्रश्न पर और अधिक चर्चा आवश्यक नहीं समझता।

श्री **वल्लातरास** (पुदुकोट) : मंत्री जी के वक्तव्य से मैंने यह समझा है कि विमान बल तथा नौबल का प्रयोग स्थल सेना की भांति होगा अर्थात् वे विमान और जहाज से बमबारी न करेंगे। यदि मंत्री जी के भाषण से इसकी प्रत्याभूति हो जाती है तो न्यायालय में निर्वचन के समय इस भाषण का उद्धरण दिया जा सकेगा।

कई माननीय सदस्य : नहीं नहीं।

अध्यक्ष महोदय : मेरा निर्वचन किसी न्यायालय पर बन्धनकारी न होगा। इसके निर्वचन का प्रश्न तो तब उठेगा जब किसी पदाधिकारी के वैधिक उत्तरदायित्व का प्रश्न उठेगा। मैं इन बातों में आगे नहीं जाऊंगा परन्तु मुझे निश्चय है कि मंत्री जी ने इस विधेयक के प्रवर्तन के विषय में जो कहा है वह कार्यपालन अनुदेशों में मिला लिया जायगा।

डा० काटजू : अवश्य ही।

डा० एस० पी० मुखर्जी : वे विशेष खंड का संशोधन करने के लिए तैयार हैं। यह कार्यपालन अनुदेशों का प्रश्न नहीं है।

डा० काटजू : यह प्रश्न आपके सामने सम्यक् रूप से विधेयक के पृष्ठ २ पर आएगा जहां पर व्याख्या खंड है और हम 'सशस्त्र बल' आदि वाक्य के अर्थ पर व्याख्या खंड के अन्तर्गत चर्चा करेंगे--और मैं सोचता हूं कि उस पर कुछ संशोधन दिये गये हैं और इस अध्याय में जहां कहीं 'सशस्त्र बल' शब्द आये हैं उनके स्पष्ट अर्थ का वहां पता लगा लेंगे।

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला-भटिंडा): क्या मंत्री जी नहीं बतलायेंगे कि वे तब क्या कहेंगे। यदि बतला देते तो उसकी सहायता से हम दूसरे खण्डों पर चर्चा कर सकते।

अध्यक्ष महोदय : वह व्याख्या खंड है।

डा० काटजू : और उसमें पहिले से ही दो संशोधनों की सूचना दी गई है। पहला सरदार हुक्म सिंह का और दूसरा श्री देशपांडे जी का है और जब ये संशोधन आएंगे तब म

कल दिए गये आश्वासनों पर टिका रहूंगा कि नौ बल और विमान बल जहाज और विमान से प्रयोग नहीं किए जाएंगे। वे स्थल सेना की भांति प्रयोग किए जाएंगे। सारा प्रश्न यह है कि जब ये संशोधन आएंगे तब हम देखेंगे कि आप संतुष्ट होंगे अन्यथा आप इसे विधेयक में सम्मिलित कर दीजिये।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यह तो इन्हें सोचना चाहिए कि क्या व्याख्या खंड के अन्तर्गत उस पर विचार किया जाय। मेरा निवेदन है कि दाण्डिक प्रक्रिया संहिता में विमान बल और नौ बल की जो व्याख्या हैं उसे हम एक दम नहीं बदल सकते।

डा० काटजू : सशस्त्र बलों की वह व्याख्या दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के केवल इसी अध्याय के लिए होगी। हम नौ बल अधिनियम और सेना अधिनियम को नहीं छेड़ रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : जब संशोधन आयेग तब हम उसे देखग और जांचेंगे कि वह नियम-विपरीत है अथवा नहीं। अभी मैं उस पर कोई निश्चित मत व्यक्त नहीं करता। अभी तो—— प्रश्न यह है कि :

"खण्ड दो विधेयक का अंग बन"।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड दो विधेयक का अंग बना लिया गया।

खंड ३ (धारा १२९ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय : मैं अब खण्ड ३ पढ़ूंगा। वह इस प्रकार है :

"**अधिनियम ५ सन् १८९८ की धारा १२९ का संशोधन**— मूल अधिनियम की धारा १२९ में 'सैनिक बल' " के स्थान पर 'सशस्त्र बल' शब्द रखे जाएं।"

श्री गोपालन का संशोधन नियमविपरीत है। घोषणा के अंतर्गत जब कभी आपात होना उसके लिए शक्ति के प्रयोग पर निर्बन्धन रखने का ये प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मूल संशोधन द्वारा नौ बल तथा विमान बल का उपयोग चाहा जा रहा है। विशेष संभावना के लिए उसके उपयोग को सीमित करने के लिए क्या हम संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : उस संशोधन को आने दीजिये मैं उस पर विचार करूंगा।

श्री **एस० एस० मोरे :** मैं श्री गोपालन के संशोधन के बारे में कह रहा था।

अध्यक्ष महोदय ; जो वे कह रहे हैं वह सर्वथा भिन्न वस्तु है।

श्री ए० के० गोपालन : मैं यह स्पष्ट करना चाहता था कि वह उसके बारे में था जहां तक कि केवल विमान बल और नौ बल का संबधं है।

अध्यक्ष महोदय : सारवान उपबन्धों का संशोधन करने के कारण वह नियम-विपरीत है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : खंड ३ सम्बन्धी एक संशोधन की सूचना मैं ने दी है। कृपया सूची संख्या चार, संशोधन संख्या १८ देखिये।

अध्यक्ष महोदय : श्री गुरुपादस्वामी जी 'उच्चतम श्रेणी का न्यायाधीश' के स्थान पर 'प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश' शब्द रखना चाहते हैं। यह संशोधन भी मेरे विनिर्णय के अन्तर्गत आता है और अधिनियम के सारवान उपबन्धों को छेड़ने के कारण नियम विपरीत है। गुण के आधार पर भी यह वांछनीय नहीं मालूम होता। क्योंकि शब्द बदल देने से उन स्थानों में कठिनाई होगी जहां प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश होते ही नहीं अथवा प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट होते हैं।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : विधेयक न्यायाधीश को अधिक शक्ति देता है इसलिये मैं ने आवश्यक समझा कि अधिक उत्तर-दायी व्यक्ति ....।

अध्यक्ष महोदय : मैं संशोधन के गुणों के बारे में नहीं बोल रहा हूं। मेरा मुख्य कहना तो यह है कि अधिनियम के सारवान उपबन्धों को छेड़ने के कारण यह नियम विपरीत है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : देश में जहां प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश नहीं होते वहां जिला न्यायाधीश होते हैं और वे प्रथम श्रेणी के कार्यकारी न्यायाधीश होते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप गुण के आधार पर अपना संशोधन चाहते हैं परन्तु वह कथन तो मैं ने सहज ही में कर दिया था उस का मेरे विनिर्णय से कोई सम्बन्ध नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करना चाहता हूं क्यों-कि मैं सोचता हूं कि 'सशस्त्र बल' केवल प्रथम श्रेणी के न्यायाधीश द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिये। मुझे भय है कि सामान्य न्यायाधीश उस का अंधाधुंध प्रयोग करेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य फिर से संशोधन के गुणों पर बोल रहे हैं। मैं कह चुका हूं कि संशोधन ।

श्री वैलायुधन (क्विलोन व मावेलिक्करा-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : माननीय सदस्य को क्या आप संशोधन पर बोलने तक न देंगे ?

अध्यक्ष महोदय : जो नियम विपरीत है उस पर नहीं बोलने दिया जा सकता। इस विषय का दूसरा पहलू भी है। कल माननीय सदस्य ने सब पहलुओं पर बोलने में ३८ मिनट लगाये थे इस लिये उसी के अन्य पहलुओं पर उन्हें नहीं बोलने दिया जायेगा। अब मैं श्री गोपालन का संशोधन लूंगा। वह इस प्रकार है :

पृष्ठ १, पंक्ति ११ में "Substituted" ["प्रतिस्थापित"] शब्द के बाद यह जोड़ दिया जाये :

"and the following shall be added at the end namely :—

Only so long as there is in force a declaration of emergency by the President under Article which 352 (1) of the Constitution in relation to the territory in which the Magistrate has got jurisdiction

["और अन्त में यह जोड़ दिया जायगा, अर्थात् :—

'जब तक कि संविधान के अनुच्छेद ३५२ (१) के अन्तर्गत राष्ट्रपति की आपात घोषणा प्रभावी हो केवल तब तक उस प्रदेश में जिस में उस न्यायाधीश का क्षेत्राधिकार है']

पहले जो विनिर्देश मैं दे चुका हूं वह इस पर भी लागू होता है।

श्री ए० के० गोपालन : मेरा संशोधन है कि नौ बल और विमान बल का प्रयोग होने के पहले आपात घोषणा होनी चाहिये।

श्री नम्बियार : शक्तियों के विस्तार से संशोधन का संबंध है, नौ बल और विमान बल के उपयोग के लिए आवश्यकता होनी चाहिए। राष्ट्रपति की आपात घोषणा होना आवश्यक है। अन्यथा

अध्यक्ष महोदय : सदस्य फिर से संशोधन के गुणों पर बोल रहे हैं। मुझे तो केवल यह देखना है कि मूल संहिता के सारवान् उपबन्धों में परिवर्तन करने वाले संशोधन को क्या ग्राह्य किया जाय जो संशोधी विधेयक की व्याप्ति

के बाहर है। मेरा विनिर्णय है कि यह संशोधन ग्राह्य नहीं है। माननीय सदस्य को सदन के प्रक्रिया सम्बन्धी कार्य और विधेयक अथवा संशोधन के सारवान गुणों में भेद करना चाहिये। प्रक्रिया में एक नियम यह है कि विधेयक की व्याप्ति के बाहर कोई संशोधन नहीं हो सकता, मुझे इसका पालन करना है। यदि सदस्य चाहते हैं कि गुण के आधार पर कोई संशोधन आवश्यक है तो वे वयक्तिक विधेयक प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा सरकार को अभ्यावेदन कर सकते हैं। इस विधेयक का संशोधन करने के लिये दूसरा विधेयक प्रस्तुत करने से उन्हें कोई नहीं रोकता। इस संशोधन के विरुद्ध विनिर्णय देने से कोई बाधा उपस्थित नहीं होती ।

श्री एच० एन० मुखर्जी (कलकत्ता उत्तर-पूर्व) : उद्देश्यों और कारणों के विवरण में बताया गया था कि आवश्यकता पड़ने पर ही असैनिक अधिकारी सशस्त्र बलों की सहायता लेंगे। उस आवश्यकता की व्याप्ति को परिभाषित करने के लिये क्या हम संशोधन प्रस्तुत नहीं कर सकते ?

अध्यक्ष महोदय : आवश्यकता की व्याख्या दाण्डिक प्रक्रिया संहिता में सारवान उपबन्धों के रूप में दी गई है। उद्देश्य और कारणों के विवरण में 'आवश्यकता' शब्द केवल प्रासंगिक रूप से आया है। अतः यह संशोधन नियम के अन्दर नहीं आता ।

अब श्री चटर्जी और श्री हुक्मसिंह ने संयुक्त रूप से संशोधन प्रस्तुत किया है ....

सरदार हुक्म सिंह : यदि मंत्री जी इसे स्वीकार करते हैं तथा वे इसे व्याख्या खंड के अन्तर्गत ले आयेंगे तो मैं इसे प्रस्तुत करना आवश्यक नहीं समझता ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे उस से कोई मतलब नहीं है। वे चाहें तो संशोधन प्रस्तुत कर सकते हैं। मैं या तो माननीय सदस्य से यह कहलवा कर कि वे उसे प्रस्तुत नहीं करना चाहते या उसे नियम विपरीत ठहरा कर उस को समाप्त करना चाहता हूं। मैं इस तर्क के लिये कोई स्थान नहीं छोड़ना चाहता कि कोई बाद में कहे "यदि मुझे मालूम होता कि मंत्री जी इसे प्रस्तुत न करेंगे तो मैं" ....

डा० एस० पी० मुखर्जी : श्रीमान् जी क्या इसे आप नियम विपरीत घोषित कर रहे हैं ?

अध्यक्ष महोदय : धारा १२९ में उपबन्ध है कि केवल ज़िला न्यायाधीश या विशेष रूप से अधिकार दिये गये प्रथम श्रेणी का न्यायाधीश स्वयं अधियाचना कर सकता है अथवा नौ बल या विमान बल के किसी पदाधिकारी को अपनी तरफ़ से अधियाचना करने के लिये प्राधिकृत कर सकता है । अतः मैं सोचता हूं कि वह स्पष्ट रूप से नियम विपरीत नहीं दीखता। पर मुझे मालूम नहीं कि वह किस प्रकार उन की व्याख्या को प्रभावित करेगा। यदि व्याख्या बाद में आयेगी तो झगड़ा पड़ेगा। परन्तु इस का विनिश्चय तो वे और माननीय मंत्री जी कर लें ।

सरदार हुक्म सिंह : इसी लिये तो मैं ने माननीय मंत्री जी से प्रार्थना की थी कि वे सदन को सब कुछ बतला दें जिस से कि उस के अनुसार अन्य उपबन्धों पर विचार किया जाये ।

डा० काटजू : मैं तीन बार कह चुका हूं कि अवैध जमाव को छिन्न-भिन्न करने के लिये जब नौ बल और विमान बल का उपयोग किया जायगा तब वे स्थल बल की भांति उपयोग की जायेंगी और यह स्पष्ट कर दिया जायगा। यदि सदन का सामान्य मत यह है कि वह संविधि का अंग बना दिया जाय तो वह बन दिया जायगा। तर्क करने की क्या बात है ?

[डा० काटजू]

यह सब कुछ बतला दें। मेरी समझ में नहीं आया। कल मैं ने आप को सब कुछ बतलाया था।

अध्यक्ष महोदय : मैं सोचता हूं कि बेहतर यह होगा कि मंत्री जी इन के विचार से सहमत हो जाते और संशोधन के रूप में उस खंड में उसे विशेष रूप से सम्मिलित कर लें।

डा० काटजू : श्रीमान् जी, यदि आप अनुज्ञा दें तो मैं अभी ही एक वक्तव्य दूंगा।

मैं ने विचार किया है तथा वधिक परामर्श भी लिया है और जो राय मुझे मिली है और मैं ने बनाई है वह यह है कि सारी रचना इस प्रकार है कि कोई भी न्यायाधीश नौ बल और विमान बल का उपयोग, स्थल सेना की भांति ही कर सकता है, अन्य प्रकार से नहीं। सामने खड़े अवैध जमाव के छिन्न-भिन्न करने का प्रश्न है--उस के सामने मनुष्य जमा हैं तथा उसे उन के साथ व्यवहार करना है--उस के लिये असंभव होगा कि वह एक स्क्वाड्रन लड़ाकू हवाई जहाज़ों आदि की मांग करे। अतः वह नहीं किया जा सकता। परन्तु यदि सदन सामान्य रूप से चाहता है कि बात स्पष्ट रूप से रख दी जाये तो यहां दो संशोधन हैं जिन की सूचना दी जा चुकी है। एक मेरे माननीय मित्र श्री देशपांडे जी ने दिया है जो इस प्रकार है "पृष्ठ २ पंक्ति ६ में 'विमान बल' के बाद 'स्थल सेना की भांति कार्य करने वाली' शब्द रख दीजिये।" यह पूर्ण स्पष्ट कर देगा कि नौ बल और विमान बल का उपयोग समद्र और वायु से नहीं किया जा सकता परन्तु वे स्थल सेना की भांति उपयोग किये जायेंगे तथा स्थल सेना के समान कार्य करेंगे। इसी प्रकार के दूसरे संशोधन की सूचना सरदार हुक्म सिंह ने दी है। उस के अनुसार उन का उपयोग इस प्रकार से होना चाहिये जैसे कि वे सेना के सेवक वर्ग हों। मुझे बताया जा रहा है कि उस से कठिनाइयां बढ़ जायेंगी। हम तो केवल इस विशेष प्रयोजन के लिये इस विशेष अध्याय के उपबन्धों को ले रहे हैं और मेरे अनुसार श्री देशपांडे जी ने जिन संशोधनों का सुझाव दिया है वह सारे प्रयोजन को सिद्ध कर लेगा अर्थात् "स्थल बल की भांति कार्यकारी होते हुए।"

पंडित ए० आर० शास्त्री (जिला आजमगढ़--पूर्व व जिला बलिया--पश्चिम) : अध्यक्ष महोदय ऐसी अवस्था में जैसा कि माननीय मंत्री ने कहा है कि देशपांडे साहब का संशोधन स्थिति को साफ़ कर देता है तो इस ऐमेंडिंग बिल (संशोधक विधेयक) की आवश्यकता ही क्या है? लैंड आर्मी (स्थल सेना) की कमी तो है नहीं।

अध्यक्ष महोदय : इस की आवश्यकता ज़रूर है। जब एयर फ़ोर्स (विमान बल) और नैबल फोर्स नौबल लैंड फ़ोर्सेज़ (स्थल सेना) में दाखिल कर रहे हैं तो इस बिल की आवश्यकता ज़रूर है।

क्या मैं यह समझूं कि माननीय मंत्री वह संशोधन प्रस्तुत करेंगे।

डा० काटजू : जी हां जब समय आयगा। अथवा श्री देशपांडे जी उसे प्रस्तुत कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : इस से समस्या का हल हो जायेगा। अब विधेयक में प्रगति हो सकेगी।

अब मैं खंडशः रखूंगा। प्रश्न यह है कि :

"खंड ३ विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खंड ३ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ४ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ५ (धारा १३१ का संशोधन)

अध्यक्ष महोदय: अब हम खंड ५ लेंगे । श्री गोपालन का संशोधन है । उस में वही तर्क लागू होता है । अब श्री चाको ।

श्री पी० टी० चाको : श्रीमान् मैं अपना संशोधन प्रस्तावित नहीं करूंगा ।

खंड ५ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ६ विधेयक का अंग बना लिया गया ।

खंड ७ (नई धारा १३२ क का निदेश)

अध्यक्ष महोदय : श्री देशपांडे ।

श्री वी०जी० देशपांडे (गुना): मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

'प्रष्ठ २ पंक्ति ६ म शब्द "Air Forces" ["विमान बल"] के पश्चात् "Operating as land forces" ["स्थल सेना के समान कार्य करते हुए"] शब्द रख दिये जायें।"

अध्यक्ष महोदय : संशोधन प्रस्तुत हुआ :

'पृष्ठ २ पंक्ति ६ में शब्द "Air Forces" ["विमान बल"] के पश्चात् "Operating as land forces" ["स्थल सेना के समान कार्य करते हुए"] शब्द रख दिये जायें ।

डा० काटजू : मैं संशोधन स्वीकार करता हूं । मैंने कल यही कहा था ।

सरदार हुक्म सिह : क्या 'सशस्त्र बलों' में संघ के अन्य सशस्त्र बल भी सम्मिलित हैं और क्या उन का उपयोग भी स्थल सेना की भांति किया जायेगा ।

तदुपरान्त अध्यक्ष महोदय ने बतलाया कि इस के इतने सूक्ष्म विवेचन को आवश्यकता नहीं है। श्री एच० एन० मुखर्जी ने बतलाया कि "अन्य सशस्त्र बल" शब्द रखने से सहाय विमान बल का उपयोग हवाई हमले के लिये किया जा सकता है। अध्यक्ष महोदय ने कहा कि उस का प्रयोग केवल स्थल सेना की ही भांति हो सकेगा । यदि किसी न्यायाधीश ने इस से भिन्न निर्वचन किया तो उस का संशोधन संसद कर सकती है।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

पृष्ठ २ पंक्ति ६ में शब्द "Air Forces" ["विमान बल"] के बाद "Operating as land forces" ["स्थल सेना के समान कार्य करते हुए"] शब्द रख दिये जायें ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : मेरा मत तो यह है कि आवश्यकता पड़ने पर राज्य को सब प्रकार के बलों का उपयोग करने का अधिकार है । मूल विधेयक को पारित करने में कोई हानि नहीं थी। विरोधियों का यह कहना कि आवश्यकता से अधिक बल का उपयोग न किया जाय बिलकुल ठीक है परन्तु इस का उपबन्ध तो धारा १३० में है । संशोधन स्वीकृत कर लेने से लोग समझने लगे हैं कि बमबारी न की जा सकेगी । यदि धारा १२८ अन्तर्गत किसी नागरिक से सहायता मांगी जाय और उस के पास विमान हो तो वह बमबारी कर सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न है कि :

"खंड ७ संशोधित रूप में विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

खंड ७, संशोधित रूप में, विधेयक का अंग बना लिया गया ।

अध्यक्ष महोदय : एक नया खंड, संख्या ८ जोड़ने के लिए श्री एस० एस० मोरे का एक संशोधन है । सदस्य जानते हैं कि वह किस प्रकार समाप्त हुआ ।

खंड १ विधेयक का अंग बना लिया गया।

विधेयक का नाम और अधिनियमन सूत्रविधेयक का अंग बना लिये गये ।

डा० काटजू : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाये ।"

श्री एस० एस० मोरे (शोलापुर) : मेरा निवेदन है कि अवैध जमाव को छिन्न-भिन्न करने के लिये जब गोलियां चलाई जायें और लोगों की मृत्यु हो तब उस राज्य की सरकार को जांच समिति नियुक्त करना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : विधेयक के तृतीय पठन की अवस्था म आप उस की कोई चर्चा नहीं कर सकते जिस पर सदन ने विस्तार में वाद विवाद कर लिया है ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : मेरा निवेदन है कि सशस्त्र बल की सब शाखाओं का उपयोग बड़ा भयंकर होगा यदि उपयोग करने वाले पदाधिकारी ने पूर्ण विचार से काम नहीं लिया। इस कारण केवल असामान्य दशाओं में ही तीनों बलों का उपयोग किया जाय तथा सामान्य दशाओं में केवल सेना से काम, लिया जाये । माननीय गृह कार्य मंत्री राज्य सरकारों को अनुदेश दे दें कि अल्पतम बल का उपयोग किया जाय तथा लाठी के समान हथियार व्यवहार में लाए जायें, हैन्ड ग्रैनेड (हथगोलों) के समान घातक अस्त्र नहीं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : संशोधित विधेयक दमन का अतिरिक्त यंत्र सिद्ध होगा । मुझे भय है कि वह जनहित के विरुद्ध प्रयोग किया जायेगा। माननीय मंत्री ने अपने पहले भाषण में कहा था कि उन्हें कलकत्ते की १९४८ और १९५० की अवधि की सुखद स्मृतियां नहीं हैं तथा उन्हें असैनिक अशान्ति का भय है । मैं माननीय मंत्री को ध्यान दिलाऊंगा कि उस समय उन का बाल भी बांका न हुआ था यद्यपि वे कई उत्सवों में जाते थे। उन्हें अशान्ति का भय हो, पर आज अशान्ति को मिटाने में कोई भय नहीं होना चाहिये यदि वह लोगों की दशा सुधारें। मुझे आशा है कि सरकार अपनी नीति और आचरण इस प्रकार बदलेगी कि देश के लोगों को सरकार के विरुद्ध क्षोभ प्रदर्शित करने का कारण ही न रह जाये। मेरे प्रान्त में पुनर्वास की समस्या बड़ी विकट हो उठी है । मानवीय अधिकार प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना स्वाभाविक ही है । ऐसे अवसरों पर वे पदाधिकारी, जिन्हें सशस्त्र बल प्रयोग करने का अधिकार है, यदि भूल कर दें तो ? मुझे १९४९ की एक बात का स्मरण है . . . . .।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य विस्तार में न जायें । यह विधेयक का प्रथम वाच नहीं है । सक्षेप में कहिये ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : मैं उन भूलों का उदाहरण दे रहा था जो हो चुकी हैं और जो फिर से हो सकती हैं। सदन के इस पक्ष के लोगों को हिंसा पथ पर चलने वाले कहा जाता है । सरकार से हम कह सकते हैं कि हम जनसाधारण का भला कर सकते हैं। हम उस नीति का पालन कर सकते हैं जिस से जन-साधारण और वे लोग सहमत होंगे जो देश के कल्याण को हृदय से चाहते हैं। वे लोग सहमत न होंगे जो साम्राज्यवाद की वेदी पर देश की स्वतंत्रता बेचना चाहते हैं। यदि ऐसी दशा हो

तो इस कानून के बनाने की कोई आवश्यकता नहीं ।

कुछ ही दिन पूर्व वित्त मंत्री जी ने कहा था कि देश में क्रान्ति की कोई संभावना नहीं है । फिर क्या कारण है कि असैनिक अशान्ति दबाने के लिये सरकार को सेना की ही नहीं विमान बल और नौ बल की भी आवश्यकता है । मैं सोचता हूं कि बिना घोर विरोध के यह विधेयक पारित नहीं होने दिया जाना चाहिये ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री उत्तर देंगे ।

डा० काटजू : मुझ से पहिले जिस माननीय सदस्य ने भाषण दिया उसे मैं ने ध्यान से सुना । आशा है कि वे अपनी ओर से ही नहीं अपने पक्ष के सदस्यों तथा अपने पक्ष की कार्यकारिणी की ओर से भी बोल रहे थे । जिस समय उन का पक्ष हिंसा और ध्वंसात्मक क्रियाओं में विश्वास करना छोड़ देगा उस दिन इस पक्ष के सदस्यों की अपेक्षा और कोई अधिक खुश न होगा । हम जनकल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं ।

श्री एच० एन० मुखर्जी : जब मुझे हिंसा पर नहीं बोलने दिया गया था तब गृह मंत्री क्यों हम से हिंसा छोड़ने के लिये कह रहे हैं ।

अध्यक्ष महोद . शान्ति, शान्ति । उन्हें हिंसा के विषय में विस्तार से नहीं बोलना चाहिये । पर माननीय सदस्य अपने कथन का उत्तर चाहते थे । माननीय मंत्री ने विधेयक पारित किये जाने के कारण बतलाए हैं ।

डा० काटजू : जहां तक इस विधेयक का प्रश्न है, मुझे बधाई मिलना उचित नहीं । विधेयक का उद्देश्य यह था कि यदि कहीं अवैध जमाव हो और सेना उपलब्ध न हो तो जमाव छिन्न भिन्न करने के लिये न्यायाधीश अन्य बलों का उपयोग कर सकें । बमबारी का ध्यान मेरे मस्तिष्क में कभी भी नहीं आया ।

मैं सरदार हुक्म सिंह से पूर्ण सहमत हूं । वे विधेयक से पूर्ण सहमत थे । यदि यह स्पष्ट कर दिया जाता कि विमान और जहाजों से बमबारी न की जायेगी । मैं ने यही कहा था । हमारी यही इच्छा थी, हम ने इसे व्यक्त किया है और यदि आप कहते हैं तो इसे रख भी देंगे ।

हम सब आशा करते हैं कि भारत में अवैध जमाव न होंगे तथा उन्हें छिन्न-भिन्न करने की किसी न्यायाधीश अथवा आरक्षी पदाधिकारी को आवश्यकता नहीं पड़ेगी ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को संशोधित रूप में पारित किया जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** अध्यक्ष-पद पर आसीन थे]

जांच आयोग विधेयक,

गृह कार्य तथा राज्य मंत्री (डा० काटजू): मैं प्रस्ताव करता हूं :

"जांच आयोगों को नियुक्त करने तथा ऐसे आयोगों को कुछ निश्चित अधिकार देने का उपबन्ध करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय ।"

मैं दुहराऊंगा कि यह भी एक छोटा साधारण सा विधेयक है । इस का उद्भव बड़ा संक्षिप्त है । केन्द्रीय और राज्य सरकारों को, जनता की मांग पर, सदन के संकल्पों पर और कभी कभी स्वयं अपने प्रस्तावों पर, विशिष्ट विषयों व विशिष्ट प्रश्नों की जांच करने के लिये जांच आयोग और समितियां नियक्त करनी पड़ती हैं । इन आयोगों को

[डा० कटजू]

साक्ष्य विशोधन करना पड़ता है । और पत्रों, सरकारी दस्तावेजों तथा गैर सरकारी दस्तावेजों की जांच करनी पड़ती है और सामान्यतया यह आशा की जाती है कि नागरिक सहयोग देंगे। परन्तु कभी कभी उन्हें यह सहयोग प्राप्त नहीं होता और वह आयोग कुछ गवाहों को बुलाना, कुछ दस्तावेजों को देखना आवश्यक समझता है और कुछ बाध्य कारी शक्तियों का उपयोग करना चाहता है जो इस के लिये व्यवहार न्यायालयों को प्राप्त है । कभी कभी तो यह होता है कि सरकार को विशेष आयोगों के लिये तदर्थ विधान बनाना पड़ता है। लग भग दो साल पहिले चीनी के मामलों को जानने के लिये एक आयोग नियुक्त किया गया था। सदन को स्मरण होगा कि जब कीमतें चढ़ीं थीं तब विरोध में आवाजें उठाई गई थीं और निवृत्ति प्राप्त एक विख्यात न्यायाधीश के सभापतित्व में एक आयोग नियुक्त किया गया था। इन महोदय ने विषय की बड़ी बारीकी से विस्तारपूर्वक जांच की परन्तु उन्हें वह सहयोग प्राप्त नहीं हुआ जिस की उन्हें आशा थी। अपनी रिपोर्ट में उन्हों ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि लोक महत्व के विषयों की जांच करने के लिये नियुक्त कि ये गए आयोगों और समितियों को सरकार गवाह तथा दस्तावेज बुलाने आदि की शक्ति दिलाए। इस पर जांच की गई और सरकार इस निष्कर्ष पर पहुंची कि प्रत्येक जांच, प्रत्येक आयोग अथवा समिति के लिए विधेयक पारित करने की अपेक्षा अच्छा यह होता कि ऐसी सारी समितियों और आयोगों पर लागू होने वाला एक प्रकार का स्थायी विधान होता, और इसी लिये यह विधेयक पुरःस्थापित किया गया है ।

सदन को स्मरण होगा कि विधान की संघ सूची में ९४ संख्या का पद संघ सरकार को ऐसी जांच करने का अधिकार देता है । उसी तरह समवर्ती सूची में ४५ संख्या का पद हैं जो राज्य सरकारों और संघ सरकार को संविधान के अन्तर्गत आने वाले विषयों पर समितियां और आयोग नियुक्त करने की शक्ति देता है । ये विषय या तो राज्यों के पूर्ण अधिकार क्षेत्र में होते हैं या कुछ साथ ही साथ राज्यों और संघ के अधिकार क्षेत्र में होते हैं। इस विधेयक में बताया गया है कि जब राज्य की सरकार या संघ सरकार आवश्यक, उचित अथवा उत्तम समझे अथवा जब इस सदन में या किसी अन्य राज्य के विधान मंडल में इस के लिये संकल्प पारित किया जाय तब समिति अथवा आयोग नियुक्त किया जा सकता है । संघ सरकार की शक्ति अवश्य ही विस्तृत है। उस में सारा क्षेत्र आ जाता है। इस में सूची १ में दिया गया संघ का अनन्य क्षेत्र आ जाता है । सूची २ अर्थात् राज्य क्षेत्र के लिये समितियां नियुक्त करने के लिए उसे व्यक्त रूप से प्राधिकृत किया है । इस के सिवाय राज्य सरकार केवल अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में ही समितियां नियुक्त कर सकती है ।

इस के बाद यह उपबन्ध है कि जब केन्द्रीय सरकार ने आयोग नियुक्त किया हो तब उन का द्विगुणन न होगा । एक ही समय उसी विषय पर विचार करने के लिये दो आयोग नहीं होने चाहियें। इसलिये यह उपबन्ध किया है कि यदि केन्द्रीय सरकार ने एक आयोग नियुक्त किया है तो राज्य की सरकार उस विषय पर आयोग नियुक्त न करेगी।

इस के पश्चात् आयोग की शक्ति की व्याख्या की गई है । वह शक्ति सामान्य है अर्थात् गवाहों को बुलाने अथवा उपस्थित होने के लिये उन्हें बाध्य करने की, दस्तावेजों को प्रकट करने तथा साक्ष्य और शपथ पत्र लेने की। वकीलों की भाषा में यह "किसी

व्यवहार न्यायालय द्वारा प्राप्त शक्ति" कहलाती है ।

फिर एक धारा है उस में यह लिखा है कि आयोग के सामने वक्तव्य देने के कारण किसी व्यक्ति पर कोई उत्तरदायित्व आरोपित नहीं किया जायगा ।

यह विधेयक का स्थूल रेखाचित्र है । मैं अभी कह दूं कि मैंने इसके कम से कम ७५ संशोधन देखे हैं और यह बहुत सम्भव है कि वाद-विवाद के क्रम में और आ जायें । जहां तक मुझे मालूम है, अधिकांशतया वे मौखिक हैं और यहां वहां थोड़ा परिवर्तन करना उनका उद्देश्य है । कुछ थोड़े सारवान हो सकते हैं । विचार करने के पश्चात् मुझे यह मालूम हुआ है कि सारे सदन में संशोधनों के साथ ही साथ विधेयक पर खंडशः विचार करने से संभवतया अत्यधिक समय विचार करना पड़े जिससे विस्तृत वादविवाद हो जाय । मेरी दृष्टि में वह बहुत संतोषजनक नहीं है । मेरे एक माननीय मित्र ने सूचना दी है कि विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया जाय । सरकार की ओर से बोलते हुए मुझे इस मार्ग के अपनाने में कोई आपत्ति नहीं है ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : बधाईयां ।

डा० काटजू : संशोधन के स्वरूप को देखते हुए यदि हम यह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दें तो मुझे निश्चय है कि आपस में बातें करने पर हम ये सब दो तीन घंटों में समाप्त कर देंगे । यदि सदन इस मार्ग को अपनाने के लिये सहमत है तो मैं यह सुझाव रखूंगा कि प्रवर समिति को हिदायत दी जाये कि वह बहुत पूर्वभावी तिथि पर अपना प्रतिवेदन दे दे । मैं यह इसलिये कह रहा हूं क्योंकि विधेयक दूसरे सदन को जायेगा और मैं उत्सुक हूं कि दोनों सदनों के विसर्जित होने के पहिले विधेयक निबट जाये ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : तब आप निवारक निरोध विधेयक पर इस विधेयक को प्राथमिकता क्यों नहीं देते ?

डा० काटजू: प्राथमिकता देने का कोई प्रश्न नहीं है । यदि आप यह विधेयक प्रवर समिति को सौंपते हैं तो आप के पास शनिवार और रविवार रहता है और आवश्यक हो तो तीन चार दिन विचार करने के पश्चात्, अगले बुधवार तक विधेयक आप के पास वापिस आ जायेगा । उस के विषय में कोई कठिनाई नहीं होगी ।

मेरे विनम्र मत में यह बड़ा साधारण विधेयक है और स्वीकृति के लिये मैं अपना प्रस्ताव सदन को सौंपता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

> "कि जांच आयोगों को नियुक्त करने और ऐसे आयोगों को कुछ निश्चित अधिकार देने का उपबन्ध करने के हेतु एक विधेयक पर विचार किया जाय ।"

कुछ संशोधनों की सूचना मिली है । एक श्री एन्थनी का है ।

श्री फ्रैंक एन्थनी (नामनिर्देशित-आंग्ल-भारतीय) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"सर्वसाधारण की सम्मति जानने के विधेयक को परिचलित किया जाय ।"

उपाध्यक्ष महोदय : दिनांक कौन सा है ?

श्री फ्रैंक एन्थनी : तीन मास के भीतर ।

उपाध्यक्ष महोदय : "१५ अक्तूबर तक" यह कहने में आप सहमत हैं

श्री फ्रैंक एन्थनी : जी हां श्रीमान् ।

संशोधन प्रस्तावित करने का मेरा मुख्य कारण विधान निर्माण के मुख्य सिद्धांतों को दर्शाना है । आजकल धड़ाधड़ बड़ी संख्या में विधान बनते जा रहे हैं और उनमें इन सिद्धांतों का पालन नहीं किया जाता । इस विधेयक में भी उनका पालन नहीं किया गया है । मंत्री जी ने कहा कि विधेयक सीधा है तथा उससे कोई हानि न होगी परन्तु विधेयक तो तभी ग्राह्य हो सकता है जब वह प्रगतिशील हो तथा किसी मल सिद्धांत पर आधारित हो ।

गृह-मंत्री जी ने कहा कि राय जानने के लिये उसे परिचालित करना व्यर्थ होगा मेरे विचार में विधान जनमत का मापक होता है तथा वह उसी पर आधारित होना चाहिये । सरकार को यह सिद्धान्त मानना चाहिये । तीसरा सिद्धांत यह है कि विधान सर्वसाधारण की सम्मति द्वारा बनना चाहिये । विधान द्वारा जनमत को सुधारने की भूल नहीं करनी चाहिये । मध्य प्रदेश और बम्बई में यही भूल की गई है ।

विधान स्पष्ट होना चाहिये । प्रस्तुत विधेयक स्पष्ट नहीं है । इसके अनुसार लोक महत्व के विषयों पर जांच करने के लिये आयोग नियुक्त किये जा सकते हैं । क्या 'लोक महत्व के विषय' का अर्थ स्पष्ट है ?

मैं विधेयक के इस रूप में अंगीकृत किये जाने के विरुद्ध हूं क्योंकि इसके शब्द स्पष्ट नहीं हैं । गृहमंत्री का चाहे जो अभिप्राय हो, अधिनियम का निर्वचन करते समय न्यायाधीश उसे जानने की चिन्ता नहीं करते । इस कारण शब्द ऐसे होने चाहियें जो कि स्पष्ट रूप से वास्तविक इच्छाओं को प्रकट करें और उनका वैसा ही निर्वचन किया जा सके । लोक महत्व के विषय का अर्थ क्या हुआ ? क्या यह जांचन के लिये आयोग नियुक्त किया जा सकता है कि कौन मंत्री होने के अयोग्य है ?

इन सामान्य आपत्तियों के अतिरिक्त विधेयक के कुछ उपबन्धों के विरुद्ध कुछ विशिष्ट आपत्तियां भी हैं । लोक तंत्र विधि के शासन और विधि की सर्वोच्चता पर निर्भर रहता है परन्तु मेरे विचार से इस विधेयक के कुछ उपबन्धों द्वारा विस्तृत शक्ति दी गई है । खंड ४ के उपखंड २ के अनुसार आयोग को यह शक्ति होगी कि वह किसी भी मनुष्य को ऐसी सूचना देने को बाध्य कर सकता है जो आयोग की राय में उपयोगी हो । गृह मंत्री का अभिप्राय कुछ भी हो परन्तु इस उपखण्ड से आयोग को असीमित शक्ति मिल जाती है । इसका निर्वचन इस प्रकार का हो सकेगा । इस खंड की भाषा से भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कुछ धाराओं में दिये गये उपबन्धों का नाश हो जाता है । अधिकरणों द्वारा सूचना प्राप्त करने के लिये दूसरों को बाध्य करने की उस अधिनियम में सीमा बांध दी गई है । उदाहरणार्थ धारा १२२ के अनुसार विवाह की अवधि में प्राप्त सूचना को बताने के लिये किसी को बाध्य नहीं किया जा सकता । धारा १२६ के अनुसार अपने व्यवसाय में प्राप्त सूचना को बतलाने के लिये वकीलों को बाध्य नहीं किया जा सकता । इस विधेयक द्वारा हम आयोगों को वह शक्ति दे रहे हैं जो सामान्य रूप से किसी न्यायिक प्राधिकारी को प्राप्त नहीं है । यह बड़ी आपत्तिजनक बात है ।

गृहमंत्री जी कहते हैं कि यह विधेयक सीधा है तथा हानिप्रद नहीं है परन्तु इससे भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उन सब उपबन्धों की समाप्ति हो जाती है जो नागरिकों

की सुरक्षा के लिये हैं तथा जो शताब्दियों के अनुभव पर आधारित हैं।

खंड ४ के उपखंड ३ के विषय में भी उपर्युक्त आपत्ति लागू होती है। इस उपखण्ड के अनुसार आयोग अथवा आयोग द्वारा प्राधिकृत अधिकारी ऐसे मकान अथवा स्थान में घुस सकता है जहां आयोग को विश्वास है कि जांच सम्बन्धी बही खाते अथवा विलेख पाये जा सकते हैं और वह ऐसे बही खाते और विलेख ज़ब्त कर सकता है।

मुझे मालूम है कि यह समाज हित के विरुद्ध कार्य करने वालों के लिये है परन्तु फिर भी मैं इस विशेष खंड का सिद्धांत के कारण विरोध करूंगा। मैं मानता हूं कि ऐसा विधेयक आवश्यक है परन्तु इसमें उन गुणों का अभाव है जो अच्छे विधान में पाये जाने चाहियें।

उपखंड ३ का उद्देश्य आयोग को तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की असीमित और स्वच्छंद शक्ति देना है। इस विषय में दाण्डिक प्रक्रिया संहिता के उपबन्ध भी स्पष्ट हैं। उस में तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की शक्ति पर हितकर निर्बन्धन लगाने के लिये उपबन्ध हैं। ये निर्बन्धन आवश्यक हैं क्योंकि इस बड़े देश में तलाशी बड़े स्वच्छंद तथा उच्छृंखल प्रकार से की जाती है।

ज़ब्त माल की सूची बनाने के विषय में भी कहना आवश्यक है। ज़ब्त माल की सूची बनाने और उन्हें न्यायालयों को भेजने के ढंग पर निर्बन्धन होने पर भी देखा जाता है कि उस में चालाकी हो जाती है। कुछ पुलिस के पदाधिकारी ज़ब्त माल की जाली सूची तथा जाली ज्ञापन बना लेते हैं। इसलिये मैं उपखंड (३) के उपबन्धों के विरुद्ध हूं। उससे वर्तमान विधि के वे उपबन्ध समाप्त हो जाते हैं जो लोगों की सुरक्षा और परित्राण के लिये आवश्यक हैं तथा वर्षों से जिन्हें हमारे न्यायालयों ने आवश्यक समझा है।

खंड ७ के उपबन्धों के प्रति भी मेरी आपत्ति है। इस से सरकार को यह शक्ति मिल जाती है कि वह जिसे चाहे आयोग और समिति को इस विधेयक में विहित शक्ति दे सकती है। यह बात अच्छे विधान के मूल सिद्धान्त के प्रतिकूल है। बिना प्रसंग अथवा स्थिति जाने, जिस के लिये आयोग नियुक्त करना पड़े, हम ये सामान्य और सार्वत्रिक अधिकार सरकार को दे रहे हैं। क्या यह संभव नहीं है कि राज्य की सरकारें इनका दुरुपयोग करने लगें? केन्द्रीय सरकार कांग्रेसी भली ही बनी रहे और इस अधिकार का दुरुपयोग न करे पर यही बात हम त्रावनकोर और मद्रास के विषय में नहीं कह सकते। वहां साम्यवादी आ सकते हैं और वे स्वयं गृहमंत्री के आचरण की जांच करने के लिये आयोग नियुक्त कर सकते हैं।

डा० काटजू: स्वागत है। मुझे आपत्ति नहीं है।

श्री फ्रैंक एन्थनी: इतने विस्तृत अधिकार होने के कारण, मालूम नहीं गृह-मंत्री जी ऐसे आयोग द्वारा दोषी ठहराये जाने से बच सकेंगे।

मुझे हर्ष है कि गृहमंत्री इस विधेयक को प्रवर समिति को सौंपने के लिये तैयार हैं। परिचालित करने के प्रस्ताव पर मैं जोर नहीं डालूंगा, यद्यपि सिद्धान्त रूप से सर्व साधारण की सम्मति जानने के लिये प्रत्येक विधेयक परिचालित किया जाना चाहिये।

इस विधेयक को पारित करने की बड़ी शीघ्रता नहीं है पर सरकार को इस पर ध्यान से विचार करना आवश्यक है क्योंकि इसमें उन सिद्धान्तों का पालन नहीं किया गया है जो अच्छे विधान के लिये आवश्यक

[श्री फ्रैंक एन्थनी]

हैं । प्रत्येक आयोग के लिये शक्ति प्रदान करने के लिये तदर्थ विधान बनाने में सरकार को क्या आपत्ति है ? आयोगों की नियुक्ति प्रति दिन तो होती ही नहीं । लोक महत्व के विशेष विषय के लिये तदर्थ विधान बनाने में देरी तो होगी परन्तु वह हितकर होगी । यदि सरकार समझती है कि इससे बड़ी बाधा होगी और देरी हो जाया करेगी तो मेरा एक सुझाव और भी है । हम इस विधेयक में संशोधन करके स्वीकार कर लें और यह उपबन्ध रखें कि यदि कोई विधान सभा अथवा सरकार समिति या आयोग नियुक्त करना चाहती है तो यह अधिनियम उस विशेष आयोग के लिये विशेष रूप से लागू किया जायगा । यदि विधान सभा चाहे तो उस आयोग की शक्ति और भी सीमित कर सकती है । गृहमंत्री ने यह स्वीकार कर लिया है कि यह प्रवर समिति को सौंपा जाये परन्तु अभी भी क्या यह उचित न होगा कि सर्वसाधारण सम्मति जानने के लिये विधेयक परिचलित किया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

" १५ अक्टूबर १९५२ तक सर्वसाधारण की सम्मति जानने के लिये इस विधेयक को परिचालित किया जाये । "

डा० पी० एस० देशमुख (अमरावती पूर्व) : क्या मैं अपना संशोधन प्रस्तुत करूं ?

उपाध्यक्ष महोदय : पहिले प्रवर समिति सम्बन्धी प्रस्ताव हो जाने दीजिये तब विचार प्रस्ताव, प्रवर समिति को सौंपने के प्रस्ताव और परिचालित करने के प्रस्ताव पर विचार किया जायगा । डा० देशमुख ।

डा० पी० एस० देशमुख : मैं प्रस्ताव करता हूं कि :

" विधेयक को श्री एन० सोमना, श्री नंदलाल जोशी, पंडित एम० बी० भार्गव, श्री एच० सी० हेडा, श्री एस० वी० पाटिल, श्री एन० पी० नाथवानी, श्री के० जी० देशमुख, श्री जगन्नाथ कोले, श्री के० पी० त्रिपाठी, श्री टेकचंद, श्री पन्नालाल कौशिक, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री टी० एन० सिंह, श्री झुनझुनवाला, श्री एस० डी० उपाध्याय, श्री शेषगिरी राव, श्री सी० आर० चौधरी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री हुक्म सिंह, श्री राघवाचारी, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री जी० डी० सोमानी, डा० काटजू और प्रस्तावक ५० की एक प्रवर समिति को सौंपा जाये और प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन १५ जुलाई १९५२ तक उपस्थित करने का निर्देश दिया जाये । "

कुछ माननीय सदस्य : तारीख बहुत पास की है ।

उपाध्यक्ष महोदय : १५वीं तारीख बहुत पास है । २१ तारीख रहने दीजिये ।

डा० पी० एस० देशमुख : मेरे माननीय मित्र ने विधेयक के बहुत से उपबन्धों की आलोचना की है । उन्होंने मुख्य बात यह कही है कि ऐसी असामान्य शक्ति किसी व्यक्ति को नहीं दी जानी चाहिये और विधान बनाने के सामान्य नियमों का पालन किया

जाना चाहिये। मेरे मित्र को अधिक आपत्ति नहीं होगी यदि एसी विशेष परिस्थितियां हों जिनके लिये किसी व्यक्ति अथवा निकाय को ऐसी असामान्य शक्ति देना आवश्यक हो जाय। उन्होंने यह भी कहा कि हम वर्तमान भारतीय साक्ष्य अधिनियम का अवक्रमण कर रहे हैं तथा उस नियम को तोड़ रहे हैं जिनका पालन विधान बनाने के लिये हम अभी तक करते आए हैं। वे मानते हैं कि हम यह नियम असामान्य परिस्थितियों के लिये बना रहे हैं। यह सामान्य विधान नहीं है। हमनें देखा है कि आजकल जो शक्ति हम आयोगों को देते हैं वह असामान्य परिस्थितियों में पर्याप्त नहीं होती। श्री एन्थनी ने और जो बातें कहीं उससे हम सहमत हैं। विधानों की संख्या अल्पतम होनी चाहिये तथा विधान निर्माण के सामान्य सिद्धान्तों का पालन किया जाना चाहिये। परन्तु यह न भूलना चाहिये कि हमारे सामने एक विशेष स्थिति है—एक ऐसी स्थिति है जहां पर हमें कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है। अतएव इस प्रकार का विधान आवश्यक है।

मैं सोचता हूं कि विधान के विषय में श्री एन्थनी को कुछ भ्रम हो गया है क्योंकि उन्होंने विधेयक के अन्य उपबन्ध नहीं देखे हैं। खंड ३ के अनुसार आयोग नियुक्त करने के पहिले राज्य के सूचनापत्र में अधिसूचना और लोक सभा या विधान सभा में संकल्प का होना आवश्यक है। अधिसूचना में आयोग नियुक्त करने का प्रयोजन तथा जांच का क्षेत्र स्पष्ट रूप से बतलाया जायगा। इन निर्बन्धों के कारण शक्तियों का दुरुपयोग होना संभव नहीं है।

अभी तक हमारे देश में आयोगों तथा न्यायाधीशों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग नहीं किया है। आयोग के व्यक्तियों को सरकार बड़ी सावधानी से चुनती है। वे अपना उत्तरदायित्व समझते हैं। श्री एन्थनी क्या एक उदाहरण भी दे सकते हैं जहां उन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया हो?

खंड ८ से उन्हें आपत्ति नहीं होनी चाहिये क्योंकि इस खंड से आवश्यकतानुसार नियम बना कर आयोगों की शक्ति को सीमित किया जा सकता है। यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक आयोग के पास वे सब शक्तियां हों जो खंड ४ में दी गई हैं। सरकार तथा आयोग नियम बना कर उन शक्तियों को सीमित कर सकते हैं। अतः हमारे मित्र ने विरोध में जो कहा ह उसमें विशेष सार कुछ नहीं ह। यह विधेयक सामान्य परिस्थितियों के लिये नहीं है। जब लोग साक्ष्य का नाश करते हैं तथा छिपा लेते हैं तब इन शक्तियों का होना आवश्यक हो जाता ह। यदि ये शक्तियां न हों तो धोखा देने वाले लोग साफ़ बच जायेंगे तथा आयोग को उनके विरुद्ध कोई साक्ष्य प्राप्त न हो सकेगा। अतः मैं सोचता हूं कि विधेयक के उपबन्धों पर ध्यान दिये बिना तथा जिस विचार से यह विधेयक बनाया गया है उसे दृष्टिगत न रखते हुए इसकी आलोचना की गई है।

प्रत्येक स्थिति के लिये विधान बनाने का प्रस्ताव ठीक नहीं है। उस से कष्ट होगा तथा सदन का बहुत सा समय नष्ट हो जाया करेगा। उससे अच्छा तो यह ह कि इस प्रकार का एक सामान्य उपबन्ध हो जिसका उपयोग प्रत्येक स्थिति में किया जा सके; स्थिति की आवश्यकता के अनुसार उसमें शक्तियों को कम बढ़ करने का उपबन्ध हो जिससे कि उन शक्तियों का दुरुपयोग न किया जा सके। सदन अधिसूचना और विशिष्ट आयोगों के लिये बनाये गये नियमों पर भी बहस कर सकता है। अतः मैं सोचता हूं जनमत के लिये इस विधेयक का परिवहन करने का कोई लाभ न होगा। प्रवर समिति को सौंपे

[डा० पी० एस० देशमुख]

जाने का मेरा प्रस्ताव यदि सदन स्वीकार कर ले तो मेरे मित्र की इच्छायें भी पूरी हो जायेंगी।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ कि :

"विधेयक को श्री एन० सोमना, श्री नंदलाल जोशी, पंडित एम० बी० भार्गव, श्री एच० सी० हेडा, श्री एस० पी० पाटिल, श्री एन० पी० नाथवानी श्री के० जी० देशमुख, श्री जगन्नाथ कोले, श्री के० पी० त्रिपाठी, श्री टेकचन्द, श्री पन्नालाल कौशिक, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री टी० एन० सिंह, श्री झुनझनवाला, श्री एस० डी० उपाध्याय, श्री शेषगिरि राव, श्री सी० आर० चौधरी, श्री पी० टी० पुन्नूस, श्री यू० एम० त्रिवेदी, श्री हुक्म सिंह, श्री राघवाचारी, श्री फ्रैंक एन्थनी, श्री जी० डी० सोमानी, डा० काटजू और प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौंपा जाय और प्रवर समिति को अपना प्रतिवेदन २१ जुलाई १९५२ तक प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाये।"

श्री आर० एन० एस० देव (कालाहांदी-बोलनगिर) : प्रस्तावित प्रवर समिति में निम्नलिखित नाम जोड़ दिये जायें :

१. भवानी सिंह ।

२. श्री तुलसी दास किलाचन्द ।

उपाध्यक्ष महोदय : और इस प्रस्ताव के प्रस्तावक का नाम भी जोड़ दिया जाये।

श्री ए० के० गोपालन (कन्नानूर) : श्री सी० आर० चौधरी के स्थान पर डा० जयसूर्य का नाम रख दिया जाये।

श्री वेंकटारमन् (तंजोर) : यह नाम भी जोड़ दिये जायें ।

१. श्री शिवाराव ।

२. श्री टी० सुब्रह्मण्यम् ।

डा० पी० एस० देशमुख: इन सब नामों के मिलाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय : ये अतिरिक्त नाम सुझाये गये हैं :

१. श्री भवानी सिंह,
२. श्री तुलसी दास किलाचंद
३. श्री आर० एन० देव,
४. श्री बी० शिवाराव,
५. श्री टी० सुब्रह्मण्यम्, और
६. श्री सी० आर० चौधरी के स्थान पर श्री जयसूर्य ।

अब पंडित ठाकुर दास भार्गव बोलेंगे।

पंडित ठाकुर दास भार्गव (गुड़गांव) : मेरा निवेदन है कि श्री फ्रैंक एन्थनी का यह कथन कि सरकार अंधाधुंध प्रकार से विधान बना रही है, सर्वथा अशुद्ध है। मैं उन के इस सिद्धान्त को नहीं मानता कि सर्वसाधारण की सम्मत्ति जानने के लिये प्रत्येक विधेयक प्रचलित किया जाना चाहिये। मैं इस प्रस्ताव का समर्थन करता हूं कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाये। मैं चाहता हूं कि प्रवर समिति कुछ बातों पर विचार करे।

खण्ड ४ (२) के बारे में श्री फ्रैंक एन्थनी ने जो कहा है उस से मैं सहमत नहीं हूं। मेरा निवेदन है कि आयोगों की सब कार्यवाहियों पर भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा। सब आयोगों को उस की १२१ से ले कर १३१ धाराओं को मानना पड़ेगा तथा विवाह की अवधि में प्राप्त सूचना को प्राप्त करने के लिये वे किसी को बाध्य न कर सकेंगे। मैं श्री एन्थनी से सहमत हूं कि जिस सूचना को देने के लिये कोई मनुष्य

विधिवत् बाध्य नहीं किया जा सकता उसे प्राप्त करने की शक्ति किसी भी आयोग को नहीं दी जा सकती । व्यवहार प्रक्रिया संहिता और दाण्डिक प्रक्रिया संहिता में भी तो ऐसी सूचना विशेष रूप से संरक्षित नहीं है । अतएव मेरा निवेदन है कि खंड ४ (२) के रहते हुए भी भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू होगा । यदि प्रवर समिति सोचती है कि मेरा मत शुद्ध नहीं है तो वह इस को स्पष्ट रूप से रख सकती है ।

खंड ४(३) के बारे में मैं श्री एन्थनी से एक कदम आगे बढ़ कर यह कहूंगा कि उस की कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि यह सामान्य विधेयक है। यदि किसी विशेष परिस्थिति में आयोग को तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की शक्ति देना आवश्यक हो जाये तो सरकार उसे यह शक्ति दे सकती है। परन्तु मुझे बड़ा संशय है कि सरकार बाद में यह कह सकेगी कि अमुक आयोग को यह शक्ति न होगी । दाण्डिक प्रक्रिया संहिता में इन शक्तियों का उपबन्ध है पर वहां पर भी प्रबन्ध कर दिया गया है जिस से कि इस शक्ति के उपयोग को नियमित किया जा सके । मानव की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मैं सोचता हूं कि तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की शक्ति के स्वच्छंद उपयोग से लोगों की सुरक्षा होनी चाहिये । सीमा शुल्क आयोग और आयकर पदाधिकारियों को हम ने यह शक्ति नहीं दी है। आयकर जांच करने वाले आयोग को यह शक्ति दी गई है क्योंकि जनहित की दृष्टि से यह आवश्यक था। जब हम आयोगों की सामान्य शक्ति की बात कर रहे हैं तब हमें इस शक्ति को नहीं मिलाना चाहिये । यह विशेष आयोग को विशेष रूप से ही दी जा सकती है। जनहित और मानव-गरिमा में संतुलन करना आवश्यक है । माननीय गृह मंत्री से प्रार्थना है कि वे इस संशोधन को मान लें तथा सामान्य रूप से आयोग को यह शक्ति न दें ।

मेरा निवेदन है कि झूठी गवाही सम्बन्धी खंड ५ का उपबंध 'क' व्यर्थ का है। झूठी गवाही झूठी ही रहेगी चाहे वह प्रश्न के उत्तर में दी गई हो या अन्य प्रकार से दी गई हो । इस उपबन्ध के कारण लोग स्वेच्छा से आरम्भ से ही झूठे कथन करेंगे, इसलिये यह अनावश्यक है ।

खंड ६ के विषय में भी मुझे कुछ निवेदन करना है । इस का यह उपबन्ध व्यर्थ है कि जब आयोग का कार्य समाप्त हो तो वह एक अधिसूचना दे। इस की क्या आवश्यकता है ? जब उस का कार्य समाप्त हो जाये तभी उस की शक्ति को खत्म समझना चाहिये । हां सरकार को अवश्य ही यह शक्ति रहे कि जनहित में वह आयोग को समाप्त कर दे तथा उस की शक्तियों का अन्त कर दे ।

खंड ७ के विषय में श्री एन्थनी ने जो कहा है उस से मैं सहमत नहीं हूं। यदि हम आयोगों को दी जाने वाली सामान्य शक्तियों का विधान बना रहे ह । तो इस उपबन्ध का रहना आवश्यक है कि नियुक्त किये गये सारे आयोगों को ये शक्तियां रहेंगी । कुछ शक्तियों को छोड़ कर जिन पर माननीय सदस्यों ने काफी बहस की है शेष बड़ी सामान्य शक्तियां हैं ।

खंड ८ के विषय में मेरा यह निवेदन है कि पद की अवधि और सेवा की शर्तों को इस सामान्य विधान में नहीं रखा जा सकता। ये तो विभिन्न आयोगों में भिन्न होंगी । यदि किसी जांच के लिये विशेषज्ञ की आवश्यकता पड़े और वे अपनी शर्तें रखें तो वे माननी पड़ेंगी । ये बातें तो नियुक्ति आदेश में होनी चाहियें ।

खंड ४ के विषय में मेरा निवेदन है कि आयोग को सामान्य शक्ति नहीं देनी चहिये कि जिस चाहे व्यक्ति को वे बुला लें तथा जिस चाहे दस्तावेज को वे मंगा लें । यह उपबन्ध

[पंडित ठाकुर दास भार्गव]

हो कि केवल ऐसे ही व्यक्ति बुलवाये जायें जो प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से जांच के विषय से संबंधित हों तथा केवल वे ही दस्तावेज मंगाये जायें जिन का जांच के विषय से सम्बन्ध हो ।

मेरा निवेदन है कि यदि प्रवर समिति इन बातो की जांच करेगी तो विधेयक के जो दोष हैं वे हट जायेंगे । मैं ऐसे विधान की आवश्यकता प्रतीत करता हूं और इस का समर्थन करता हूं ।

१२ मध्याह्न

डा० कृष्णस्वामी (कांचीपुरम्) : माननीय गृह मंत्री ने कहा है कि यह विधेयक हानिप्रद नहीं है । मेरे विचार इस मत के सर्वथा विपरीत हैं ।

पहला प्रश्न तो यह है कि इस के स्थान में क्या तदर्थ विधान अच्छा न होता ? तदर्थ विधान प्रस्तुत करते समय हमें जांच आयोग को गठित करने के कारण बताने पड़ते हैं । हमें यह मालूम करना पड़ता है कि 'जनहित' क्या है । इस दशा में आयोग को शक्ति देने में बहुत सुविधा होती है । गृह मंत्री जी ने बतलाया कि इन शक्तियों के न होने से उन्हें नियंत्रण आदेश के कुछ मामलों की जांच करने में बाधा हुई थी । यदि आप ऐसे मामलों की जांच करना चाहते हैं तो उन की सूची बना डालिये और कहिये कि उन की जांच करने के लिये जांच आयोग नियुक्त किया जा सकेगा । यदि ऐसा न किया तो किसी भी विषय की जांच हो सकती है, वह चाहे 'जनहित' से कितने ही दूर क्यों न हो । जनहित का अर्थ लगाना भी कठिन है; उस का विस्तृत अर्थ लगाया जा सकता है तथा कोई भी विषय इस के अन्तर्गत माना जा सकता है । विधेयक के इस उपबन्ध पर कि सरकार स्वयं अपने प्रस्ताव पर आयोग का गठन करवा सकती है मुझे आपत्ति है । सरकार द्वारा इस शक्ति का दुरुपयोग किया जाना संभव है, विशेष रूप से उस दशा में जब कि आयोग को बहुत शक्तियां प्राप्त हैं ।

जांच आयोग के गठन के विषय में भी विधेयक में संतोषजनक उपबन्ध नहीं है । आयोग के सदस्यों की योग्यताओं का वर्णन नहीं किया गया है । उन्हें कानून का ज्ञान होना आवश्यक है कि नहीं, उन्हें साक्ष्य लेने के नियम आने चाहियें कि नहीं आदि बातें विधेयक में नहीं बताई गईं । यह जानना बहुत आवश्यक है कि आयोगों में किस प्रकार के लोग होंगे क्योंकि बिना इसे जाने शक्तियों का दुरुपयोग होने की बड़ी संभावना है ।

पंडित ठाकुर दास भार्गव ने कहा कि खंड ४(२) बहुत भयंकर नहीं है । मैं उन से सहमत नहीं हूं । यदि प्रवर समिति विधेयक पर पूर्ण विचार न करे अथवा सदन यह न देखे कि उस में साक्ष्य अधिनियम के सिद्धान्त मिला लिये गये हैं और विधान में यह खंड बना रहे तो बड़ी हानि होगी । अभी खंड के शब्द इतने विस्तृत हैं कि उस में साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों की बिल्कुल चिन्ता नहीं की गई है ।

जांच सम्बन्धी विषय के बहिखाते अथवा विलेख प्राप्त करने के लिये मकानों में घुसने की शक्ति भी बहुत विस्तृत है तथा उस का दुरुपयोग किये जाने की संभावना है । इस कारण इस शक्ति को सीमित करना आवश्यक है ।

विधेयक में अन्य जांच प्राधिकारी का भी उपबन्ध है । यदि इस विषय पर सामान्य उपबन्ध है तो मैं विशेष विषय के लिये विशेष जांच समिति के गठन के लिये अन्य उपबन्धों की कोई आवश्यकता नहीं समझता । विधेयक को देखने से तो मुझे ऐसा मालूम पड़ता है कि प्रत्येक विषय की जांच करने के लिये प्रतिदिन ही आयोगों की नियुक्ति हुआ

करेगी। यह उचित नहीं है। इस से तो हमारा जीवन कष्टमय बन जायगा। मैं मानता हूं कि जहां समाजहितों के विरुद्ध कार्य हो वहीं जांच आयोग की आवश्यकता है। कार्य-पालिका को इतनी विस्तृत शक्ति देना बुद्धिमत्ता का काम न होगा। उन शक्तियों का दुरुपयोग किया जायगा।

हमें दूर की बात सोचना चाहिये। आज सरकार हमारे हाथों में है, कल वह दूसरे पक्ष के हाथों में जा सकती है, तब वे इन शक्तियों का उपयोग उन प्रयोजनों के लिये कर सकते हैं जिन्हें हम ठीक नहीं समझते। इस सामान्य विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं है। हम तदर्थ विधान से काम चला सकते हैं। यदि सुझाव ग्राह्य न हो तो हमें यथासंभव विधेयक द्वारा दी गई शक्तियों को सीमित करना चाहिये जिस से कि उन का दुरुपयोग न हो पाये। ये शक्तियां न्यायशास्त्र के मूल सिद्धान्तों के अनुकूल होनी चाहियें। जांच आयोग को अपनी प्रक्रिया नहीं बनाने देना चाहिये। वह अभी बना दी जानी चाहिये जिस से कि वह सिद्धान्तों के अनुकूल हो। सामान्य जांच आयोग का निश्चय करते समय हमें संयुक्त राज्य अमरीका में जिस प्रक्रिया का अनुसरण किया गया है उस से कुछ बातें लेना चाहिये।

श्री वेंकटारमन् : अभी तक हम ने निहित हितों की बातें सुनी। यह पहला अवसर नहीं है। सीमा शुल्क मण्डली और औद्योगिक अधिकरण के जांच आयोगों को शक्ति देते समय यही बातें उठीं थीं।

समितियों और आयोगों को अधिकार देने के विरोध में जो व्यक्ति हैं उन्हें भ्रम है कि इन की खोज न्यायालयों के न्याय के समान बाध्य होगी। ये आयोग तो केवल मन्त्रणा देने के लिये हैं। वे विषय की गहरी छानबीन करते हैं तथा कानून, और प्रक्रिया के सामान्य नियमों के निर्बन्धन उन्हें लागू नहीं होते। जब उन का विनिश्चय किसी पर भी बाध्यकारी नहीं होता तो उन की शक्ति को सीमित करने की क्या आवश्यकता है। जिन लोगों को इस से आपत्ति है वे चाहते हैं कि कुछ दुष्कर्मों का पता न लगने दिया जाये, उन की जांच न हो सके तथा जनता उसे न जान सके। पिछले विधानों में इसी प्रकार के उपबन्ध है। वहां भी पंडित ठाकुर दास भार्गव जी ने येही तर्क किये हैं।

पंडित ठाकुर दास भार्गव : फलस्वरूप तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की शक्ति नहीं दी गई थी।

श्री वेंकटारमन् : सीमाशुल्क आयोग विधेयक १९५१ में, व्यक्तियों को बुलाने तथा शपथ पर परीक्षा करने, विलेख मंगाने, शपथ पत्र लेने, कार्यालयों से सार्वजनिक अभिलेख मंगाने, गवाहों की परीक्षा करने के लिये आयोग नियुक्त करने और किसी भी व्यक्ति से जांच सम्बन्धी विषय पर सूचना प्राप्त करने की शक्तियां दी गई थीं। पंडित ठाकुर दास भार्गव कहते हैं कि प्रवेश करने और माल ज़ब्त करने की शक्ति नहीं दी गई थी। मैं उद्योग नियंत्रण अधिनियम का उद्धरण दूंगा जिसे हम ने गत वर्ष पारित किया था। उस में भी विचार किया गयां था कि पुस्तकें देखने और उन्हें ज़ब्त करने की शक्ति दी जानी चाहिये अथवा नहीं। लोग दुहरे तिहरे बहीखाते रखते हैं और यदि हम सत्य बात का पता लगाना चाहते हैं तो यह शक्ति आयोगों को दी जानी चाहिये अन्यथा कानून की आड़ में उन्हें दुष्कर्म करने की खुली छट्टी मिल जायगी।

जांच आयोग सामाजिक महत्व के विषयों की जांच करने के लिये नियुक्त किये जाते हैं किसी व्यक्ति की जांच करने के लिये नहीं। यदि इन विषयों के मूल तक पहुंचने और वास्तविक स्थिति जानने से आयोगों को रोका जाता है तो हमें एक पक्षीय कथन पर ही

[श्री वेंकटारमन]

संतोष कर लेना पड़ेगा । मेरे मित्र डा० कृष्णस्वामी ने कहा कि विधेयक में लिखी गई समितियों के अतिरिक्त अन्य समितियों की क्या आवश्यकता है । सामाजिक विधानों में कुछ विषयों में मंत्रणा देने के लिए समितियां नियुक्त की जाती हैं । ये जांच आयोग विधेयक के अन्तर्गत नहीं अपितु उन अधिनियमों के विभिन्न उपबन्धों के अन्तर्गत नियुक्त की जाती हैं तथा इन के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती । मैं न्यूनतम मजूरी की समिति में था । हम लोग कुछ सूचना प्राप्त न कर सके क्योंकि हमारे पास वह शक्ति नहीं थी । खंड ८ में ऐसी समितियों को शक्ति दी गई है जो अन्य कानूनों के अन्तर्गत नियुक्त की गई है ।

श्री एन्थनी का तर्क कि विधानों की संख्या अल्पतम होनी चाहिये, १९वीं शताब्दी का है । यदि आप लोकहितकारी राज्य के सिद्धान्त को मानते हैं तो अधिक विधानों से आप आपत्ति नहीं कर सकते । न्यूनतम विधान तो तभी ग्राह्य होंगे जब लोक कल्याण की चिंता न कर आप राज्य को केवल पुलिस राज्य समझते हैं । हम ने लोकहितकारी राज्य के आदर्श को मान लिया है अतएव सरकार को वे शक्तियां दी जायें जो इस विधेयक में लिखी हैं ।

यह आवश्यक नहीं कि प्रत्येक समिति और आयोग को इस विधेयक में बतलाई गई शक्तियां दी जायें । इस के लिए उपबन्ध किया जा सकता है कुछ समितियों को कुछ और दूसरों को अन्य शक्तियां प्राप्त होंगी । इस विधेयक का शीघ्र पारित होना आवश्यक है क्योंकि राष्ट्रपति ने प्रेस आयोग नियुक्त करने का वचन दिया है । इस के पारित होने के पहिले उसका नियुक्त करना व्यर्थ है क्योंकि आवश्यक शक्तियों के बिना उस का नियुक्त करना व्यर्थ है । मैं इस विधेयक का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि प्रवर समिति इस में बिना परिवर्तन किए वापिस कर देगी ।

श्री दातार (बेलगांव उत्तर) : ऐसा मालूम पड़ता है कि विधेयक के क्षेत्र के विषय में लोगों को बहुत भय सा मालूम पड़ता है । यह स्पष्ट होना चाहिये कि जांच आयोग सरकार द्वारा नियुक्त न्यायालय नहीं है । जैसा कि कुछ अधिनियमों में दिया गया है, जांच आयोग कोई न्यायिक अधिकरण नहीं है । जब सरकारों को ऐसे विषयों की जांच करनी पड़ती है जो घपले कहलाते हैं अथवा चौंका देने वाली बातें होती हैं जिन की वास्तविक स्थिति निश्चित करनी पड़ती है और सरकारों के पास इस के लिये उपयुक्त तन्त्र नहीं होता तब कार्यपालिका के रूप में अभी भी सरकार कुछ शक्तियां आयोग को दे देती है । पर अनुभव यह है कि वास्तविक तथ्यों का पता लगाने के लिये इन आयोगों के पास पर्याप्त शक्ति नहीं होती इस कारण इस विधेयक की आवश्यकता पड़ी । यह स्पष्ट होना चाहिये कि इस के अन्तर्गत नियुक्त किया गया आयोग केवल रिपोर्ट करेगा जिसे सरकार स्वीकार करे या न करे । ये आयोग न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण भले ही करें परन्तु ये न्यायिक अधिकरण नहीं हैं । इस बात का कोई भय नहीं होना चाहिये । इस विधेयक के अन्तर्गत स्थायी आयोगों की कल्पना नहीं की गई । उन की नियुक्ति तो आवश्यकता पड़ने पर ही की जायेगी और उन्हें सामान्य शक्ति दी जायेगी । अतएव भय का कोई कारण नहीं है ।

यह भय मिट जाना चाहिये कि य न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करती हैं इस कारण ये समितियां न्याय करती हैं । न्यायिक प्रक्रिया का अनुसरण करने के कारण ये भारतीय साक्ष्य अधिनियमों के उपबन्धों

के अधीन होने चाहिए । परन्तु अभी खंड ४, उपखंड (२) के शब्द बहुत विस्तृत हैं और उन के अनुसार वह सूचना भी मांगी जा सकती है जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम के अनुसार संरक्षित है । अतएव यह आवश्यक है कि उस खंड में ये शब्द स्पष्ट रूप से मिला लिये जायें ——"भारतीय साक्ष्य अधिनियम के उपबन्धों के अधीन" ——जिससे कि वकीलों, सरकारी कर्मचारियों, न्यायाधीशों और विवाहित व्यक्तियों को जो संरक्षण प्राप्त हैं वे बने रहें ।

खंड ५ के अनुसार आयोग के सामने दिये गए वक्तव्यों और विवरणों को संरक्षित बतलाया गया है । कुछ मामलों में तो लोगों को वक्तव्य न देने का अधिकार भी होना चाहिये । मैं प्रवर समिति से प्रार्थना करूंगा कि वे श्री गुहा के संशोधन पर ध्यान दें और जब भी ऐसी कार्यवाहियां हों तब साक्ष्य देने वाले को भारतीय साक्ष्य अधिनियम के विशेषाधिकार और उन्मुक्तियां प्राप्त हों । आशा है कि प्रवर समिति सब बातों पर ध्यान देगी तथा विधेयक को दोषमुक्त रूप में वापिस भेजेगी ।

श्री पी० टी० चाको (मीनाचिल) : श्री वेंकटारमन जी ने कहा है कि विधेयक बिलकुल न बदला जाय । मैं आशा करता हूं कि प्रवर समिति खंड ४ के उपखंड (२) और (३) के उपबन्धों पर सावधानी से विचार करेगी तथा उनमें परिवर्तन करेगी ।

मैं नहीं सोचता कि न्यूनतम मजूरी समिति जैसी समितियों को माल जब्त करने या वकीलों से संरक्षित सूचना प्राप्त करने की आवश्यकता पड़ेगी । इसके उपखंड ४ के अनुसार आयोग को वैसी शक्तियां दी गई हैं जो दाण्डिक प्रक्रिया संहिता की ४८० और ४८२ धाराओं के अधीन न्यायालयों को प्राप्त हैं । इस संहिता की ४८० धारा के अनुसार न्यायालयों को बक्तव्य लेने के पश्चात् ही अभियुक्त को दण्ड देने का अधिकार है यदि न्यायालय के मत में वह अपराध दण्ड संहिता की १७५, १७८, १७९, १८० अथवा २२८ धारा के अन्तर्गत किया गया है । ऐसे जांच आयोगों को, जिन्हें संभव है दाण्डिक परीक्षण की प्रक्रिया का ज्ञान न हो तथा न्यायालय अवमान का बोध न हो, ऐसी शक्ति देना ठीक नहीं है । ऐसे मामले तो न्यायालयों को हस्तांतरित किये जाने चाहियें । आयोगों को केवल धारा ४८२ में दी गई शक्तियां ही मिलनी चाहिये ।

मैं सोचता हूं कि शपथ पर ही नहीं प्रतिज्ञान पर भी गवाहों को जांचने की शक्ति आयोग को होनी चाहिये ।

यदि लोग चाहें तो उन्हें वकील या मुख्त्यार द्वारा जांच आयोग के सामने अपना प्रतिनिधित्व करने का अधिकार होना चाहिये ।

मुझे विश्वास है कि प्रवर समिति खंड ४ के उपखंड (२) और (४) पर विचार करेगी तथा आवश्यक परिवर्तन करेगी । समितियों और आयोगों को विशेष शक्तियां देते समय साक्ष्य और प्रक्रिया सम्बन्धी कानूनी संरक्षणों को नहीं मिटाया जायगा ।

डा० एस० पी० मुखर्जी (कलकत्ता दक्षिण-पूर्व) : यह अच्छी बात ह कि विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जा रहा है । मैं गृहमंत्री जी से सहमत हूं कि कुछ अवसरों पर ऐसे आयोगों की आवश्यकता पड़ती है जिन्हें आवश्यक साक्ष्य प्राप्त करने तथा विलेख देखने की शक्ति हो । प्रश्न यह है कि एक सामान्य कानून हो अथवा प्रत्येक अवसर पर विधेयक पारित किया जाय । इसके कुछ उपबन्ध बहुत कड़े हैं । दाण्डिक विधि के उपबन्धों के बाहर तलाशी लेने और विलेख जब्त करने का उपबन्ध हानिप्रद

[डा० एस० पी० मखर्जी]

है। खंड ३ और ७ के अनुसार आयोग नियुक्त किये जा सकते हैं। खंड ७ के अनुसार के राज्यों की सरकारें किसी भी प्रयोजन के लिये जांच आयोग की नियुक्ति कर सकती हैं। इस अधिकार की क्या आवश्यकता है जब वे खंड ३ के अनुसार भी आयोगों की नियुक्ति कर सकती हैं। आयोगों की नियुक्ति सामान्य बात नहीं होनी चाहिये। अत्यन्त लोक महत्व के विषयों की जांच के लिये ही उन की नियुक्ति की जानी चाहिये। जांच करने वाली इन समितियों की सिपारिशों का क्या किया जाता है, यह स्पष्ट नहीं किया गया है क्या वह अप्रभावी होती है ? क्या आयोग उस पर कार्यवाही कर सकता है या उसे न्यायिक अधिकरण के सामने रख सकती है ? ये आयोग न्यायिक अधिकरण तो हैं नहीं, इन्हें तो कुछ अंशों में व्यवहार न्यायालयों की शक्ति दी गई हैं। इस विधेयक के उप-बन्धों से बाह्य सरकार को बहुत से आयोगों की नियुक्ति करनी पड़ेगी। यदि आप शिक्षा आयोग की नियुक्ति करें और यदि कुछ लोग साक्ष्य देना अस्वीकार करें तो क्या बंदी बना कर उन्हें कारावास में डालेंगे ? मैं समाज विरोधी मामलों की बात नहीं कर रहा हूं। अतः स्पष्ट है कि हम ऐसा सामान्य कानून नहीं बना रहे हैं जिस में सारे मामले आ जायेंगे। इसलिये मैं कहता हूं कि ऐसे सामान्य विधान की विशेष आवश्यकता नहीं है। आयोग की खोज के विरुद्ध अपील का प्रश्न लीजिये ···

डा० पी० एस० दशमुख : वह केवल सिपारिश है।

डा० एस० पी० मुखर्जी : यदि यह केवल सिपारिश है तो बात दूसरी है।

खंड ८(ख) के अनुसार जांच करने के ढंग और प्रक्रिया आदि से संबंधित नियम बनाने का अधिकार सरकार को रहेगा तथा आयोग उन नियमों का पालन करेगा। विशेष परिस्थितियों में ही आयोगों की नियुक्ति होगी इसलिये सरकार को नियम बनाने की शक्ति नहीं मिलनी चाहिये। आयोग की रचना के विषय में कुछ नहीं कहा गया। मैं यह नहीं कहता कि सरकार के इरादे अच्छे नहीं हैं और वह व्यक्तियों अथवा निकायों के विरुद्ध इसका उपयोग करना चाहते हैं। आयोगों की रचना ऐसी होनी चाहिये कि लोगों को उस पर विश्वास हो।

सन् १९२१ में ब्रिटेन की लोक-सभा में ऐसा ही सामान्य कानून पारित हुआ था। विधेयक जिस समय पारित हुआ था उस समय की कार्यवाहियां मेरे पास हैं। वहां भी वे प्रश्न उठे थे जो हमारे सामने हैं। वहां के प्रधान मंत्री श्री बोनर ला ने बतलाया था कि कार्यपालिका द्वारा नियुक्त समिति को यह शक्ति नहीं है कि वह साक्ष्य देने अथवा दस्तावेज़ प्रस्तुत करने के लिये लोगों को बाध्य कर सके। इस विषय में मत भेद था कि इसके लिये सामान्य विधान बनाया जाय अथवा तदर्थ विधान। उस विधेयक के मूल प्रारूप के विषय में ब्रिटेन की लोकसभा में सबसे बड़ी आपत्ति यह की गई थी कि कार्यपालिका के हाथों में इतनी बड़ी विस्तृत शक्ति नहीं देना चाहिये। बाद में यह तय हुआ कि उस सामान्य विधान के अधीन जांच आयोग केवल संसद् के दोनों सदनों की सिपारिशों पर ही नियुक्त किया जाय। वह सरकार द्वारा नियुक्त न किया जाय।

उसमें यह उपबन्ध भी किया गया कि केवल निम्न ३ विषयों के सम्बन्ध में

न्यायाधिकरण अपनी विशेष शक्ति का उपयोग कर सकता है ।

(क) गवाहों को उपस्थित होने के लिये बाध्य करने तथा, शपथ पर, प्रतिज्ञान पर अथवा अन्य प्रकार से उनकी परीक्षा करने,

(ख) दस्तावेज़ों को प्रस्तुत करने के लिये बाध्य करने, और

(ग) न्यायालय के अधीन, समद्रपार के गवाहों की परीक्षा करने के लिये आयोग नियक्त करने के लिये ।

यह उपबन्ध बड़ा सरल है और हमारे लिये पर्याप्त होना चाहिये ।

इंगलैंड में आयोग द्वारा केवल वे ही प्रश्न पूछे जा सकते हैं और वे ही विलेख मांगे जा सकते हैं जिनका पूछना और मांगना वैध हो । यदि विशेषाधिकार और उन्मुक्ति की समस्या उठती है तो वे प्रश्न नहीं पूछे जा सकते ।

यदि कोई पदाधिकारी ऐसे विलेखों को प्रस्तुत करने से इंकार करता है जिनका प्रस्तुत करना अधिकारोय भेद अधिनियम के विरुद्ध है तो महान्याय वादी के अनुमोदन के बिना उस पर कोई कार्यवाही नहीं को जा सकती । स्पष्ट है कि ऐसे व्यक्ति पर अभियोग चलाने की वह सहमति न देगा । दूसरे लोगों का प्रतिनिधित्व करने के लिये वकीलों आदि को प्राधिकार देने को शक्ति न्यायाधिकरणों को दी गई है । उनका विधेयक, छोटा सा केवल चार, पांच खंडों का है । हमने सारा गड़बड़ कर दिया है । वर्तमान कानून के उपबन्धों के अतिरिक्त हमने कार्यपालिका के हाथों में तलाशी लेने और माल ज़ब्त करने की शक्ति दी है । हमें विचार करना चाहिये कि हमें सामान्य कानून की आवश्यकता है अथवा तदर्थ समिति की । हमें सावधान रहना चाहिये जिससे कि इन विस्तृत शक्तियों का उपयोग करने की खुली छुट्टी राज्यों की सरकारों को न मिले । केवल केन्द्रीय सरकार को यह शक्ति रहे । आयोग की नियुक्ति के समय सदन की सिपारिश को मैं बहुत आवश्यक समझता हूं क्योंकि सरकार द्वारा अवैध कार्य को छिपकर किये जाने का प्रश्न न होगा । सदन के सामने सरकार आवश्यकता बतला सकती है तथा सामान्य कानून के अधीन आयोग नियुक्त किया जा सकता है ।

ये सुझाव मैं ने सद्भावना से दिये हैं । ऐसे प्रश्नों को हमें पक्ष विशेष के दृष्टिकोण से नहीं देखना है । हमें ऐसे कानून बनाने में सहयोग देना चाहिये जिसका लोग पालन कर सकें ।

डा० काटजू : मैं कुछ परेशान सा हूं क्योंकि मैं प्रवर समिति का सदस्य हूं तथा उठाई गई बहुत सी बातों का मुझे उत्तर भी देना है । आरम्भ में ही मैं स्वीकार करता हूं कि मुझे आश्चर्य हुआ है क्योंकि, मैं दुहराऊंगा, मेरी समझ में यह हानिप्रद क्रियाकार नहीं है, परन्तु यहां फिर से यह वाद विवाद हुआ है । यह मेरा दुर्भाग्य है ।

मैंने सदैव इस सिद्धान्त का अनुसरण किया है कि जब आप से कोई प्रश्न पूछा जाय तो सच बोलिये तथा शैतान से दूर रहिये । इस विधेयक में केवल इस बात का उपबन्ध है कि जब आपसे प्रश्न पूछा जाये तब सच बोलिये और जब आपसे विलेख प्रस्तुत करने के लिये कहा जाय तब उसे प्रस्तुत कर दीजिये । यदि आप विलेख प्रस्तुत नहीं करते तो कठिनाइयां पड़ेंगी । जब भाषण दिये जा रहे थे तब मुझे वास्तव में नहीं मालूम था कि यहां किसका प्रतिनिधित्व किया जा रहा था । खिलवाड़ के रूप में सरकार

[डा० काटजू]

प्रतिदिन तो आयोग और समितियां नियुक्त करने वाली नहीं । है समितियां और आयोग तो कभी कभी बहुत लोक महत्व के लिये नियुक्त किये जाते हैं जब उस की बड़ी आवश्यकता होती है । अथवा जब किसी प्रकार का घपला होता है अथवा, जैसा हमारे माननीय मित्र ने बतलाया, जब विधान का प्रवर्तन करना पड़ता है अथवा जब गहन दोष की जांच करनी पड़ती है और जहां सूचना की आवश्यकता होती है ।

यह कहा गया था कि समिति अथवा आयोग के सदस्यों के बारे में विधेयक में कुछ नहीं बताया गया है । सरकार से बुद्धिमत्ता, योग्यता और अनुभव की कुछ आशा रखनी चाहिये । समिति और आयोग का दर्जा जितना ही ऊंचा होगा उसके सदस्य भी उतने उच्च प्रकार के होंगे । आपका क्या अनुभव है : निवृत्त न्यायाधीश, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश, बहुत अनुभवी व्यक्ति, राजनीतिपटु व्यक्ति इन समितियों के सभापति बने हैं। ऐरे गैरे लोगों को आप इन समितियों का सभापति नहीं पाते ।

डा० एस० पी० मुखर्जी : क्या आप लोक सभा के सदस्यों की ओर निर्देश कर रहे हैं ?

डा० काटजू : नहीं । सदन में ऐरे गैरे लोग नहीं हैं । वे सब प्रसिद्धि प्राप्त सज्जन हैं। मैं यह सुझाने के ढंग को बतला रहा था कि इन समितियों में कोई भी भर दिया जा सकता है । क्या आप सोचते हैं कि सरकार इतनी विवेकशून्य है कि केवल तंग करने के लिये समितियां नियुक्त करेगी । किसे तंग करने के लिये ? मुझे नहीं मालूम किसे ।

नियुक्त की गई समितियां क्या करती हैं ? गवाह बुलाती हैं । सहायता करने के लिये जो सज्जन बुलाए जाते हैं उनकी पहली इच्छा, सत्य बोलने तथा सहयोग करने की होती है और यदि पत्र, विलेख और बहीखातों को प्रस्तुत करने की मांग होती है तो उन्हें भेजने की इच्छा होती है । यह कहा गया था कि तलाशी ली जायेगी । श्री वेंकटारमन जी ने इसकी ओर धीरे से निर्देश भी किया था । समय पर ऐसा करना पड़े। मुझे नहीं मालूम कि क्या होगा। सन् १९२१ से १९५१ के बीच समय में काफी परिवर्तन हो चुका है। ३१ साल में क्रांतियां हो चुकी हैं। आयकर बहुत बढ़ गया है। देखिये १९२१ में आयकर की दर क्या थी और आज क्या है । यह भलीभांति मालूम है कि कागज की तलाशी का अर्थ यह है कि कागज हैं तो अवश्य पर प्रस्तुत नहीं किये गये । उन्हें प्रस्तुत क्यों न किया जाये ? मैं इस चिंता को नहीं समझ पाता। तलाशी के विरुद्ध किसके लिये यह संरक्षण होना चाहिये ।

मैं इन बातों में नहीं जाना चाहता क्योंकि मैं प्रवर समिति का भी सदस्य हूं और इस समय अपनी राय नहीं दे सकता ।

श्री एन्थनी ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्देश किया । मैं पिछले पांच या दस वर्षों से सुन रहा हूं कि भारतीय साक्ष्य नियम अप्रवर्ती और प्राचीन हो गया है, इससे कार्यवाहियों में विलम्ब हो जाता है और इसे सरल कर देना चाहिये । हर जगह यह मांग की गई है, इस सदन में और बाहर भी कि नियम सरल बना देने चाहिये अन्यथा दोषी व्यक्ति बच जाते हैं तथा निरपराध व्यक्तियों को कष्ट भोगना पड़ता है । उन नियमों में अतिरिक्त चिंता दर्शाई गई है इससे दोषी लोग बच

जाते हैं। मेरे माननीय मित्र अपील कर रहे थे। भारतीय साक्ष्य अधिनियम में निहित शताब्दियों की बुद्धिमत्ता को देखिये।

इस सदन में उठाई गई प्रत्येक बात पर प्रस्थापित प्रवर समिति पूरी तरह ध्यान से विचार करेगी और मुझे विश्वास है कि जब विधेयक वापिस लौटेगा तब उसमें सदन के सब पक्षों के व्यक्तियों की बुद्धि और अनुभव निहित होगा।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"विधेयक को श्री एन० सोमाना, श्री नन्दलाल जोशी, पंडित मुकुट बिहारीलाल भार्गव, श्री एच०सी हेडा, श्री एस० वी० पाटिल, श्री नेरन्द्र पी० नथवानी, श्री के० जी० देशमुख, श्री जगन्नाथ कोले, श्री कामाख्य प्रसाद त्रिपाठी, श्री टेक चन्द, श्री पन्नालाल आर० कौशिक, श्री एम० एल० द्विवेदी, श्री त्रिभुवन नारायण सिंह, श्री बनारसी प्रसाद झुनझुनवाला, श्री शिवदत्त उपाध्याय, श्री शेषागिरी राव, डा० एन० एम० जयसूर्य, श्री बी०टी० पुन्नूस, श्री उमाशंकर मूलजी-भाई त्रिवेदी, श्री हुक्म सिंह, श्री के० एस० राघवाचारी, श्री फ्रैंक एन्थनी श्री जी० डी० सोमानी, डा० कैलाश नाथ काटजू, श्री भवानी सिंह, श्री तुलसीदास किलाचन्द, एच० एच० महाराजा नारायण सिंह देव, श्री बी० शिवाराव, श्री टी० सुब्रह्मणयम, तथा प्रस्तावक की एक प्रवर समिति को सौपा जाये और प्रवर समिति को २१ जुलाई, १९५२ तक अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का निर्देश दिया जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

इसके पश्चात् सदन की बैठक शनिवार, १२ जुलाई, १९५२ के सवा नौ बजे तक के लिए स्थगित हो गई।